



# कृषीशंख

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 66


अंक : 10

पृष्ठ : 52

अगस्त 2020

मूल्य : ₹ 22

## ग्रामीण अर्थव्यवस्था



# भारत वैश्विक पुनरुत्थान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है: प्रधानमंत्री

**प्र**धानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक पुनरुत्थान में वीक के उद्घाटन सत्र को बीड़ियो कॉन्फरेंस के माध्यम से संवेदित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दो कारंकों के साथ नजदीकी रूप से जुड़ा हुआ है। पहला, भारतीय प्रतिभा और दूसरा, भारत की सुधार और कायाकल्प करने की क्षमता। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत के प्रतिभा-बल, विशेष रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग और तकनीकी पैशेकों के योगदान को अत्यधिक मान्यता दी जाती है। उन्होंने भारत को प्रतिभा का पौरवरहाउस बताया जो योगदान देने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि सुधार करना देशवासियों की प्रकृति में है और इतिहास बताता है कि भारत ने हर चुनौती पर जीत हासिल की है, चाहे यह सामाजिक हो या आर्थिक।

उन्होंने कहा कि जब भारत पुनरुत्थान की बात करता है, तो यह ही देखनाल के साथ पुनरुत्थान, करणा के साथ पुनरुत्थान, पुनरुत्थान जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए जल्दी है।

प्रधानमंत्री ने पिछले छह वर्षों के दौरान किए गए कार्यों के बारे में बताया, जैसे: संपूर्ण वित्तीय समावेशन, आवास और ढायागत संरचनाओं का रिकॉर्ड निर्माण, कारोबार करने में जासानी, जीएसटी सहित सहायिका कर सुधार आदि। प्रधानमंत्री ने कहा कि अदम्य भारतीय भावना के कारण आर्थिक स्थिति ने सुधार दिखाई पड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी से जाज सरकार को लानार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचाने में मदद निलंती है, जिसमें नियुक्त रसोई गैर्ट, बैंक खातों में नकदी, लाची लोगों को सुन्ता अनाज और कई अन्य चीजें शामिल हैं।



**प्रधानमंत्री ने  
इंडिया ग्लोबल वीक  
के उद्घाटन सत्र को  
संवेदित किया**

## मुख्य अंश

- भारत वैश्विक पुनरुत्थान में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि वह दो कारंकों के साथ नजदीकी रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ है - भारतीय प्रतिभा और दूसरा है - भारत की सुधार और कायाकल्प करने की क्षमता।
- पूरी दुनिया में भारत के प्रतिभा-बल, विशेष रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग और तकनीकी पैशेकों के योगदान को अत्यधिक मान्यता दी जाती है।
- जब भारत पुनरुत्थान की बात करता है तो यह है: देखनाल के साथ पुनरुत्थान, करणा के साथ पुनरुत्थान, पुनरुत्थान जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को लिए साजात है।
- अदम्य भारतीय भावना के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई नहीं लगे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे खुसी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और देश उनी बहुराष्ट्रीय क्षमियों की भारत में लापन कारोबार स्थापित करने के लिए आगाजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत को विपुल तंभावनाली और उद्दर्शी जा देना बताया।

उन्होंने कूपी झेंड्र ने सुन्न किए गए विभिन्न चुनावों के बारे में बताया और कहा कि यह वैश्विक उद्योग को एक बहुत ही उत्कृष्ट निवेश अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीनतम सुधार एनएसएमई केबल को बढ़ावा दे रहे हैं और ये बड़े संदोग के सहयोग में प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निवेश के अवसर मौजूद हैं।


प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी ने एक बार किए दियाया है कि भारत का फार्म उद्योग न कैबल भारत के लिए बहिर्भूत पूरे विश्व के लिए एक फारसी है। फार्म उद्योग ने विशेष रूप से डिकार्सोल देशों के लिए दबावों की लागत को कम करने में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का महलव स्वयं-संतुष्ट होना या दुनिया के लिए बदल हो जाना नहीं है, बल्कि स्वयं के देशों और न्यू-उत्पादक होने के बारे में है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा भारत है जो सुधार प्रदर्शन और परिवर्तन कर रहा है, न एर आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। मानव-कैटिट और समाजीशी दृष्टिकोण प्रदान रहा है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक कल्याण और समृद्धि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जीव सभव कार्य करने के लिए तैयार है।



**प्रधानमंत्री ने  
इंडिया ग्लोबल वीक  
के उद्घाटन सत्र को  
संवेदित किया**

## मुख्य अंश

- आत्मनिर्भर का मतलब स्वयं-संतुष्ट होना या दुनिया के लिए दबद हो जाना नहीं है, बल्कि स्वयं के पीपण करने और स्वयं-उत्पादक होने के बारे में है।
- यह एक ऐसा भारत है जो सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन कर रहा है। यह एक ऐसा भारत है जो नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है, जो विकास के लिए मानव-कैटिट और समाजीशी दृष्टिकोण प्रदान रहा है।
- महामारी के दौरान अभिवादन के रूप में नमस्ते की वैश्विक पहचान
- भारत वैश्विक कल्याण और समृद्धि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सभी संभव कार्य करने के लिए तैयार है।



# कुरुक्षेत्र

इस अंक में



वर्ष : 66 ★ मासिक अंक : 10 ★ पृष्ठ : 52 ★ श्रावण-भाद्रपद 1942 ★ अगस्त 2020

प्रधान संपादक: श्रीराज सिंह

विरिच. संपादक: लालिता स्तुराजा

सम्पादन निदेशक (उत्तराधिकारी): डॉ. रामालिङ्गम

संपादन: राजेन्द्र कुमार

संस्कृत: जगन्नाथ कुमार

संपादकीय याचार्य

फॉर्म नं. 655, तृतीया भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

पेब्साइट: publicationsdivision.mic.in  
ई-मेल: kuru.hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक

दूरभाष: 011-24367453

कुरुक्षेत्र संग्रहने की दरें

एक दर्ता: ₹ 22, द्वितीय: ₹ 30, तीसरी: ₹ 230,  
चौथी: ₹ 430, चौथी: ₹ 610

कुरुक्षेत्र में दक्षायात्रा लेखों में व्यक्त गियारा लेखों के अपने हैं। यह आमतौर पर नहीं कि सरकारी चुटियों भी बही हों। पाठकों से आपृष्ठ है कि विशेषज्ञ नागेदरोंका किलानी/सत्त्वानों ने यहाँ में विश्वासी ने किए गए दावों की जांच कर से। परिवार में इकाईका विश्वासी और विश्व-वर्तु के लिए कुरुक्षेत्र उत्तरदायी नहीं है।

परिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पर पर मेल करें ई-मेल: pdjucir@gmail.com कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने वा पुराने अंक संग्रहने के लिए भी इसी ई-मेल पर लिखें या संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष: 011-24367453 पर संपर्क करें।

संपादक (प्रसार एवं विद्यापत्र)

प्रसार एवं विद्यापत्र अनुभाग

प्रकाशन विभाग,

दिल्ली स. 56, भूतल, तृतीया भवन,

सी.जी.ओ. पारिषद, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003



ग्रामीण अर्थव्यवस्था: मज़बूती की ओर

कृषि क्षेत्र में सुधारों की मज़बूत नींव

आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर

एमाएसएमई: देश की आर्थिक रीढ़

ग्रामीण भारत के विकास इंजन प्रवासी श्रमिक

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने में बैंकों की भूमिका

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास

कोरोना काल में खेतोंसहायता रामूँहों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान

कोविड-योद्धा आशकर्मी

ए-आईआधारित असीम डिजिटल लेटफॉर्म की शुरुआत

प्रोफेसर आरसी. कुहाड़

5

भुवन भास्कर

11

सनी कुमार

16

ऋपभ कृष्ण सक्सेना

22

डॉ. आरसी. श्रीवास्तव

30

सतीश सिंह

35

संतोष पाठक

40

हेना नक्की

44

---

48

---

50

## प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नामी विलासी	प्रकाशन विभाग, शुद्धना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, सी.जी.ओ. भवन, छाती स. 198, पुराना संस्कृत विद्यालय	110003 011-24367260
दिल्ली	हाल स. 198, पुराना संस्कृत विद्यालय	110054 011-23820205
नदी नुजई	701 सी.विंग, रातली मॉजिल, कैटरी र. सदन, येलापुर	400614 022-27570686
करोलबाग़	8, एसएसएमई चैक्ट	700069 033-22488030
सें-ई	४ विंग, राजपुरा भवन, एसी.सी. नगर	600090 044-24917673
तिरुअनंतपुरम्	प्रेस रोड, नदी एवं नदीमेंट देश के निकट	695001 0471-2330650
हीराचंपानी	कामरा स. 204, दूसरा नल, नदी एवं नदीमेंट देश, कामरिन्द्रा, रिकांडिरामाद	500080 040-27535383
बैगलुरू	फर्स्ट फ्लॉर, एक विंग, कैटरी र. सदन, कैटरी र. सदन	560034 080-25537244
मुम्बई	विहार शूचन नोड्सीटीटी, वैक्स भवन, अंगोल राजपथ	800004 0612-2683407
लखनऊ	झौल स. 1, दूसरा नल, नदी एवं नदीमेंट देश, निशी राजपथ	226024 0522-2325455
जहागढ़ाबाद	सी.जी.ओ. नीलांडीपी, अल्लाहाबाद लोड, निशी राजपथ, यदर देश, नीलांडीपी, नीलांडीपी वार्ड, नीलांडीपी	380001 078-28588669

# संपादकीय

महामारी से उत्पन्न नियतियों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो गांधीजी का यह कथन

वेहद सटीक है। निसंदेह कोविड महामारी के इस युरे दौर से जब पूरी दुनिया गुजर रही है तो यहाँ से हमारे देश के 'गांव' और 'किसान' ही हैं जो देश की लांबाड़ाल होती अर्थव्यवस्था का संतुलन देनाए हुए हैं।

तकरीबन छेड़ महीने तक लॉकडाउन के बाद देश में कई चरणों में विभिन्न क्षेत्रों को अनलॉक किया जा रहा है और धीरे-धीरे भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती दिख रही है। लेकिन ग्रामीण भारत में लॉकडाउन के दौरान भी कृषि कार्य यथावत चलते रहे। यही नहीं, सरकार ने किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए कई राहत ग्राउन्ड्स की घोषणाएं की जिससे किसी को रोजी-रोटी की दिवकरत न हो। सरकार की नीतियों के चलते इस दौरान किसानों को फसल कटाई में कोई परेशानी नहीं हुई।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रपतार देने के लिए सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य कानून वाले वक्त में देश में अहम बदलाव का आधार तैयार करना है जिसकी विस्तृत चर्चा इस अंक में की गई है।

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर 'संकट' के समय के कृषि और किसानों की येहतरी के लिए एक 'अवसर' में बदलने की कोशिश की है। संरक्षण की ये घोषणाएं दूरगामी हैं और कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन बदलाव लाने का दम रखती हैं। किसानों की आय बढ़ाने और गांव लौट श्रमिकों को खेती के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भूमिका येहद अहम है। लॉकडाउन ते सबसे ज्यादा यही उद्योग प्रभावित हुए। इन उद्योगों को उबारने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इन उद्योगों को चला पैकेज के साथ-साथ इनसे जुड़े नियम-कानूनों में कई बदलाव किए गए हैं। एमएसएमई को दी जाहतों ते ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा, इसकी चर्चा इस अंक में की गई है।

कोविडकाल में प्रवासी मजदूरों के गांवों की तरफ पलायन के वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिवृद्धि को जनाबद्दाओं में बढ़ावा जा सकता है यशर्ते हम इस चुनौती का उपयोग अपनी कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को नज़दीक बनाने के लिए एक रचनात्मक अवसर के रूप में करें। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा ने कई कृषि-आधारित इकानीके विकसित की है जो इन चापिस लौटने वाले श्रमिकों को कौशल-आधारित नौकरियों प्रदान कर जनर्थ बना देती है। अपने पैतृक गांवों की ओर लौटे इन प्रवासी मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण देना समय की जाग है।

संकट को अवसर में बदलने में स्वयंसहायता समूहों ने भी येहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जन्महृदयों वर्मास्क, सेनिटाइजर, पीपीई किट आदि का उत्पादन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान दे रहे हैं जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई, 2020 को प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में भी की। यही नहीं, किसी भी जापदा में अपने समुदाय की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना भी इन स्वयंसहायता समूहों की पहचान है।

संक्षेप में, कोरोना से निपटने के लिए की गई तालाबंदी और कोरोना से तात्कालिक रूप से उबर आने के बाद भी कई महीनों तक देश को मुख्यमंत्री से बचाने का श्रेय खेती-किसानी को ही जाता है। ऐसे ने खेती-किसानी वर्जो देना सरकार की नीतियों में प्राथमिकता पर है जिसके चलते सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जान वाले वर्षों में खेतीयाड़ी की तरफ बड़ी संख्या में किसानों/मजदूरों के जुड़ने की समावना है। ऐसे में, बापत्त खेतों से जुड़ने वाले ग्रामीण परिवारों को येहतर जिंदगी देना सरकार की प्राथमिकता होगा, ऐसी उम्मीद है।

# ग्रामीण अर्थव्यवस्था : मज़बूती की ओर आत्मनिर्भर भारत अभियान से गांवों का कायाकल्प

-प्रोफेसर आर.सी. कुहाङ

किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने कई रणनीतिक और उपयोगी योजनाएं शुरू की हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके। सरकार ने अब 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की शुरुआत कर भारतीय अर्थव्यवस्था के इशारा गें नया अध्याय लिखा है। इसके तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार तेज करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के विशाल पैकेज जी घोषणा की गई है। इसका गवाहाद आगे बाले बक्से में देश में अद्य बदलाव का आधार तैयार करना है।

**भा**रत अब दुनिया की एक महाशयिता के तौर पर उभर रहा है। हमारे देश में न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है यद्युक्त यहाँ सम्मति, अलग-अलग संस्कृतियों, भाषाओं आदि की समृद्ध विरासत रही है। यह कई धर्मों, जटियों, नेताओं, बड़े वैज्ञानिकों वर्गीकरण की जन्मस्थली रही है।

भारत में अर्थव्यवस्था, तकनीक, सामाजिक सुधार, शासन प्रणाली, स्वास्थ्य से जुड़ी आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने और लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया करने के लिए साहसिक कदम उठाए जा रहे हैं। भारत मुख्य तौर पर एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। इसकी दो शिल्पी आवादी और 70 प्रतिशत कार्यवल ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।

नीति आयोग की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत है। कोरोना महामारी की वजह से विकसित और विकासशील देशों की आर्थिक गतिविधियों को काफी चोट पहुंची है। भारत ने अर्थव्यवस्था

के सभी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि इस संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। भारत में 49.7 करोड़ कामगार हैं, जिनमें 94 प्रतिशत निजी या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का ज्यादा जोर असंगठित क्षेत्र पर है, जो मुख्य तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रभावित करता है।

किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने कई रणनीतिक और उपयोगी योजनाएं शुरू की हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके। सरकार ने अब 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की शुरुआत कर भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नया अध्याय लिखा है। इसके तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार तेज करने के लिए 20

“जब भारत आत्मनिर्भर होने की बात करता है, तो यह आत्मकृति प्रणाली की बकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता में पूरी दुनिया की खुशी, राहयोग और शांति के लिए चिंता है।”

-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

लाख करोड़ के विशाल पैकेज वी धोधणा की गई है। इसका मकान आने पाले बक्स में देश में लाहुग बदलाव का आधार रखाकर करना है।

### गहामारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

कोरोना महामारी के फैलने के साथ ही, पूरी दुनिया में खाली विनिर्भाव, नियोत और पूँजी के घटाव में उभासपूर्व संकट देखने गो मिल रहा है। इस घटाव से अर्थव्यवस्था को रामने कई तरह भी चुनौतियों पैदा हो गई है। खारतीर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संकट और गहरा है। इन चार घोड़ों पर आर्थिक गंदी के असर को देखते हुए भारत सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' वी शुरूआत की है। इस अभियान में स्वारक्ष्य, सेजगार और वित्तीय सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए सरकार के पैकेज में पर्याप्त बजट का इंतजाम किया गया है। इसके तहत अस्पतालों की आपातकालीन स्वारक्ष्य जरूरतों के लिए बजट वा प्रावधान है और संकट के दौरान और इसके बाद रोजगार और कमीशास्त्रियों वी सुरक्षा करने की भी गत है। इसके अलावा, गरीब और वर्गित समुदायों के लोगों को सीधे तीर पर वित्तीय मदद मुहैया करने के लिए भोजन और आजीविका संवंधी मदद भी दी जा रही है।

सरकार ने 'कल्याणकारी गणराज्य' के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संकट की इस घड़ी में निर्णायक हस्तक्षेप करते हुए 20

फैब्रिनेट के निर्णय: 24 जून, 2020

### आत्मनिर्भरिता के लिए किसानों की आय को बढ़ावा

15000 करोड़ रुपये की पश्चालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना को मंजूरी



डेयरी और पश्चालन में निजी भागीदारी और बुनियादी ढांचे के निवेश को प्रोत्साहन



योग्य लाभार्थियों द्वारा 10% मार्जिन मनी राशि के खेगदान के बाद शेष 90% की राशि वैकों द्वारा अण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।



आकाशी जिलों के लाभार्थियों को 4% व्याज में छूट और अन्य जिलों के लिए 3%; इसके बाद 2 दर्द की अधिक्षण अवधि के साथ कर्ज की पुनर्भूगतान अवधि 6 साल होगी।



नवार्ड द्वारा प्रदत्त 750 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कंड की स्थापना



लगभग 35 लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तीर पर आजीविका का सृजन होगा।

लाख करोड़ के विशाल पैकेज वी धोधणा की गई है। इसका मकान आने पाले बक्स में देश में लाहुग बदलाव का आधार रखाकर करना है।

### गहामारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

गहामारी महामारी के फैलने के साथ ही, पूरी दुनिया में खाली विनिर्भाव, नियोत और पूँजी के घटाव में उभासपूर्व संकट देखने गो मिल रहा है। इस घटाव से अर्थव्यवस्था को रामने कई तरह भी चुनौतियों पैदा हो गई है। खारतीर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संकट और गहरा है। इन चार घोड़ों पर आर्थिक गंदी के असर को देखते हुए भारत सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' वी शुरूआत की है। इस अभियान में स्वारक्ष्य, सेजगार और वित्तीय सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए सरकार के पैकेज में पर्याप्त बजट का इंतजाम किया गया है। इसके तहत अस्पतालों की आपातकालीन स्वारक्ष्य जरूरतों के लिए बजट वा प्रावधान है और संकट के दौरान और इसके बाद रोजगार और कमीशास्त्रियों वी सुरक्षा करने की भी गत है। इसके अलावा, गरीब और वर्गित समुदायों के लोगों को सीधे तीर पर वित्तीय मदद मुहैया करने के लिए भोजन और आजीविका संवंधी मदद भी दी जा रही है।

### कृषि दोत्र में

- परसलों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी;
- पशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी;
- उत्पादन लागत में संसाधनों/वर्चत का बैहतर इस्तेमाल;
- एक साल में ज्यादा से ज्यादा फसल तैयार करने पर जोर;
- उंची कीमत वाली फसलों का विधीकरण और
- किसानों को भिलने वाली कीमत में बढ़ोत्तरी।

कृषि दोत्र के बाहर: कृषि सबद्ध कार्यों की तरफ बढ़ना (जैसे पोलटी का काम, घकरी पालन, मछली पालन, डग्गी पाल-सञ्जिया, खाली प्रसंस्करण बगैरह जिनसे बैहतर रिटन भिल सकता है)

किसानों की आमदनी दोगुनी करने की रणनीति से जुड़े सुझावों पर अमल की निगरानी के लिए सरकार ने 23 जनवरी, 2019 को एक अधिकार प्राप्त समिति बनाई थी। किसानों वी आय दोगुनी करने का अभियान चुनौतीपूर्ण भल ही है, लेकिन हरों हासिल किया जा सकता है, बरते कृषि दोत्र में (i) विकास संबंधी पहला (ii) तकनीक और (iii) नीति संबंधी सुधार पर फोकस किया जाए। किसानों वी आय दोगुनी करने के लिए बनी कमेटी के सुझावों को लागू करने के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए जा चुके हैं। इनमें से कुछ कदम इस तरह हैं:

- राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के जरिए बाजार में अहम सुधारों पर काम;
- गोडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून को लागू करके राज्य सरकारों की मदद से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग (ठेके पर सोती) को बढ़ावा देना, ग्रामीण हाटों को अपग्रेड करना ताकि ये किसानों से कृषि उत्पादों की सीधी खरीदारी का प्रमुख केंद्र बन सके।
- किसानों को ई-नाम की सुविधा उपलब्ध कराना। यह इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है।
- किसानों को भूदा स्वारक्ष्य कार्ड बांटना ताकि

रासायनिक खाद के इस्तेमाल को सीमित किया जा सके:

v) प्रधानमंत्री कृषि सिवाई योजना (पीएमकोएसवाई) के जरिए कृषि कार्यों में पानी का येहतर और संतुलित इस्तेमाल सुनिश्चित करना— “प्रति घूट ज्यादा फसल”;

vi) प्रधानमंत्री फसल योजना (पीएमएफवीचाई) के तहत फसलों के लिए येहतर योग्य कन्सरज, ताफ़ि खेती का जोखिम कम किया जा सके;

vii) किसानों द्वारा रास्ती दर (4 प्रतिशत सालाना) पर कर्ज उपलब्ध कराना और पशुपन और माछली से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मुहूर्या कराना;

viii) राष्ट्रीय खरीफ और रवी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतारी करना और

ix) चुजुर्ग छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये तक की पेशन मुहूर्या कराना। इसके तहत पहले 3 साल में 5 करोड़ लाभार्थियों को इसके दावरे में लाना।

ये कदम किसानों की आय बढ़ाने में कारगर साधित हुए हैं। इसके अलावा, सरकार ने आवश्यक बरतु अधिनियम में संशोधन करते हुए भोटे अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया। इस ऐतिहासिक फैसले से न सिर्फ़ कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव होगा, बल्कि इससे किसानों की आय बढ़ाने से भी मदद मिलेगी।

#### आत्मनिर्भर भारत अभियान

आत्मनिर्भर भारत अभियान के शुरू होने से काफ़ी पहले, सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के लिए रणनीति तैयार कर उस पर अमल किया था। इसमें आय दोगुनी करने के लिए साल 2022 का लक्ष्य भी रखा गया था। जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, तो इससे किसानों की आय दोगुनी करने के अभियान को भी मदद मिली। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जहां सरकार आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में जुटी है और इसके बदले किसानों की आय बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को आर्थिक पैकेज के साथ जोड़ा गया है, ताकि कोरोना महामारी से निपटा जा सके।

कैद्यीय वित्तमंत्री ने 13 मई से लेकर 17 मई, 2020 तक, पांच घरणों में इस अभियान का ऐलान किया। इस मिशन के तहत, प्रवासियों और किसानों समेत गरीबों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनमें से कुछ इस तरह हैं:

i) 25,000 करोड़ की कर्ज सीमा के साथ 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी गई। इससे किसानों को महामारी से प्रभावित हुए यिन अपनी खेती का कम जारी रखने


## ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जबर्दस्त बढ़ावा

my  
GOV  
मेरी सेवा

वित्त मंत्रालय द्वारा 2.63 लाख ग्रामीण रक्षणीय निकायों (आरएलबी) को ₹15187 करोड़ जारी

28 राज्यों में 2.63 लाख आरएलबी को ₹15187.50 करोड़ की सहायता जारी

वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए 15प्रति वित्त आयोग ने प्रथम क्रिक्ट के रूप में अनुशासित किया।



इस ग्रांट का इस्तेमाल प्रेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल धनरक्षण, खेती और युवों में शौच मुक्त (ओडीएल) स्थिति के खलाफ के लिए किया जाएगा।

बुनियादी सेवाओं के वितरण को बढ़ावा, प्रगती मजदूरों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता और ग्रामीण बुनियादी द्वारे में वृद्धि में मदद मिलेगी।

में मदद मिलेगी:

ii) मार्च 2020 से अप्रैल 2020 के दौरान कृषि क्षेत्र में 86,600 करोड़ के तालीमीन 63 लाख कर्ज को मंजूरी दी गई;

iii) इसके अलावा, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास फंड के तहत मार्च 2020 के दौरान राज्यों को ग्रामीण आधारभूत संरचना के क्षेत्र में 4,200 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई;

vi) सरकार ने लघु छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी रक्कीम (ईसीएलजीएस) का भी ऐलान किया है, ताकि इस महामारी की चुनावियों से निपटा जा सके। इस योजना के जरिए 12 सरकारी बैंक और निजी क्षेत्र के 16 बैंक को एमएसएमई के लिए कर्ज देने की अनुमति दी गई है।

इन योजनाओं का मकानद एमएसएमई के लिए ऐसे फंड की अतिरिक्त उपलब्धता बढ़ाना है जहां उचारकर्ताओं की तरफ से गारंटीह इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का मुकाबला नहीं होने पर सरकार कर्ज देने वाले संस्थानों को होने वाले नुकसान की पूरी-पूरी भरपाई करने का आश्वासन देती है।

v) इसके साथ, मुद्रा योजना के तहत विभिन्न फायदे उपलब्ध कराए गए हैं। शिशु लोन के तहत 2 प्रतिशत सालाना व्याज पर एक साल के लिए कर्ज दिया जाएगा। इस मद में 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस कदम से कारोबारियों को शिशु उद्योगों में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

vi) मनरेगा, ग्रामीण क्षेत्र में येरोजगारी की समस्या से निपटने का कारगर हथियार उपलब्ध कर रहा है। हाल में मनरेगा के राहत मजदूरी की दर बढ़ाकर 202 रुपये (पहले यह 182 रुपये थी) कर दी गई है। इससे तकरीबन 13.52 करोड़ परिवासों को फायदा मिलेगा। कोरोना संकट के कारण अपने गांव लौटने वाले मजदूरों के लिए भी अभियान चलाए जा रहे हैं।

vii) इसके अलावा, गरीबों और प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में खाद्यान्न (हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहू़/चावल और 1 किलो चना) भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को भी मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। कोरोना के पाव पश्चात के बाद प्रवासी मजदूरों की ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बजाए से उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा है और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। इस घ्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 'एक देश एक काँड़' योजना के तहत जन वितरण प्रणाली का इस्तेमाल करने की सुविधा दी है।

viii) प्रधानमंत्री किसान योजना के जरिए 8.7 करोड़ किसानों के खाते में दो-दो हजार की रकम ट्रांसफर की गई

कैविनेट के फैसले  
8 जुलाई, 2020

## कृषि क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर

कृषि अवसरचना कोष के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी

कृषि के बाद इनकास्ट्रक्चर प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिवर्तनों के लिए क्राण की सुविधा दी जाएगी।

'ग्रामीण एफॉर्म्स', एफॉर्म्स, एमएचजी, किसान स्टार्टअप, गन्ड कृषि प्रसरण आधारित गतिविधियों के लिए बैंकों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये क्राण के रूप में दिए जाएंगे।

4 साल में क्राण की राशि जारी की जाएगी; 2020 में 10,000 करोड़ रुपये और अगले 3 वितर वर्ष में 30,000 करोड़ रुपये, जित वर्ष 2020 से 2029 तक इन नाम किया जाएगा।

प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की सीमा तक व्याज में 3% की सूट अधिकतम 7 घण्टों के लिए उपलब्ध होगी; पुरामुगातान के लिए क्राण 20 ग्राम 5 महीने में 2 वर्ष के लिए ही सकता है।

एपी इंफ्रा फंड को एमआईएस लेटफॉर्म के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा; राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय सिगरानी मणितों का गठन किया जाएगा।

है। इस कदम से बड़े पैमाने पर किसानों को वित्तीय मदद मिली है।

ix) केंद्र की मौजूदा सरकार ने 'बौकल फॉर लोकल' (देश में यन्हीं जीजों को प्राथमिकता) का नाम दिया है। पितमंत्री शीमली निमेला सीतारमण ने भी कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाया देने के लिए रेशानीय-रतार पर उपलब्ध उत्तादों को अडिनियत दी जाएगी। इस सिलसिले में असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसरणकरण उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए यह एक अच्छी पहल है और इससे किसानों की आय बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

इन योजनाओं से ज्यादातर लोगों (खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में) को फायदा होगा और सरकानवाद को बढ़ावा दिए जिन भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनने में सकल होगी। आत्मनिर्भरता के लिए अभियान के साथ ही, सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नई जान फूंकने के लिए प्रतिवद्ध है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी सरकारी योजनाएं

भारत में कोरोना महामारी के आगमन से काफी पहले, नवंबर 2019 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार पाने की क्षमता तैयार करने, कौशल विकास, किसानों / खेतिहार मजदूरों आदि को यैक का कर्ज मुहैया कराने के लिए योजना का ऐलान किया था। इससे पता चलता है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सिलसिलेवार और रणनीतिक तरीके से योजना तैयार कर इस पर अमल कर रही है।

इसके अलावा, सरकार की इन योजनाओं से किसानों को प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिल रही है। ये योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के लिए काफी उपयोगी हैं और इनसे गांवों के लोगों की जिंदगी और उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाय देखने को मिल सकता है:

i) कौंयर उद्यानी योजना: यह कौंयर इकाई स्थापित करने के लिए क्रॉडिट लिंक वाली सब्सिडी योजना है। ऐसी परियोजनाओं की लागत 10 लाख रुपये तक ही सकती है। इसके अलावा, कार्यशील पूजी की भी जरूरत होती है जो परियोजना लागत का 25 प्रतिशत से ज्यादा होना चाहिए।

ii) कौशल विकास और महिला कौंयर योजना: इस योजना का मकासद घरेलू और विदेशी बाजारों का विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, महिलाओं का सशक्तीकरण, रोजगार / उद्यमिता का विकास, कच्चे माल का बेहतर इस्तेमाल, कौंयर कमियों के लिए सुविधाएं मुहैया कराना है। महिला कौंयर योजना का मकासद उधित कौशल प्रशिक्षण के बाद सब्सिडी पर कताई से जुड़े उपकरण उपलब्ध कराकर महिलाओं को सशक्त बनाना है।

iii) प्रधानमंत्री रोजगार सूजन कार्यक्रम: यह योजना,

दो योजनाओं का मिला-जुला रूप है—प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सूजन कार्यक्रम। यह क्रेडिट लिंक वाला समिक्षियों का कार्यक्रम है जिसका मकसद ग्रामीण और शहरी इलाकों में छोटे उद्यमों की स्थापना कर रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

iv) प्रधानमंत्री आवास योजना—यागीण : प्रधानमंत्री आवास योजना—यागीण (पीएमएवाई—जी) का मकसद ग्रामीण इलाकों में सभी के लिए घर मुहैया कराना है। इसके तहत कच्चे और जर्जर मकानों में रह रहे लोगों के लिए साल 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से लैस पक्का घर मुहैया कराना है।

v) दीनदयाल अंत्योदय योजना : इस योजना का मकसद शहरी गरीबों के जीवन को बेहतर बनाना है। इसके तहत कौशल विकास के ज़रिए आजीविका के लिए अवसर प्रदान किए जाने की बात है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएन) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), दोनों को मिलाकर बनाई गई है। इस योजना में चरणबद्ध तरीके से जरूरी सेवाओं से लैस डिकाना मुहैया कराया जाता है।

vi) उजाला 2019 : इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था जिसके तहत सरती कीमत में एलईडी बल्ब मुहैया कराया जाता है। इस योजना का मकसद विजली की खपत कम करना है। ताकि विजली विल कम होने के अलावा पर्यावरण की सुरक्षा भी संभव हो सके। योजना के तहत बीटर कनेक्शन वाले सभी ग्राहक संवंधित विजली वितरण कंपनी से बाजार मूल्य के 40 प्रतिशत मूल्य पर एलईडी बल्ब प्राप्त कर सकते हैं।

vii) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पलैगशिप योजना है। इस कौशल प्रशिक्षण योजना का मकसद बड़ी संख्या में युवाओं (ग्रामीण और शहरी दोनों) को उद्योग—आधारित कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराना है, ताकि उन्हें आजीविका का बेहतर साधन हासिल करने में मदद मिल सके। इस योजना के तहत, प्रशिक्षण और आकलन से जुड़ी फीस का भुगतान सरकार ह्वारा किया जाता है। करीब 1 करोड़ युवाओं को फायदा पहुंचाने के मकसद से इस योजना को और 4 वर्षों (2016–2020) के लिए मंजूरी दी गई।

viii) आयुष्मान भारत : यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसका मकसद 10 करोड़ से भी ज्यादा गरीब और कमज़ोर परिवर्तों के लिए स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इससे बड़े पैमाने पर किसानों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने में मदद मिलेगी।

फैटिंगेट की मंजूरी: 24 जून, 2020

## कोविड-19 के दौरान छोटे स्थानों को सहात

मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण पर 12 माह की अवधि के लिए 2% व्याज समिक्षियों को मंजूरी



31 मार्च 2020 तक के बजाया ऋण और जो एनपीए-श्रेणी से बाहर है, इसके दायरे में आएं

सिड्की के माध्यम से लागू किया जाएगा

- 01 जून 2020 से 31 मई, 2021 तक चलने वाली इस योजना से 9.37 करोड़ ऋण खातों को फायदा होगा
- ऋणदाताओं द्वारा उथारकर्ताओं के लिए मोरेटोरियम की अनुमति, 01 सितंबर, 2020 से 31 अगस्त, 2021 तक जारी रहेगी

भारत सरकार द्वारा इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 1,542 करोड़ रुपये होगी

ix) पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित और अपग्रेड करने के लिए फंड (स्फूर्ति) : इस योजना का मकसद बलस्टर—आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करना है, जिसमें बांस, शहद और खादी पर प्रशोष ध्यान देने की बात है। इससे ग्रामीण कार्यक्रम की आमदनी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

x) नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा : इस योजना के तहत 2019–20 में आजीविका के लिए कारोबार इनक्यूबेटर (एलबीआई) और तकनीक कारोबार इनक्यूबेटर (टीबीआई) रथापित किए गए, ताकि कृषि—ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों में 75,000 उद्यमी तैयार किए जा सकें।

xi) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई): इसका मकसद अगले 5 साल में 20,000 करोड़ के निवेश से मछली का उत्पादन 2.20 करोड़ मीट्रिक टन (LMT) तक पहुंचाना है। इससे मछली पालन के प्रबंधन ढांचे को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, प्रसलन आधुनिकीकरण, गुणवत्ता नियन्त्रण आदि।

आगे की राह

शहरीकरण में जर्वेस्ट बड़ोतरी के बावजूद साल 2050 तक देश की आधी से ज्यादा आबादी के ग्रामीण इलाकों में ही रहने का अनुमान है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना देश के



## डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत

सशक्तिकरण, समावेशन  
और परिवर्तन की दिशा  
में अभूतपूर्व पहल (2/2)

426 योजनाओं के लिए डीबीटी के माध्यम से 11.1 लाख करोड़ रुपये वितरित, इससे 1.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई।

38.73 करोड़ जनधन खाते खोले गए, लाभार्थी के खातों में कुल 1.33 लाख करोड़ रुपये की राशि जमा है।

मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन यूजर्स की संख्या कमशः 117 करोड़ और 68.8 करोड़ हो गई है।

1 जुलाई, 2015 को लॉन्च हुए डिजिलॉकर के जरिये 378 करोड़ दस्तावेज जारी किए गए।

दिनांक: 2 जुलाई, 2020

सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए काफी अहम है। ऐसे में योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए सरकार अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही है, ताकि 'आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इसके लिए कुछ अहम क्षेत्रों में तत्काल सुधार की ज़रूरत है। ये कुछ इस तरह हैं—

i) मनरेगा में जल्दी बदलाव करना, ताकि इस योजना को लागू करने में किसी भी तरह के कुप्रबंधन से बचते हुए गरीबों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। चूंकि सरकार का जोर जन-धन बैंक खातों के जरिए आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर है, इसलिए कुप्रबंधन को दुरुस्त किया जा सका है;

ii) ऐसे युवाओं को उद्यमी या स्वरोजगार के लिए तैयार करना, जो आजीविका के रथानीय सिस्टम से जुड़े हैं;

iii) छोटे-स्तर पर मुर्गीपालन/अंडा उत्पादन और यकरी पालन को बढ़ावा देना और इससे जुड़ी सुविधाएं मुहैया करना;

iv) छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए किसान उत्पादन संगठनों को प्रोत्साहित करना;

v) रासायनिक खाद के प्रचुर इस्तेमाल पर आधारित खेती से पर्यावरण के अनुकूल खेती की तरफ यद्देने के लिए किसानों के साथ काम करना;

vi) गांव के उद्यम की सफलता के लिए गांवों को सहकार से और डिजिटल तौर पर जोड़ना जरूरी है। इसमें सहकार/हाइब्रिड से राहत मिलेगी और कल्याणकारी योजनाओं में सुधार होगा;

vii) बलस्टर-आधारित खास तरह की खेती, जीविक खेती को बढ़ावा, किसानों के संगठनों को सहयोग, मछली पालन और पशुओं से जुड़े किसानों के लिए कई उपलब्ध कराना;

viii) पशुओं, मछली, डेयरी, सब्जी, फल और खाद्य प्रसंस्करण के काम में ज्यादा अम की ज़रूरत होती है और इनसे आमदनी भी अच्छी होती है।

शोध और विकास के मोर्चे पर दशकों तक उपेक्षा, बाजार की कमी, नियात नीति में अस्थिरता आदि के बाद मौजूदा संकट इस क्षेत्र के लिए एक अवसर हो सकता है। सरकार ग्रामीण विकास से जुड़ी अपनी योजनाओं के जरिए इन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है।

## निष्कर्ष

कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था की सफलता की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का यह कथन बेहद सटीक है कि भारत आत्मनिर्भर होने के लिए आत्मकंट्रित प्रणाली की बिकालत नहीं करता, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता में पूरी दुनिया की खुशी, सहयोग और शांति के लिए चिंता है। यह तभी हासिल किया जा सकता है, जब आत्मनिर्भर भारत अभियान को सही तरीके से लागू कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया जाए। यह अभियान देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सुधारवादी पैकेज की तरह है।

आज के दौर में ग्रामीण भारत न सिर्फ उपमोक्ता सामाजिक दोषहिया वाहनों, खेती से जुड़े उपकरण, निर्माण और कई अन्य क्षेत्रों के विकास का इंजन है। लिहाजा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए बिना देश के बाकी हिस्सों में विकास की रूपान्तरी तेज नहीं होगी। ऐसे में रणनीतिक वित्तीय योजनाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।

सरकार अर्थव्यवस्था में सुधारों को लागू करने में जुटी है, ताकि आने वाले दिनों में इसका आर्थिक लाभ उठाया जा सके। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने की राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की भी जिम्मेदारी बनती है और उन्हें इस दिशा में मिलाकर काम करना चाहिए। यह सामूहिक प्रयास आखिरकार किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मददगार राहित होगा और अगर हमारे किसानों की तरकी होती है, तो निश्चित तौर पर हमारे देश का विकास होगा। अगर ऐसा होगा, तो महात्मा गांधी जी ये शब्द हकीकत बन जाएंगे, "भारत का भविष्य इसके गांवों में है।"

(लेखक एरियाणा के द्वाय विश्वविद्यालय में कूलपति है।  
ई-मेल : vch@vuh.ac.in)

# कृषि क्षेत्र में सुधारों की मज़बूत नींव

— भवन भास्कर

फेंड रास्कार ने लॉकडाउन के दौरान कृषि बौज में रुपार हेतु कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर कोरोना के संकटकाल को कृषि और निर्मानों नींव बेचारी के लिए एक अवसर में बदलने की कोशिश की है। रास्कार की कुछ घोषणाएं तो ऐसी हैं, जिनमें तुरंत परिणाम दिए हैं। जिस समय नौकरीपेशा गत्य वर्ग और गजदूरों को असीम आर्थिक रांकट सहने पड़े, उस समय भी निर्मानों ने इस परिणामी के पर्याप्त इंशायात्रा को बेहतर बारीके सी संभाला है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण रास्कार की ये पोषणाएं हैं, जो दूरगाही हैं और जो देश के कृषि बौज को धूमेशा के लिए बदल देने का दम रखती है।

**को** विड-19 के कारण पैदा परिस्थितियों ने पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया है, जिससे उबरने के लिए अब तमाम देशों की रास्कारे अपनी-अपनी तरह से कोशिशें कर रही हैं। भारत ने भी हालात को सामान्य करने के लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन तमाम आर्थिक गतिविधियों में बाधाओं के बीच भारतीय कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन ने हर किसी को ठहर कर सोचने के लिए बिक्षण किया है।

जिस समय कोरोना के कहर को रोकने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की, उस समय देश का किसान अपनी 3-4 महीनों की मेहनत का फल समेटने वाली तैयारी कर रहा था। रसी की फरल या तो कट चुकी थी और किसान के पास विकने के लिए पड़ी थी, या फिर कटने के लिए पूरी तरह तैयार थी और खेत में खड़ी थी। जिन किसानों ने हार्डिस्टन पूरी कर ली थी, उनके सामने विकट समस्या थी कि उसे बेचे कहाँ क्योंकि न तो माल कहीं ले जाने के लिए परिवहन उपलब्ध था और न ही उसे बेचने के लिए मंडिया या व्यापारियों की दुकानें खुली थीं। जिन किसानों की फसलें खेत में खड़ी थीं और उन्हें तुरंत काटा जाना आवश्यक था, उनके लिए मज़बूर, मशीनों की उपलब्धता इत्यादि बड़ी समस्या बनकर सामने थी। इतना ही नहीं खरीफ की बुवाई की तैयारी भी किसानों के लिए एक धूनीती थी क्योंकि बीज, खाद, इत्यादि की रसी दुकानें भी बंद थीं।

किसान आर्थिक तौर पर देश के सबसे कमज़ोर वर्गों में शामिल हैं और इन परिस्थितियों में यह आशंका सबके सामने थी कि इस लॉकडाउन के परिणाम किसानों के लिए भयानक सायित हो सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन की आधि खत्म होते-होते जो खबरें सामने आईं, वे न केवल राहत भरी थीं, बल्कि उन्होंने यह भी सावित किया कि कृषि आज भी देश का सबसे मज़बूत आर्थिक अंग है और भारत का किसान अपनी किस्मत का रुख रवय नोड देने में सक्षम है, यदि उसे सरकार का थोड़ा-सा सहयोग मिल जाए।

लॉकडाउन के तुरंत बाद सरकार ने किसानों को अपना माल बेचने में सुविधा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए। ये कदम तीन चरणों में लगाए गए,

जिन्हें कोरोना राहत, मध्यम अधिकी की राहत (खरीफ की बुवाई में सहयोग) और दीर्घकालिक राहत (आने वाले महीनों और वर्षों में कोरोना के असर को नियमिती करने और कृषि के विकास के लिए मज़बूत आधार तैयार करने) की श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

किसानों के लिए फौरी राहत

प्रधानमंत्री ने 25 मार्च को पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की। यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक चलना था। इसलिए सरकार ने लॉकडाउन 1.0 खत्म होने का इंतजार किए जिन रथी की फसल काटने और बेचने के मुहाने पर बैठे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए राहत का यहला चरण प्रारंभ किया। अप्रैल के पहले हफ्ते में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि याजार (ई-नाम) की घौषी वर्षगांठ (14 अप्रैल) के अवसर पर एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की। इसमें राज्यों से कहा गया कि वे बेयरहाउसिंग बौज के नियमक बेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेग्लेटरी अथेस्टी (डब्ल्यूडीआरए) से मान्यता प्राप्त सभी बेयरहाउस को तीन



## कृषि इंप्रोस्ट्रुचर, लॉजिस्टिक्स व क्षमता निर्माण के सुधूलीकरण हेतु पहल



**फोर्म्यूलेट इन्प्रोस्ट्रुचर के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि आधारभूत दोषों का**

**प्राथमिक कृषि सहायता नियमितियों, कृषि उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यार्थियों, स्टार्ट-अप आदि को हाथा लाभ**

**कोल्ड चेन और पोर्ट हाईवेस्ट मैनेजमेंट इन्प्रोस्ट्रुचर से मूल्य बढ़ावानों की विकासी को दूर किया जाएगा।**

**कृषि बाद उपज के प्रबन्धन हेतु कियायती और नियमित रूप से असहायी आधारभूत दोषों से बिलास की प्राप्ताइन**

G ₹ 2020 में लिए 20 लाख करोड़ रुपये। तिथि: 15 अगस्त 2020



महीनों के लिए मंडी का दर्जा वे और किसानों को यह सुविधा दी जाए कि वे इन वेयरहाउस से ही ई-नाम के जरिए ऑनलाइन आपनी उपजों को बिलास कर सकें।

दरअसल केंद्र का यह राज्यों से अपने पुराने घादे को पूरा किए जाने का अनुरोध था, जो उन्होंने ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते बक्ता किया था। इस प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए राज्यों को केंद्र से संबिंदी का भुगतान किया जाता है और ऐसे 18 राज्य तथा 3 केंद्रशासित प्रदेश हैं, जो इससे जुड़ चुके हैं।(1) इससे जुड़ते समय राज्यों को अपने एपी ग्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) एवं मुद्रार कर केंद्र के मॉडल एपीएमसी एक्ट को लागू करने का चबन देना होता है। ऐसा करने पर एक तो पूरे राज्य को एक एपीएमसी मंडी लाइसेंस फे दायरे में लाने की शर्त होती है और दूसरा, उन्हें डब्ल्यूडीआरए से मान्यता-प्राप्त गोदामों को उप-मंडी का दर्जा देना होता है। कई राज्य जिन्होंने ई-नाम में जुड़ने के लिए संबिंदी का लाभ ले लिया है, वे भी अब तक एपीएमसी कानून में अपेक्षित युधार नहीं कर सके हैं। ऐसे ही राज्यों के लिए केंद्र ने यह नोटिफिकेशन जारी किया।

राज्यों के इस कदम से किसानों को अपना माल बेचने में बहुत सहलियत हो जाएगी, क्योंकि तब उन्हें अपनी उपज मडियों की जगह सिर्फ पास के वेयरहाउस में ले जाने की आवश्यकता होगी। किलहाल (17 जुलाई तक) देश में डब्ल्यूडीआरए से मान्यता-प्राप्त कुल 1795 वेयरहाउस हैं।(2) इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने उसी अधिसूचना में यह भी कहा कि डब्ल्यूडीआरए से मान्यता-प्राप्त वेयरहाउस से ऑनलाइन बेचे जाने वाले माल के लिए किसानों को इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएशन वेयरहाउसिंग रिसीट (ईएनडब्ल्यूआर) जारी किया जाए।

ईएनडब्ल्यूआर साल 2017 में शुरू किया गया एक इंस्ट्रुमेंट है,

जो सिर्फ डब्ल्यूडीआरए से मान्यता प्राप्त वेयरहाउस ही जारी कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक रसीद है, जो निगोशिएशन के दौरान खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है और हस्तांतरित भी किया जा सकता है। डब्ल्यूडीआरए से मान्यता-प्राप्त वेयरहाउस को ही ईएनडब्ल्यूआर जारी करने का अधिकार दिए जाने के पीछे यह कारण है कि किसी भी वेयरहाउस को कुछ मानक सुविधाएं प्रदान करने पर ही यह मान्यता मिलती है। इन सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ लाई जाने वाली उपज की ग्रेडिंग और असेईंग है, जिससे फसलों की सही गुणवत्ता की जानकारी मिलती है। इस गुणवत्ता को ईएनडब्ल्यूआर पर दर्ज किया जाता है, जिससे कि यह इंस्ट्रुमेंट किसी भी खरीदार या कर्जे देने वाली संस्था के लिए एक भरोसेमंद दस्तावेज की तरह काम करता है।

इन वेयरहाउस को मंडी का दर्जा देने और यहाँ से ई-नाम के जरिए किसानों को माल बेचने की सुविधा देने और उस माल के लिए ई-एनडब्ल्यूआर की सुविधा देने सबधी केंद्र सरकार की अधिसूचना का महत्व समझाने के लिए इसके काम करने के तरीके को समझाना आवश्यक है। इस व्यवस्था के तहत किसान देश के लगभग 1800 वेयरहाउस में अपना माल लेकर जा सकते हैं, जहाँ पहुंचते ही इनके माल की ग्रेडिंग, असेईंग कर उसके लिए ईएनडब्ल्यूआर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद उनका माल ई-नाम के जरिए ऑक्शन होगा और जैसे ही उन्हें खरीदार भिल जाएगा, तो वे सीधे उसे ईएनडब्ल्यूआर की विक्री कर सकते हैं। इस तरह उन्हें माल को वास्तविक रूप में खरीदार के पास भेजने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इतना ही नहीं, यदि किसी किसान को यह लगे कि उसकी फसल को उद्योग कीमत की बोली नहीं भिल रही है, तो वह ईएनडब्ल्यूआर के आधार पर किसी भी बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) से कर्ज़ी भी से सकता है और माल को यही वेयरहाउस में रखकर कुछ किराए के एवज में सही भाव भिलने तक इंतजार कर सकता है। केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए ये निर्देश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आए और इसलिए शायद ही देश के किसी हिस्से से किसानों द्वारा अपना माल न बेच पाने की शिकायत आई।

### मध्यम अवधि में राहत के उपाय

इस अधिसूचना को जारी करने के कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन 20 की घोषणा होने के अगले ही दिन 15 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए, जिसका पूरा फोकस दरअसल किसानों को उनकी फसलों की विक्री और अगले सीज़न की बुवाई के लिए सुविधा देना था। इस दिशानिर्देश में कहा गया कि, '20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, कृषि उत्पादों की खरीद, निलिया शामिल हैं। कृषि में काम आने वाली मशीनें, उनके कल-पुर्जे, सलाई चेन, मरम्मत और मशीनों से संबंधित 'कस्टम हायरिंग सेंटर' खुले रहेंगे।' सरकार के इस एक कदम से किसानों को एक और जहाँ रवी की

फसलों को बेचने का जरिया भिला, वहीं खरीद की बुवाई के लिए तमाम साधन भी उन्हें उपलब्ध हो गए।

सरकारी एजेंसियों ने घेहतीन काम करते हुए तमाम मुश्किलों के बावजूद खरीद के ज्यादातर लक्ष्यों को हासिल किया। पंजाब ने जहाँ 31 मई की समय—सीमा से लगभग एक पखवाड़ा पहले ही 1.27 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल कर लिया, वहीं नव्य प्रदेश ने 8 जून तक की गई खरीद में करीब 30 हजार टन से पंजाब को पीछे छोड़ते हुए गेहूं की खरीद करने वाले राज्यों में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया। राज्य में गेहूं खरीद की आधिरी तारीख 15 जून थी, तो जाहिर है अगले एक हफ्ते में राज्य ने और बड़ी मात्रा में खरीद की होगी। सिफ्ट 8 जून तक की गई खरीद के अंकड़े ही देखें, तो यह पिछले साल की 73.69 लाख टन खरीद के मुकाबले 74 प्रतिशत ज्यादा है।

लॉकडाउन में सामाजिक दूरी के सिद्धांत को मरकार रखते हुए किसानों को राहत देने के लिए नव्य प्रदेश सरकार ने 4529 खरीदी केंद्र तैयार किए, जोकि पिछले साल के 3535 केंद्रों के मुकाबले करीब एक—तिहाई ज्यादा थे। जिला कलक्टरों को हर केंद्र के लिए किसानों की संख्या तय करने का अधिकार देकर ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि केंद्र के आधार पर किसानों को एसएमएस भेजा जाए। किसानों को एसएमएस के ज़रिए केंद्रों पर अपना माल लेकर बुलाया गया, और इस तरह सभ्य ने सफलतापूर्वक एक नव्य कीर्तिमान रखा।

पूरे देश में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2 मई को लॉकडाउन 2.0 खत्म होने से एक दिन पहले तक रवीं सीजन 2020–21 के तहत छह राज्यों, नव्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में 2.61 लाख टन दालों और 3.17 लाख टन तिलहन की खरीद की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बीं गई इस खरीद के माध्यम से सरकार ने 3.25 लाख से अधिक किसानों को 2682 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जोकि एक किसान के लिए औसत 83000 रुपये से कुछ ज्यादा है। लॉकडाउन के समय किसानों के लिए यह एकम कितनी मूल्यवान रही होगी, इसे आसानी से समझा जा सकता है।

सरकार की ओर से की गई जबर्दस्त खरीद और किसानों को इनपुट और मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का नतीजा खरीफ सीजन की बुवाई पर साफ दिखा। केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019–20 के दौरान जहाँ देश में कुल 94.2 लाख हेक्टेयर जमीन पर खरीफ की बुवाई की गई, वहीं चालू साल के दौरान यह केंद्रकल बढ़कर 1.313 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गया। यह इताफ़ाक नहीं हो सकता कि जब तमाम याजार बंद थे, सार्वजनिक परिवहन ठप पड़ा था और रेल रोवा आशिक तीर पर चल रही थी, उस समय देश के किसानों ने पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत ज्यादा जमीन पर बुवाई का काम सफलतापूर्वक पूरा किया। दरअसल इस रिपोर्ट तक पहुंचने के

लिए सरकार द्वारा किसानों तक बुवाई के लिए आवश्यक हर समय साधन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई सुव्यवरिधित योजना का इसमें बड़ा योगदान है।

यदि अलग—अलग फसलों की बुवाई का आकड़ा देखें तो एक बहुत ही खास रूझान सामने आता है। जहाँ चापल की बुवाई का रक्का पिछले साल के 10.28 लाख हेक्टेयर से घटकर 10.05 लाख हेक्टेयर रह गया, वहीं दालों की बुवाई का रक्का 2.22 लाख हेक्टेयर से दोगुना होकर 4.58 लाख हेक्टेयर हो गया। गन्ने की बुवाई में पिछले साल के मुकाबले महज 62000 हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी हुई और यह 48.62 लाख हेक्टेयर पर पहुंचा, वहीं तिलहन का रक्का साल भर में 1.63 लाख हेक्टेयर से लगभग 800 प्रतिशत बढ़कर 14.36 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। यहीं हाल कॉटन में भी दिखा, जहाँ रक्का पिछले साल के 18.18 लाख हेक्टेयर से 50 प्रतिशत बढ़कर 28.77 लाख हेक्टेयर पहुंच गया, जबकि जूट गों बुवाई साल भर पहले के मुकाबले 30,000 हेक्टेयर कम होकर 5.78 लाख हेक्टेयर रही। यहाँ तक कि मोटे अनाज की बुवाई का रक्का भी पिछले साल के मुकाबले कमी 150 प्रतिशत बढ़कर 19.16 लाख हेक्टेयर पहुंच गया। बुवाई के आंकड़ों को यदि 1 जून की खरीफ फसलों के एमएसपी में की गई बढ़ोत्तरी के साथ मिलाकर देखें, तो एक साफ लडान दिखता है। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईवी) की 1 जून को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जिन फसलों के एमएसपी में सबसे ज्यादा बृद्धि की गई है, उनमें नाइजर सीड और तिल जैसी तिलहन, उड्ड जैसी दलहन और कॉटन जैसी नक्की फसल शामिल हैं।

दीघाविधि में कृषि को मजबूती देने के लिए किए गए फैसले

कृषि और किसानों को कोविड-19 के दुष्प्रभावों से बचाने के

#AatmaNirbharDesh



### विषयन का विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विषयन सुधार



सर्वेक्षण में एमएसपी में विवरान तेजल साइसेसी गन्ने अपनी कृषि उपज बेचने के लिए बाध्य है।

उसके परिणामस्वरूप कृषि उपज के मुताबिक भवान में बाधाओं के साथ-साथ बाजार और आपूर्ति श्रृंखला का विकल्प होता है।

एक वैद्युतीकामन तेजल वित्याजार:

- उत्तराखण्ड पर आपनी उपज को बेचने के लिए एकाजन विकल्प
- तिलीव उत्तराखण्ड व्यवाहार
- बृंदी उपज की दूसरी वित्याज के लिए एक वर्ष बनाना।

प्रभावजनक व्यवस्थाएँ विकल्प बनाना।



लिए दो बड़े-बड़े फैसले लेने के बाद अलग-अलग सेवटरों के लिए दिए जाने वाले पैकेज की सुधारता में 15 मई को वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कृषि के लिए 11 सूनीय कार्यक्रमों और सुधारों की घोषणा की। इनमें पहले 8 विदुओं में सरकार ने कृषि और किसानों के लिए युनियादी ढांचा, क्षमता निर्माण और बेहतर लॉजिस्टिक्स से संबंधित घोषणाएं कीं, जबकि आखिरी की 3 विदु दांचागत सुधारों से संबंधित हैं। वित्तमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि युनियादी ढांचा फंड बनाने की बात कही, जिससे किसानों के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी खेत से फसल के निकलने और मंडी तक पहुंचने के बीच उसे साफ करने और उसकी ग्रेडिंग करने के लिए आवश्यक युनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा।

वल्लीनिंग और ग्रेडिंग ऐसी गतिविधियां हैं, जिन्हें पूरा कर किसान अपनी फसलों की कीमत में आसानी से 20-40 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं, जिसके कारण किसान की सारी फसल की कीमत उसके सबसे घटिया हिस्से के आधार पर लगा दी जाती है और उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। वित्तमंत्री ने 2020-21 के दौरान डेयरी सहकारी समितियों की 2 प्रतिशत सालाना की व्याज छूट देने की घोषणा की, जिससे 2 करोड़ किसानों तक 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकदी पहुंचने की समावना है। सरकार ने यह कदम कौरोना के कारण दूध की मांग में 20-25 प्रतिशत की कमी को देखते हुए किसानों को फौरी राहत पहुंचाने के लिए उठाया है। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (एमएफई) के फॉर्मलाइजेशन के लिए 10000 करोड़ रुपये देने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'चोकल फॉर लोकल' विजय के तहत वित्तमंत्री ने यह घोषणा की।

#AatmaNirbharDesh

my GOV

## कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन



किसानों को बुकाई के समय फसलों की अनुमानित कीमतों के लिए एक मानक तंत्र की कमी होती है।

निजी क्षेत्र का निवेश इनपुट और जानकारियों को प्रदान करने में साथक है।

जैविक और पारदर्शी तरीके से प्रोतोसर, एग्रोटर, बड़े सुदूर विकेताओं, नियालकों आदि के साथ जड़ने में किसानों को सक्षम बनाने के लिए कानूनी संरचना तैयार किया जाएगा।

किसानों के लिए जोखिम में कमी, सुनिश्चित रिटर्न और गुणवत्ता मानकीकरण इस सरचना का अभिन्न अंग होंगा।

मत्स्य पालन के विकास के लिए दो घोषणाएं की गई, जिनमें पहली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जिसके तहत फिशरीज के विकास पर 20000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत 55000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही मरीन कैप्यर फिशरीज और एक्चाकल्चर के कामकाज में इनलैड फिशरीज को भी शामिल करने की घोषणा की गई। दो और घोषणाएं पशुपालन से संबंधित हैं, जिनमें 13,343 करोड़ रुपये के साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम शुरू करने और 15000 करोड़ रुपये के साथ राष्ट्रीय पशुपालन युनियादी ढांचा विकास फंड के माध्यम का फैसला किया गया।

कौरोना काल में पूरी दुनिया में प्रकृति के साथ सहजीविता और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के प्रति लोगों की रुचि काफी बढ़ी है। इसे किसानों के लिए एक वाणिज्यिक अवसर में बदलने के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिसका इस्तेमाल अगले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर हर्वेल खेती को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। साथ ही, राष्ट्रीय चिकित्सकीय पौधा बोर्ड गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर जमीन का एक ऐसा कॉरिडोर भी विकसित करेगा, जिसमें चिकित्सकीय पौधे लगाए जाएंगे। इनके अलावा, मधुमक्खी पालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया गया, जिसके तहत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, संग्रहालय, विपणन और भंडारण केंद्र, पोस्ट-हार्डस्ट और मूल्यवर्द्धन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आमदानी में बढ़ोत्तरी का अनुमान जताया गया है। इन सबके साथ सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन का दायरा टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) से बढ़ाकर उसमें सभी फलों और सब्जियों को शामिल करने का भी फैसला किया।

### वर्षों से रुके कृषि सुधारों पर फैसला

निश्चित तौर पर 8 विदुओं में की गई इन घोषणाओं से किसानों, पशुपालकों, मधुमक्खीपालकों और मत्स्य पालन का काम करने वालों को वित्तीय सहायता मिलेगी, लेकिन वित्तमंत्री ने जो आखिरी 3 घोषणाएं की, उनका प्रभाव और महत्व ऐतिहासिक है। दशकों से कृषि अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ जिन सुधारों को कृषि क्षेत्र की ज्यादातर समस्याओं का समाधान बताते रहे थे और जिनके लिए केंद्र की मोदी सरकार पिछले 6 सालों से लगातार प्रयास कर रही थी, वे सारे सुधार एक झटके में वित्तमंत्री ने घोषित कर दिए।

कौरोना के संकटकाल से देश के किसानों और कृषि क्षेत्र को उबारने के लिए सरकार ने अद्भुत इच्छाशक्ति दिखाते हुए उन कानूनों में भी केंद्रीय अधिकारी का प्रयोग कर बदलाव की घोषणा की, जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने के कारण दशकों से लटके पड़े थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणा एपीएमसी कानून में सुधारों की थी। एपीएमसी कानून 2003 में लागू किए गए थे, जिसके बाद किसी भी किसान के लिए एपीएमसी भंडी के बाहर अपनी फसल बेचने और किसी भी खरीदार द्वारा मंडी के बाहर फसल खरीदने

को ऐसकानूनी घोषित कर दिया गया था। यह किसानों को नियन्त्रण को कॉर्टपोरेट या यह सामाजिकों के शोभण से बचाने के लिए प्रयोग था, लेकिन और-जौरे शोषण यह खोरेख भव गया था।

पौल्युदा दौर में जब किसानों 20 लाख पहले की तुलना में कही अधिक जागरूक और राखना है, जब जिसान उत्पादक रागड़न (एफपीओ) और-जौरे एक मलायूल चारीनारी इकाई यह कर उपर से है, तब यह कानून किसानों को उनको कीभतों तथा राही भाव दिला दिया जाने में एक बड़ी वाता बनाने लगा है। वहाँ से इसे बदलने वाले भाग से रही भी, लेकिन वर्षोंके यह कानून राज्यों के ताजा आता है, जो केंद्र सरकार केवल राज्यों से अनुरोध करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब केंद्र ने 6 जून को आख्यादेश के जरिए इस कानून को बदल दिया है। यह अब सरकार से पारा होगा और किस राज्यों को लिए बदलावनी होगा। नए कानून के तहत एपीएमरी कानून के बदल भाइयों की चारीनारी के भीतर पार्श्व होगा और कोई भी किसान या एफपीओ कही भी अपना माल बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। इसका व्यापक असर होगा। यह प्रोसेसर सीधे एफपीओ से माल खरीद सकेंगे। एस उपर विचालियों की भूमिका सीमित होगी और दूसरी और अब्दी गुणवत्ता की फसल के लिए कई प्रोसेसर और गिलर प्रतिक्रिया कर सकेंगे और एफपीओ को चावरां प्रतिरक्षणी भाव हारिल होगा।

दूसरा महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक चर्तु अधिनियम (ईसीए) को कीला कर दिया गया है। लगभग 55 साल पुराने इस कानून के तहत सरकार किसी भी समय किसी भी कमोडिटी पर रट्टीक लिमिट लगा सकती थी। यानी यदि किसी व्यापारी या कंपनी ने अपने वेयरहाउस में 50000 टन सूर की धात रखी हो और सरकार फैसला करती है कि वहाँ में 10000 टन का रट्टीक लिमिट होगा, तो उस व्यापारी या कंपनी को रातोंरात 40000 टन बेचना होगा। इसका नतीजा यह हुआ कि कभी किसी भड़े कॉर्टपोरेट ने या प्रोसेसर या गिलर ने अपनी वेयरहाउस या भंडारण क्षमता पिकरित नहीं की। यही कारण है कि पिछले 50 सालों में देश ज्यादातर कमोडिटी में आयातक से निर्यातक यन दिया, लेकिन देश में भंडारण क्षमता का विकास नहीं हो सका। इसका नतीजा यह होता है कि जहाँ एक और हावेस्ट रीजन में कमोडिटी के भाव जमीन पर पहुंच जाते हैं और किसानों को भारी नुकसान होता है, वही ऑफ-रीजन में उन्हीं कमोडिटी के भाव आसमान छूने लगते हैं और केवल विचालियों और जमाखोरों को इसका फायदा होता है। यही नहीं, वेयरहाउसिंग में कॉर्टपोरेट उदासीनता के कारण भाव वेयरहाउसिंग तकनीक में बहुत ज्यादा पिछड़ा है। फलों और सब्जियों की तो भंडारण क्षमता ही नहीं बनी है, लेकिन आलू के कोल्ड रटोर्ज जहाँ राख्या में पर्याप्त हैं वही पिछड़ी तकनीक के कारण इनमें आलू नष्ट होने की दर 8-10 प्रतिशत है। विकरित देशों में यह दर 2 प्रतिशत है। न तो तकनीक में नियेश आकर्षित हो सका है न कमता निर्माण में। नतीजतन योई भी एफपीओ अपने माल को किसी एक व्यापारी या कॉर्टपोरेट को बेचने में कठिनाई

## वेत्तर मूल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक तस्तु अधिनियम में संशोधन



द्वितीय प्राप्तिकारी और नियेश को अपने बदल मूल्य प्राप्ति हेतु किसानों द्वारा बनाने की आवश्यकता है।

अनाव, खाली तेल, गिलान, लहन, व्याज और आलू को नियेश से भुगता जाएगा।

राशीक आपदा, किसानों में बुद्धि वा जात अवाल त्रैमासिक प्रतिवर्षीयों में ही स्टोक तीव्री के बढ़ावाएँ जारी होती आती हैं।

लोई रटीक नीया प्रोसेसर या मूल्य बंदूलों के वालोंदातों पर लागू नहीं होगा, स्थानित द्वामता या विद्या भी नियोजित की जियांगत मात्र पर आवश्यक होगी।

आख्यादेश तस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

15 ₹ 1020 के बारे 20 लाख रुपये कर्तव्य 15 दिन 2020

अनुभाव करता है। अब सरकार ने प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में यह कानून लागू करने की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके बाद आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि यह नियेश पर नियेश आएगा और देश में वेयरहाउसिंग की समस्या का संवित समाधान निकल सकेगा।

तीसरी घोषणा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में है। इस पर हालांकि ज्यादा विवरण अभी आना है, लेकिन अगले 5 साल में 10 हजार एफपीओ तैयार करने के मोदी सरकार के संकल्प से इसे जोड़ कर देखें, तो यह क्रांतिकारी परिणाम पैदा कर सकता है। 300 से लेकर 2500 किसानों तक के संगठन आशम से अपनी शतां पर वड़ी-वड़ी कंपनियों के साथ समझौता कर सकते हैं और सरकार उनके द्वितीयों की गारंटी के तौर पर समझौते में एक पक्ष होगी।

इन सब घोषणाओं के साथ केंद्र सरकार ने कोरोना के संकट काल को कृपि और किसानों की बेहतरी के लिए एक अवसर में बदलने की कोशिश की है। सरकार की कुछ घोषणाएँ तो ऐसी हैं, जिन्होंने तुरंत परिणाम दिए हैं। जिस समय नौकरीपेशा मध्य वर्ग और मजदूरों को असीम आर्थिक संकट सहने पड़े हैं, उस समय भी किसानों ने इस महामारी के भयंकर झंडावात को बेहतर तरीके से समाला है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण सरकार की वे घोषणाएँ हैं, जो दूरगामी हैं और जो देश के कृपि क्षेत्र के हमेशा के लिए बदल देने का दम रखती हैं। इस दृष्टि से जब भी भारतीय कृषि का इतिहास लिखा जाएगा, तब शायद कोरोना के महासंकट को देखने का उसमें एक भिन्न नज़रिया भी होगा।

(लेखक कॉर्टपोरेट शेत्र से संबद्ध है।)

ई-गेल : bhaskarbihwan@gmail.com

# आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर

-मनो कुमार

आज के तकनीकी युग में ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि वो जल्दी प्रौद्योगिकी के प्रति सहज हो। इसके लिए पर्याप्त सरकार लंबे समय से प्रयासरत है। आज रिथर्टि यह है कि करीब 1.25 लाख पंचायतें ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ दी गई हैं जबकि पांच वर्ष पूर्व इनकी संख्या मात्र 100 थी। इसी प्रकार सामान्य सुविधा केंद्रों की संख्या भी बढ़कर 3 लाख हो गई है।

**यह** बात न जाने कितने लोगों ने कितनी बार ही कही होगी कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है। इस कथन के कई आशय हो सकते हैं। एक यह कि जिस एक रांचुकित भारत की कल्यान की जाती है, वह काफी कुछ देश की ग्रामीण संस्कृति का ही समुच्चय होता है। इसका दूसरा संदर्भ, जो अधिक रूपरूप में है, यो यह कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है इसलिए गांवों की दशा-दिशा ही यह तय करेगी कि देश किस हालत में है। यानी अगर गांव खुशहाल हैं तो देश भी उन्नति कर रहा है, और यह उन्नति समावंशी भी होगी क्योंकि यह सर्वाधिक जनसंख्या के नियास का केंद्र है। यह दूसरा संदर्भ राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नीति निर्माण और उसके विद्यान्वयन में इसकी भूमिका बढ़ जाती है। इसे विस्तार देने हुए कहें तो यह विरोधाभास हमेशा से रहा है कि 'विकास का आधार' किस बनाया जाए? क्या कुछ विकसित केंद्रों के स्वयं में शहर को बढ़ावा दिया जाए और इसे ही राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनाया जाए या फिर गांवों को ही इतना आत्मनिर्भर बना दिया जाए कि शहर के रूप में अलग से विकास केंद्रों को स्थापित करने की ज़रूरत न पड़े? कोटीना महामारी के समय यह विरोधाभास नए सिरे से उभर कर आया है क्योंकि इसने 'आर्थिक गतिशीलता' को बाबिल कर दिया है। इसलिए ही जब प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' की बात की तो गांवों की आत्मनिर्भरता पर।

विशेष बल दिया। इसे समझता से समझने के लिए हमें इसमें जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गौर करना होगा मसलन ऐसा कहने के पीछे क्या आधित्य है? इस विचार का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? सरकार ने इस दिशा में कौन-कौन से प्रयास किए हैं? आगे और क्या करने की आवश्यकता है? इन तमाम पक्षों से गुजरते हुए हम किसी तार्किक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं।

## ग्रामीण आत्मनिर्भरता का औचित्य

कोविड-19 ने पूरे परिवृत्त को बदल दिया है। इसके पूर्व जहाँ गतिशीलता ही जीवन की दुरी थी, वहाँ अब स्वायित्व केंद्र में आ गया है। चूंकि शहरों में इस महामारी का प्रकोप अधिक सघन है इसलिए यहाँ के आर्थिक जीवन पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में इस पर निर्मंत प्रवाली अभियों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ और वे वापस गांव की ओर लौटने



यह केवल नकारात्मक वृद्धि दशा रहा है। इसके अलावा, येहतर आर्थिक हैसियत के लिए शहरों की ओर पलायन भी एक मुद्दा है। एक अनुग्रह के अनुसार करीब सात करोड़ से 11 करोड़ के बीच प्रवासी अधिक भारत में हैं। यह सख्ता विश्व में दीन के बाद दूसरे नंबर पर है। कुल भिलाकर कहने का भाव यह है कि ग्रामीण भारत जनसंख्या का बड़ा हिस्सा तो धारण करता है मिन्हु उसी अनुपात में वो आर्थिक उत्पादन में भागीदार नहीं हो पा रहा है। इस विसंगति से तभाम असतुलन उत्पन्न हो रहे हैं जो इस कोषिष्ठ काल में और भयावह तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत हो गए हैं। यही बजह है कि प्रधानमंत्री ने खासतौर पर ग्रामीण विकास पर बल दिया और इसे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के अनुवान के रूप में देखा।

### आत्मनिर्भर गांव की संकल्पना का ऐतिहासिक संदर्भ

ऐसा नहीं है कि गांधी को आत्मनिर्भर बनाने की बात पहली बार हो रही है यद्यपि इसका एक क्रमबद्ध ऐतिहास रहा है। इसके सबसे बड़े वित्तको में महात्मा गांधी हैं जिन्होंने पहली बार शक्तिशाली ढंग से इस संकल्पना को अपनाने की बात कही थी। गांधीजी ने इसे 'ग्राम स्वराज' कहा, गानी भारतीय अधिवास की प्राथमिक इकाई अपनी जरूरतों को पूरा करने में स्वयं सक्षम हो। गांधीजी ऐसी उत्पादन व्यवस्था की बकालत कर रहे थे जो सामुदायिक जरूरतों पर आधारित और स्थानीय संसाधनों से संचालित हो। यानी एक इकाई के रूप में गांव आत्मनिर्भर हो। 1937 में 'हरिजन' में एक लेख के माध्यम से गांधीजी अपने आदर्श गांव की परिकल्पना करते हुए उसके खात्रान्न से लेकर शिक्षा तक में आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि गांधी जी गांव के आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं आत्मसमीक्षित होने की नहीं। इसका अर्थ है कि गांव अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति में सक्षम हो तथा शेष के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर हो।

जैसे गांधीजी विद्वान जे सी कुमारपा ने गांधीजी के विचार को आगे बढ़ाते हुए 'इकोनॉमी ऑफ परनानेंस' का सिद्धांत दिया, जिसके केंद्र में यही था कि हमें ऐसी उत्पादन प्रणाली को अपनाना चाहिए जिसमें स्थायित्व का गुण हो। शहरी मॉडल को वो भंगुर नाम दे थे। इसलिए वो कृषि एवं कुटीर उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने की बकालत करते हैं क्योंकि यह प्रकृति के अधिक निकट और टिकाऊ व्यवस्था है। यह अनायास नहीं है कि प्रधानमंत्री पंचायत दिवस के अवसर पर पंचायतों के आत्मनिर्भर होने पर खूब जोर दे रहे थे तो वित्तमंत्री ने भी गांवों को गति देने के लिए आर्थिक घोषणाएं की।

इसी कड़ी में दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख का उल्लेख भी सभीयोंने होगा क्योंकि स्वयं प्रक्षानमंत्री इनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने अर्थव्यवस्था के विकेन्द्रीकरण की बात करते हुए जनता का, जनता के लिए उत्पादन पर बल दिया। अर्थात्, समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुलूप उत्पादन करे तथा राज्य इनमें न्यूनतम हस्तक्षेप करें। यह एक प्रकार की आत्मनिर्भरता की ही बात थी। नानाजी देशमुख ने



### सातम खाद्य उद्योगों

के औपचारिकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना



प्रधानमंत्री की दीनदयाल उपाध्याय की योजना के अनुरूप इस योजना का लक्ष्य यह है कि



2022 तक भारत में 10,000 औपचारिक खाद्य उद्योगों की स्थापना की जाए।



10,000 खाद्य उद्योगों की स्थापना के लिए योजना का लक्ष्य यह है कि



सभी योजनाएँ अपनी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना का लक्ष्य यह है कि



प्रधानमंत्री की योजना के लिए योजना का लक्ष्य यह है कि



प्रधानमंत्री की योजना का लक्ष्य यह है कि



प्रधानमंत्री की योजना का लक्ष्य यह है कि

2 लाख रुपये की दीनदयाल उपाध्याय की योजना का लक्ष्य यह है कि

2022, 15 अक्टूबर



तो 'स्वावलंबी गांव' को व्यवहार में मूर्त करके दिखा दिया। उन्होंने घित्रकूट के 500 से अधिक गांवों में आत्मनिर्भरता की संकल्पना को लागू किया और इसका परिणाम शून्य बेरोजगारी, गरीबी से मुक्ति और यहां तक कि आपसी विवादों में शून्यता के रूप में आया। नानाजी देशमुख ने सामूहिक सामाजिक चेतना को आधार बनाया और एक स्वावलंबी परिवेश निर्भित किया।

इस ऐतिहासिकता में डॉ. ए.पी.जे अद्युल कलाम के मॉडल की चर्चा भी अनिवार्य है। डॉ. ए.पी.जे अद्युल कलाम ने वैकल्पिक विकास मॉडल 'पुरा' (प्रोविजन ऑफ अर्धन एमिनिटिज इन सरल एरिया) सुझाया था। इस योजना के मूल में यह था कि ये सभी आकर्षण के बिंदु जो शहरों तक सीमित हैं जैसे— स्वच्छ जल, ऊजां, स्पष्टता, हेल्थकेयर, शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, परिवहन तथा व्यावसायिक व राजकीय सुशासन ये सभी गांवों तक पहुंचे। इस प्रकार ग्रामीण—स्तर पर एक ऐसी अवसरत्यना विकास की योजना थी जिससे येहतर जीवन परिवेश की तलाश में लोग शहरों की ओर न जाएं। इससे शहरों पर भार कम पड़ता और उनसे येहतर परिणाम मिल सकते। मौरीशस और नीदरलैंड जैसे देशों में, जहां का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, भी बड़े-बड़े शहरों को विकसित करने की यजाय छोटी व स्थानीय इकाई को विकास का आधार बनाया गया। कुल भिलाकर बात यह है कि 'पुरा' भी स्थानीय आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास की बात करता है।

अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार की आत्मनिर्भरता की संकल्पना का एक मजाबूत ऐतिहासिक संदर्भ रहा है और अब ये दृढ़ संकल्पित होकर इसे साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। दिलघस्प बात है कि वर्तमान सरकार की योजनाओं को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वो लंबे समय से ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्यरत है। इससे पहले कोषिष्ठ काल की कुछ उन सरकारी पहलों पर गौर करते हैं जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं।

## ग्रामीण आवश्यकता के प्रयास

### (क) जीवनयापन की आवश्यकता जरूरतों की पूर्ति

कोविड-19 के कारण सामाजिक अधिकारियों के द्वारा पड़ जाने वाले सर्वाधिक दुष्प्रभाव ग्रामीण जनसंख्या पर पड़ना निश्चित था, इसलिए ही गेंद्र सरकार ने एकदम शुरूआत में ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राखल प्रदान के लिए व्यापक योजनाएं चलाई। इस संदर्भ में योजनाओं को दो तरीके से विश्लेषित करने की आवश्यकता है। एक सो यह कि तात्कालिक जीवनयापन के लिए यथा-कर्म सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और दूसरे इसकी निरंतरता के लिए क्या प्रयास किए गए। इस संबंध में गेंद्र सरकार की पहली व्यापक योजना 26 मार्च, 2020 को ही आ गई थी जब वित्तमंत्री द्वारा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के तहत 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य सर्वाधिक गरीब जनसंख्या को कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों से सुरक्षित रखना था।

इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी व्यक्ति को इस दौरान खाद्य सामग्री की कमी का सामना न करना पड़े। इसके लिए लगभग 80 करोड़ भारतीयों को बर्तमान योजना के तहत मिल रहे खाद्यान्न का दुगुना देना निश्चित किया गया। साथ ही, प्रोटीनयुक्त भोजन के लिए क्षेत्रीय रुचि के अनुसार एक किलो अतिरिक्त दाल देना भी निश्चित किया गया। आवश्यक इंधन आपूर्ति के लिए 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। इसका तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि सर्वाधिक प्रभावित ग्रामीण जनसंख्या के समक्ष जीवन का संकट नहीं आया। इसके बाद यह आवश्यक था कि इन चर्चों को जल्दी वित्तीय सहायता भी दी जाए ताकि किसी आधारभूत मद का खर्च प्रभावित न हो। इस उद्देश्य की

पूर्ति हेतु प्रधानमंत्री जानधन योजना के अंशीन कुल 20.40 करोड़ महिला खाताधारकों को आगले तीन माह के लिए प्रतिमाह 500 रुपये देना सुनिश्चित किया गया। यहां इस तथ्य को भी जोड़ना होगा कि बरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन, जो इस दीमारी के लिए सबसे संयोगशील हैं, उनके लिए सरकार ने यह तय किया कि 3.2 करोड़ बरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक), विधवाओं और दिव्यांगजनों को 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। ध्यालव्य है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण उन्न योजना को नवंवर तक विस्तारित कर दिया गया है। अर्थात् अब 80 करोड़ भारतीयों को नवंवर तक आवश्यक खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी।

### (ख) कृषि एवं कृषक

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी किसान हैं। किसानों को सशक्ति बनाए विना किसी भी प्रकार की आत्मनिर्भरता सम्भव नहीं है इसलिए गेंद्र सरकार ने कृषि एवं कृषकों पर सर्वाधिक ध्यान दिया। 26 मार्च को जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरूआत की गई तो यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अप्रैल 2020 में ही किसानों को 2000 रुपये की पहली किश्त जारी कर दी जाए। इस नकदी प्रवाह से 8.7 करोड़ किसानों को फायदा मिला। इसके अतिरिक्त वो सभी संरचनात्मक प्रयास किए गए जिससे कृषि कार्य सुधार स्लप से चल सके, उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कृषि उत्पादों का परिवहन सुनिश्चित किया गया; बीज एवं अन्य कृषि संबंधी जरूरतों को आवश्यक बरस्तु एवं सेवा में शामिल किया गया तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सुरक्षित कृषि कार्य के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। कृषि को मिलने वाली इस तात्कालिक सहत के बाद सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत व्यापक प्रावधान किए।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधी वित्तीय मदद पहुंचाने के उद्देश से 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण को तीन महीने तक न चुकाने की सुविधा दी गई। इसके अलावा, कुल 25 हजार करोड़ रुपये की ऋण राशि के साथ 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। इसका तात्कालिक लाभ यह हुआ कि किसानों को नकदी प्राप्त हुई और वो इसका इस्तेमाल कृषि कार्यों में कर पाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर होने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जरूरत है आवश्यक वित्त की उपलब्धता। खासकर, इस कोविड काल में यह आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। इसे ही ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1 मार्च, 2020 से 30 अप्रैल, 2020 के बीच कुल 86,600 करोड़ रुपये के 63 लाख कृषि ऋण को स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त, को-आपरेटिव बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वित्तीयन के लिए नाशार्ड ने 29,500 करोड़ रुपये जारी किए। साथ ही ग्रामीण अवसरचना के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपये भी निवेश किए गए। इस वित्तीय सहायता के अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण था कि किसानों को उनकी उपज का सही समय पर सही दाम मिले। इसके लिए न्यूनतम समर्थन

#AatmaNirbharBharatPackage

my  
GOV

## किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष मदद

 3 करोड़ किसानों ने 4.22 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण पर 3 महीने के मोर्टगेजिंग की सुविधा का लाभ उठाया

 कर्ज पर ब्याज में छूट और शीघ्र फसल झण्डा चुकौती प्रोत्साहन को 1 मार्च से बढ़ाकर 31 मई, 2020 तक कर दिया गया

 कुल 25,000 करोड़ रुपये के कर्ज का प्रावधान करने हेतु 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए

मूल्य पर कुल 74,300 करोड़ रुपये के अन्न क्रय किए गए। साथ ही दो महत्वपूर्ण योजनाओं – फसल चीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया तथा पीएम किसान फंड के तहत 18,700 करोड़ रुपये जारी किए गए। ये सब ऐसी सहायक मदद थी जिन्होंने कृषि एवं कृषकों को गजबूत बनाए रखा।

#### (ग) कृषि अवसंरचना एवं कानूनी सुधार

इस दिशा में सबसे हालिया प्रयास देखे तो सरकार ने कृषि अवसंरचना के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष बनाया है। इस कोष का मुख्य उद्देश्य कृषि सहकारिता समितियों, कृषक संगठनों, कृषि उद्यमिता को वित्तीय प्रोत्साहन देना है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि परापरागत तरीका लंबे समय से गैर-लाभप्रद रहा है और यह समय की मांग है कि कृषि क्षेत्र में नए प्रयोगों को शामिल किया जाए। इसी पिछार को आत्मसात करते हुए तथा स्थानीय उत्पादों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिहाज से प्रधानमंत्री ने 'लोकल के लिए बोकल' यज्ञ नाम दिया। इस नाम को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए पिछली तमाम योजनाओं के साथ सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की एक नई योजना शुरू की है जो 'सूक्ष्म खाद्य उद्यम (एमएफई)' को एकीकृत करेगी। यह योजना 'ब्लस्टर' पर आधारित होगी तथा ऐसे उद्यमों को आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करेगी ताकि इनके उत्पाद सभी मानकों पर खरा उत्तर सके। इससे न केवल स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वो गुणवत्ता में सभी मानकों के अनुकूल होंगे। इस प्रकार एक बृहद बाजार से इसे जोड़ा जा सकेगा।

कृषि उत्पादों को बाजार शक्तियों का लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वर्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया। इस संशोधन को 3 जून, 2020 को केनिनेट की सहमति मिली तथा 5 जून, 2020 को अध्यादेश के माध्यम से इसे लागू कर दिया गया। यससे इस कानून के तहत अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तैल, आलू जैसे भोज्य पदार्थों को 'आधारभूत' मानकर सरकार उसे भंडारण व वितरण का विनियमन करती है। चूंकि इस कानून की पृष्ठभूमि में अन्न की कमी थी इसलिए विनियमन आवश्यक था। किंतु अब जब भारत खाद्य आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर चुका है, ऐसे में आवश्यक था कि इसमें जरूरी संशोधन किए जाएं। वर्तमान संशोधन के बाद इन आवश्यक वस्तुओं को आपात स्थिति के अलावा विनियमन से मुक्त कर दिया गया है। इसका लाभ यह होगा कि किसान अपने उत्पादों को उच्च कीमत वाले बाजार में में बेच सकेंगे। साथ ही, पहले जहाँ 'स्टॉक विनियमन' के कारण निजी निवेश इससे दूर भागते थे वही अब कृषि में निजी निवेश बढ़ेगा। साथ ही, सरकारी भंडारण में अन्न बर्बाद होने की संभावना भी कम होगी। कुल मिलाकर, यह संशोधन कृषि को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मददगार होगा। साथ ही, सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में कृषि का और अधिक उदारीकरण किया जाएगा ताकि यह लाभ का उद्यम बन पाए।

#### किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वित्तीय मदद



मार्च-अप्रैल 2020 में 86,000 करोड़ रुपये के 63 लाख कृषि क्रय दिए गए।

मार्च 2020 में सहकारी बैंकों और श्रीमीण ग्रामीण बैंकों को नाबाई ने 29,500 करोड़ रुपये की रिफाइनेंसिंग की।

मार्च 2020 में राज्यों की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि हेतु 4,200 करोड़ रुपये दिए गए।

राज्य सरकारों को कृषि उत्पाद की खरीद के लिए मार्च में 26,700 करोड़ की कार्यवाली पूरी उपलब्ध कराई गई।

2 ₹ 2020 के दिए 30 लाख करोड़ रुपये। दिनांक 14 मई 2020

#### (घ) रांचद्व द्वे त्र



कृषि के अलावा वैसे सबद्व द्वे त्र जिनसे ग्रामीण जनसंख्या जुड़ी हुई है, वे भी सरकारी सहायता के दायरे में रहे ताकि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसमें सबसे प्रमुख है पशुपालन। इसे गति प्रदान के लिए न केवल अप्रयुक्त दुध उत्पादों की सरकारी खरीद की गई ताकि पशुपालकों को नुकसान न उठाना पड़े बल्कि 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय तरलता भी प्रदान की गई। इससे करीब 2 करोड़ किसानों को लाभ प्राप्त हुआ। मत्स्यपालन के द्वे त्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत समुद्री एवं अतःद्वे त्र के मत्स्यपालन को एकीकृत, संचारणीय एवं समावेशी बनाने की योजना है। इसमें कुल 20,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार पशुपालन अवसंरचना विकास को प्रदान के तहत 15,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जिसका उद्देश्य डेयरी उद्योग में निजी निवेश आकर्षित करना है। इसी प्रकार हर्यल उत्पादों के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपये तथा मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। इन सभी प्रयासों का असर यह होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था न केवल अपने स्तर पर आत्मनिर्भर होगी बल्कि इसका रसरूप भी वैदिक्यपूर्ण होगा। एक तरफ जहाँ कृषि बड़ी जनसंख्या के लिए आधार का काम करेगी वही संबद्ध द्वे त्र आय के अन्य द्वे त्र विकसित करेंगे।

#### (ङ) ग्रामीण रोजगार

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए यह भी आवश्यक था कि नीचे की ओर वित्त का प्रवाह सुनिश्चित हो तथा लोगों को काम भिले। लॉकडाउन के शुरुआती समय में जब आर्थिक गतिविधियों लकी हुई थी, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कामगारों के लिए कई जरूरी उपाय किए गए। निर्माण कार्य बंद हो जाने से केंद्र सरकार ने ये रोजगार हुए निर्माण श्रमिकों को

रुचन गिरान

रिकास मंडिल के रूप में एक योजना जो पार्श्व अवसरण के समर्थन में सांघिक महत्व रखती है, या ही रेयाना प्रसाद मुख्य रूपेण निश्चित। इस योजना का पूरा उद्देश्य है स्थानीय आर्थिक विकास की समावनाओं को तलाशना और उसका विकास करना। इसके तहत 300 प्रार्थित विकास समूहों का निर्माण काइ गठन व समूहों की सीधे के आर्थिक या लकड़ीकी अलावा को समाप्त करना राज्य प्रार्थित क्षेत्रों में नियंत्रण का आवश्यकता करता है। यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शहरों एवं गांवों को परस्पर जालकर विकास की समावनाओं को तलाशती है। यह प्रयत्न निरियत ही अधिक व्यावर्धक और समावनी है क्योंकि इरास यार्मिं जनसंख्या बुनियादी आवश्यकताओं में आधिकारी छोटे के साथ-साथ अतिरिक्त सुविधाओं के लिए शहर से जुड़ जाएगी। साथ ही, अग्रक दलवाहु रामिति की अनुशासा के अनुसार 2022 तक कृषकों की आग दुगुली करना, किसानों ने उपज की ढंड गुना कीमत पर अविकल्प विक्री मूल्य तय करना, पासल वीमा योजना लागू करना जैसे प्रयत्न जारी कृपि दृष्ट का मजबूत करें वही अटल रोजगार मिशन कोशल विकास कार्यक्रम, मुद्रा योजना इत्यादि स्थानीय-स्तर पर नए उद्दमों के प्रोत्त्वाद्वित करेंगे। जिस एवं मत्यम उद्योग के विकास से समर्थित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

राहत देने के लिए राज्य सरकारों को नवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग करने के आदेश दिए गए। इसके तहत कुल 3.5 करोड़ पर्जीकृत मजदूरों को लाभ मिला। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सो से कम कामगारों याल प्रतिष्ठानों में प्रति माह 15,000 रुपये से कम पारिश्रमिक पाने वालों के पीएफ खातों में अगले तीन महीनों के दौरान उनके मासिक पारिश्रमिक का 24 प्रतिशत भुगतान किया। इसके महले 24 मार्च को केंट्रीय अमरेश्वरी ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि श्रमिक, कल्याण के लिए लिया गया लेवर सेस का पेन्डो कस्ट्रॉक्शन मजदूरों को तरंत दिया जाए।

इस वित्तीय सहायता के साथ-साथ रोज़गार को संरचनात्मक रूप से अनु फरने के लिए 26 मार्च की घोषणा में दो पहले की गई। सबसे पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना 'मनरेगा' के तहत निश्चित मज़दूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया। इसमें 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला। दूसरे, 8.25 करोड़ परिवार, जो स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको 20 लाख रुपये की रेहन मुक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई। आगे 12 मई को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की जब घोषणा की गई तो उसमें भी क्रमशः ग्रामीण रोज़गार की व्यापार में सखा गया। इसके लिए सरकार ने 'मनरेगा' को आवार बनाया तथा इसमें अतिरिक्त 40.000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। इस बढ़ी हुई राशि का लापांतरण अभियंक रोज़गार के साथ में हुआ। साथ ही, पिछले वर्ष मई की तुलना में इस वर्ष की 40 से 60 प्रतिशत अधिक अभियानों ने इस योजना के तहत रवव्य को नामांकित कराया। मुनः 20 जून, 2020 को प्रधानमंत्री ने 'गरीब कल्याण रोज़गार अभियान' शुरू किया। इस योजना का मूल उद्देश्य यह है कि वैसे अभियंक, जो इस महामारी के दौरान अपने गोब लौट आए हैं, उनको रोज़गार मिल। इस अभियान के तहत हीर्षकालिक ग्रामीण अवसंरचना का विकास किया जाएगा। यह अभियान कुल 5000 करोड़ रुपये का है जिसे मिशन मोड अभियान के तहत 6 राज्यों के 116 ज़िलों में 125 दिनों तक बदलाया जाएगा। ये राज्य- बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आरबंध तथा उडीरा हैं जहाँ सर्वाधिक अभियंक लौटे हैं। इस प्रकार देखो तो केंद्र सरकार ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए रोज़गार सुनिश्चित करने का भरपूर प्रयास किया है।

(व) रुचारथ्य गामलों में आत्मनिर्भरता

यद्यपि प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की घोषणा आमी की है किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है। व्यात्यय है कि भारत अपनी विकित्सा उपकरणों की कुल आवश्यकता का 85 प्रतिशत आयात करता है। इस परनिर्भरता को समाप्त करने के लिए 'उपकरण पार्क' के 'संबर्धन' की योजना संघालित की जा रही है। इसका उद्देश्य धरेतू मांग के अनुसूचि विकित्सीय उपकरणों का विनिर्माण करना है। इसे 2020-21 से 2024-25 तक कियान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार दवाओं के निर्माण में उपयोग आने वाली कच्ची सामग्रियों के आयात को कम करने के लिए 'बल्क ड्रग पार्क' निर्मित किए जा रहे हैं। सरकार ने इस हेतु 3000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। साथ ही इस कड़ी में प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना को भी जागिल करना होगा जिसका उद्देश्य सभी के लिए बहनीय कीमतों पर गुणवत्तायुक्त दवाएं उपलब्ध कराना है। ये सभी उपाय विकित्सीय उपकरणों में आत्मनिर्भर होने से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार बेहतर स्वास्थ्य ढाँचे के निर्माण के लिए भी व्यापक योजनाएं संघालित कर रही है।

इस संदर्भ में सबसे पहले 'आयुष्मान भारतः प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' का उल्लेख करना सभीचीन होगा। इस योजना के तहत गरीबी-रेखा से नीचे गुज़र कर रहे परिवारों तथा ऊर्जाधित क्षेत्र के अभिकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इस प्रकार लगभग 10 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का बीमा मिल सके। जाहिर तौर पर इसका सार्वाधिक लाभ ग्रामीण जनसंख्या को मिलेगा। स्वास्थ्य मामलों में इतनी सुरक्षा निश्चित ही एक नज़्दीक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को सम्बन्ध बनाएगी। इसके अलावा 'सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम' एक ऐसी योजना है जो स्वस्थ भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके तहत देश भर के सभी बच्चों को टीके के माध्यम निवारित हो सकने वाले 12 रोगों का मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें डिथीरिया, टिटनेस, पोलियो, परट्यूसिस, हेपेटाइटिस-बी, जापानी इन्सेफलाइटिस इत्यादि जैसे रोगों के विरुद्ध टीकाकरण किया जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या इन रोगों से अधिक प्रभावित रहती है, ऐसे में यह अभियान एक बेहतर प्रयास होगा। 'मिशन इन्ड्रधनुष' इसी टीकाकरण अभियान का सहयोगी मिशन है। इसके अलावा, राष्ट्रीय

स्वास्थ्य मिशन जिसका उद्देश्य एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसके तहत 'आशा' कार्यकर्ता, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आदि के माध्यम से सार्वाधिक गरीब जनसंख्या को धिकित्सा उपलब्ध करा रही है; साथ ही, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के माध्यम से सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित किया जा रहा है। यहां एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम का जिक्र भी आवश्यक होगा जिसका मुख्य उद्देश्य महामारी रोगों के अध्ययन व उसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यवत करना है। मूल बात यह है कि जब तक हर व्यक्ति को वैहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी और भारत धिकित्सीय उपकरणों के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक 'आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य अधूरा होगा।

### शिक्षा पहलें

कोविड काल के दीर्घन शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 'पीएम ई-पिचा' अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सभी डिजिटल शिक्षा का एकीकरण करना है। आज जब कोविड-19 के कारण क्लासरूम शिक्षा बाधित हो रही है, ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि ई-लॉन्गिंग के सभी साधनों—दीक्षा (एक राष्ट्र-एक डिजिटल प्लेटफॉर्म), टीवी (एक क्लास-एक चैनल), स्वयं इत्यादि को और विस्तार दिया जाए। चूंकि ग्रामीण जनसंख्या उच्च तकनीकी से पूर्णतः नहीं जुड़ पाई है इसलिए यह अधिकारी की गई है कि रेडियो या मोबाइल एफएम अथवा यिना किसी डिजिटल डिवाइज की उपलब्धता वाले घरों में भी शिक्षा को पहुंचाया जाए। इस संबंध में सरकार ने 'प्रजाता' के माध्यम से डिजिटल शिक्षा के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

### आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था : धीर्घकालिक प्रयास

आज के तकनीकी युग में ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि वो जरूरी प्रौद्योगिकी के प्रति सहज हो। इसके लिए वर्तमान सरकार लंबे समय से प्रयासरत है। आज स्थिति यह है कि करीब 1.25 लाख पंचायत ग्रॉडवैड सेवा से जोड़ दिए गए हैं जबकि पांच वर्ष पूर्व इसकी संख्या मात्र 100 थी। इसी प्रकार सामान्य सुविधा केंद्रों की संख्या भी बढ़कर 3 लाख हो गई है। 24 अप्रैल, 2020 को पंचायत दिवस के अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों से संबाद में प्रधानमंत्री ने एकीकृत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल तथा मोबाइल एप को लांच किया। साथ ही, 'स्वामित्व' योजना भी शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य राजस्व वसूली एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी अधिकारों को पारदर्शी बनाना है। इसके अतिरिक्त, सरकार 'डिजिटल इंडिया' के माध्यम से देश को डिजिटली सशक्त अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अंतर्गत 'NeGP' जैसा कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य आईसीटी के उपयोग के माध्यम से नागरिक सेवाओं को उपलब्ध कराना था। उपयोग के माध्यम से नागरिक सेवाओं को उपलब्ध कराना के साथ ही, ग्रामीण जनसंख्या को तकनीकी रूप से साक्षर बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' शुरू किया

## #AatmaNirbharDesh



हर्वल खीती को प्रोत्साहन देने के लिए 4000 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय ग्रामीण प्रदाय बोर्ड (एनएमपीबी) ने 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औपचार्य पौधों की खेती को सहायता प्रदान की है।

अगले दो वर्षों में 4,000 करोड़ रुपये के परिवर्त्य से हर्वल खीती के तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वर्ग क्षेत्र किया जाएगा।

किसानों को 5,000 करोड़ रुपये की आमदनी होनी, औपचार्य पौधों के लिए कैंक्री मंडियों का नेटवर्क होगा।

एनएमपीबी गगा के किनारे 800 हेक्टेयर क्षेत्र में गलियारा विकास कर औपचार्य पौधे लगाएगा।

12 2020 के दौरे 20 लाख करोड़ रुपये

तिथि: 15 अक्टूबर 2020



गया जिसका उद्देश्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। ऐसी तमाम सरकारी योजनाएं चलाई गईं जिनका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। कृषि उत्पादों को भी प्रौद्योगिकी की मदद से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। कृषि बाजार ई-नाम (इलैक्ट्रॉनिक नेशनल एप्लीकल्यूर मार्केट) इसी उद्देश्य को पूरा करता है। इससे किसान अपनी उपज सीधे बाजार तक पहुंचा सकेंगे और बिचौलियों की समाप्ति से उन्हें अधिक कीमत मिल सकेगी। बस्तुतः, ई-नाम यानी इलैक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे देश की लगभग सभी मंडियों की जोड़ा गया है। इस प्रकार देश भर के व्यापारी सीधे स्थानीय किसानों से जुड़कर उत्पादों की खरीद कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 'ग्रामीण खुदरा कृषि बाजार (GrAMs)' को जोड़ दिया जाएगा जिससे कृषि विषयन क्षेत्र का विकास होगा और किसानों का उपभोक्ताओं से सीधा जुड़ना संभव होगा।

संक्षेप में, सरकार न केवल आत्मनिर्भरता की बात कर रही है बल्कि वो इस दिशा में गमीरता से कार्य भी कर रही है। आज की आवश्यकता भी यही है कि नीतियां इस प्रकार निर्भित हों कि उसके केंद्र में वृहद जनसंख्या हो तथा जो स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर आधारित हों। यही धारणा अंततः समावेशी और आत्मनिर्भर देश का निर्माण कर सकेगी। प्रधानमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों के अपने संबोधन में यह कहा भी था कि आत्मनिर्भर गांव से आत्मनिर्भर पंचायत बनेगी और फिर यह क्रमशः जिला, राज्य व देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। हमें इसी दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

(लेखक इतिहास के अध्येता हैं। 'ट्रॉट करेट अफेयर्स टुडे' के संपादक मंडल में शामिल, सरतंत्र लेखक के रूप में विभिन्न अखबारों, पत्रिकाओं तथा ऑनलाइन पोर्टल हेतु नियमित लेखन।)

ई-मेल : sunnyand65@gmail.com

# एमएसएमई : देश की आर्थिक रीढ़

-कृष्ण सम्मेन-

छोटे उद्योगों को अत्यार ताजार तक रोधी महुंस नहीं गिलती है, जिसका कारण वे अपना कारोबार आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इसके लिए रास्कारी खरीद पोर्टल (जोड़) बहुत फलदार साधित हुआ है। इसके जरिए सरकारी विमान एमएसएमई से पाल खरीदते हैं। कोविड की दिक्कत के बाद सरकार ने और भी एमएसएमई को इससे जुड़ने के लिए कहा है। साथ ही खरीद के 45 दिन के भीतर बकाया बुकाने का आदेश भी दिया गया है, जो छोटे उद्यमियों के पास पूँजी की कमी नहीं होने देगा।

**सुरक्षित** लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) भारत की आर्थिक तैयार करने वाले कुटीर उद्योगों से लेकर शहरों में रोजगरी के इस्तमाल का सामान, खाने-पीने की बरतुएं और यह उद्योगों को एकदम युनियादी कव्या माल मुहेया करने वाली इकाइयों तक एमएसएमई का दायरा बहुत बड़ा है और ये कर्ताओं की संख्या में रोजगार मुहेया करते हैं।

भारत के एमएसएमई की खासियत यह है कि शहरों और गांवों में इनकी संख्या कमावेश करावर है। एमएसएमई मंत्रालय की 2018-19 की सालाना रिपोर्ट यताती है कि देश में 6.33 करोड़ से भी ज्यादा एमएसएमई हैं। दिलचस्प है कि इनमें 99 प्रतिशत से भी ज्यादा रुक्म उद्योग हैं, जो येहद कम पूँजी पर और बेहद छोटे उत्तर पर चलते हैं। इन उद्योगों में अभी तक हर वर्ष इजाजा ही हो रहा था। लेकिन कोरोना वायरस ने उन्हें पटरी से एकदम उतार दिया है। तभाम औद्योगिक इलाकों से आने वाली खबरें बताती हैं,

कि धोंधा एकदम उप हो गया है क्योंकि न तो मांग है और न ही कच्चे माल की आपूर्ति। भदोही का कालीन उद्योग है, वाराणसी का रेशम, अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद का पीतल उद्योग या कानपुर का चमड़ा उद्योग। इनमें से ज्यादातर का माल निर्यात होता है और निर्यातकों को तैयार माल छोटे उद्यमियों से ही मिलता है। निर्यात बद है तो वडे निर्यातकों के लिए माल तैयार करने वाले एमएसएमई पर भी तालाबंदी की नीवत है।

दिक्कतों से जूझते छोटे उद्योग

हालांकि ढेरों समस्याएं महामारी के कारण हमें दिख रही हैं मगर एमएसएमई हमेशा ही दिक्कतों से जूझते रहे हैं। यह विड्यना ही है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 29 प्रतिशत से भी ज्यादा योगदान देने वाले क्षेत्र को लंबे अरसे तक अनदेखी का शिकार होना पड़ा है। यह उद्योग 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार दे रहा है और देश से करीब आधा निर्यात भी इसी के दम पर होता है। नगर



धन, बाजार, विरतार की दिवकरों से समस्या है। इसे भी जूँड़ा गया पड़ता है।

सबसे बड़ी समस्या धन की होती है। सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है भगव रसेष्यागत मिति यानी तीनों और एनसीएफसी से कई हासिल करना छोटे उद्यमियों के लिए आसान नहीं होता। अगर पहली बार कोई छोटी इकाई समाने जा सके हैं तब तो आपको 90 प्रतिशत तक रकम का हतजाम खुद ही करना पड़ता है। जब भी यह भी जाता है तो चुकाते समय दिवकर होती है क्योंकि अवश्य एमएसएमई को बड़े कारोबारियों और सरकारी विभागों से बकाया मिलने में खासा बहत लग जाता है। समय पर बकाया नहीं आए तो यह चुकाना भी मुश्किल होता है। इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ताल ही में सभी विभागों को खुरीद के 45 दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

कई और बकाया समय पर आ जाए तो अच्छे दाम पर माल बेचने के लिए बाजार की दरकार होती है। बड़े रिटेल स्टोर या ई-कॉमर्स कंपनियों पहले तो सूक्ष्म और लघु उद्यमियों का माल रखती ही नहीं है। अगर रखती भी हैं तो ऐसे दाम तय करती है कि ब्राउ को लेकर संवेदनशील ग्राहक उनकी ओर झांकता ही नहीं है। ऐसे में सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बाजार कहा से मिले। बेशक सरकार ने खादी और कुटीर उद्योगों के अन्य उत्पादों के लिए खादी ग्रामीणोंग विकास बोर्ड के जरिए अच्छा बाजार तैयार कर दिया है भगव बाकी उद्यमों और उत्पादों के लिए यह अब भी समस्या है। खादी प्रसंस्करण में लगे उद्यमियों को खासतौर पर इसकी कमी खलती है। अक्सर उन्हें विद्युलियों की मदद लेनी पड़ती है और मामूली मार्जिन पर सामान बेचना पड़ता है।

कुशल कारोबारों की दिवकर भी इस उद्योग से जुड़ी है क्योंकि अक्सर यहां ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी सादाद में लोग आते हैं, जो खेती के साथ दूसरा रोजगार तलाश रहे होते हैं। ऐसे में प्रशिक्षण या कौशल हासिल करना उनके लिए प्राथमिकता नहीं होती। दूसरा पहलू यह भी है कि कौशल प्रदान करने वाली संस्थाओं की भी कमी है। बेशक मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान स्कूल इंडिया पर काफी जोर दिया था। लेकिन सच कहा जाए तो फर्जी संस्थाओं ने भी इसका फायदा उठाया और जमीनी-स्तर पर इसका उत्तना फायदा नहीं पहुंच सका, जितना पहुंचना चाहिए था।

एक बहुत बड़ी दिवकर विदेश से सस्ते माल का आयात भी

### एमएसएमई का नया पैमाना

उद्योग	निवेश सीमा*	कारोबार सीमा*
सूक्ष्म	1 करोड़ रुपये	5 करोड़ रुपये
लघु	10 करोड़ रुपये	50 करोड़ रुपये
मध्यम	50 करोड़ रुपये	250 करोड़ रुपये

\*अधिकतम सीमा, निवेश यानी संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश

चोत: एमएसएमई गंतव्यलय

### एमएसएमई के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद की पहल

उप-प्राप्ति के लिए क्रेडिट गारंटी रकीम की शुरुआत


- 30 मई, 2020 का एनीपीटी ग्रामीण उत्पादन के प्रमेत्रों की मदद

- प्रमेत्रों को उनकी हिस्सेदारी के 15% का 75 लाख रुपये, जो भी कम हो, के बगवार क्रेडिट दिया जाएगा

- 90% गारंटी क्वोरेज योजना के तहत दी जाएगी और 10% संवधित प्रमोट्राप्लान अवधि बढ़ाई जाएगी

- मूलधन के भागत में 7 वर्ष की मौहूलत योगी जबकि पुनर्जीतान के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी

- 2 लाख एमएसएमई उद्योगों को 20,000 करोड़ रुपये का ग्रामीण क्वर उत्पादन कराया जाएगा



है। चीन से ड्राइप के कारण इस पर चर्चा भी खूब हो रही है। यह तो भारत में कई देशों से आयात होता है, लेकिन चीन से होने वाला आयात सबसे खतरनाक है क्योंकि यह बीचे छोटे उद्योगों को बराबर कर रहा है। बाहन, बड़े उपकरण, दवा, उर्दूक आदि का आयात तो समझ आता है भगव छतरी, घाकू कील, हथीरे, तासे, कैथी, पंख, फोटो फ्रेम, सस्ते खिलौने, मूर्ति, राखी जैसे उत्पाद भी आयात किए जाएंगे तो छोटे-छोटे उद्योग कहा जाएंगे। औद्योगिक शहरों में घूम आइए, आपको पता चल जाएगा कि पिछले कुछ समय में ऐसे उत्पाद बनाने वाली कितनी देसी इकाइयों पर ताले पड़ गए हैं।

### आत्मनिर्भर भारत पैकेज

कुछ समस्याएं तो सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से कम हो सकती हैं। कोविड-19 संकट से ठहरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए घोषित इस पैकेज से एमएसएमई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। (देखें बीकर्स) इसमें कम से कम दो समस्याएं तो कम हो ही सकती हैं। पहली समस्या तो धन की किल्लत की है। 25 करोड़ रुपये तक के बकाया कई और 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले एमएसएमई को जमानत रहित आपात ऋण की योजना से मदद मिलेगी। चूंकि 4 वर्ष के इस कर्ज में पहले वर्ष मूलधन नहीं लौटाना है और किसी तरह की गारंटी की जरूरत भी नहीं है, इसलिए एमएसएमई इस भीके का फायदा अपने कारोबार के विरतार में बार सकते हैं। इस क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज भी दिया जा रहा है, जो संकट में फंसी या एनपीए

## आत्मनिर्भर भारत पैकेज और एमएसएमई

कौरोना यायरस से चरमराई अर्थव्यापारियों को सहारा देने के लिए मई 2020 में सरकार ने जो राहत के उपाय किए, उनमें छोटे उद्योगों को भी काफी कुछ मिला है। एक नज़र उन उपायों पर लालते हैं और देखते हैं कि लघु उद्योगियों को उनसे कैरा फायदा हो सकता है।

**3. लाख करोड़ का समावना रहित रखता: क्राण:** कोषिठ-18 से परेशान व्यापारियों या एमएसएमई को बकाया छुकाने, कच्चा माल खरीदने और व्यापार को पटरी पर लाने में मदद के लिए सरकार ने आपात्त त्राण सुविधा मुहैया कराई है। इसके तहत उनके कुल बकाया का 20 प्रतिशत तक दैवी और एनबीएफसी से मिलेगा। 25 करोड़ रुपये तक बकाया और 100 करोड़ रुपये तक कारोबार वाले उद्यमी इसके पात्र होंगे। 4 तर्फ के लिए दिए जा रहे इस कर्जे में पहले 12 महीने मूलधन की बापसी नहीं करनी होगी और व्याज दर भी कम ही रहेगी। इस योजना में उन्हें न तो किसी तरह का गारंटी शुल्क भरना होगा और न ही अलग से कुछ रेहन रखना होगा। साफ़ है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा एमएसएमई को ही होगा, जिनके पास पूँजी की किललत रहती है। आसानी से पूँजी मिलने के कारण 45 लाख इकाइयों दोबारा चालू होने का अनुमान है, जिससे बड़ी सख्ती में लोगों का रोजगार भी बद्ध रहेगा।

**संकट में फर्से एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ :** कन पूँजी में काम करने वाले एमएसएमई महामारी की वजह से और भी परेशानी में फर्से गए हैं जिससे उबरने के लिए उन्हें पूँजी की ज़रूरत है। सरकार ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये के कर्ज़ का इंतजाम किया है, जिससे 2 लाख एमएसएमई को फायदा पहुँचने की उम्मीद है। इसमें ऐसे लघु उद्यमों की मदद की जाएगी, जो या तो एनपीए बन गए हैं या मुद्रिकल में फर्से हैं। इसमें एमएसएमई के प्रमोटरों को बैंकों से कर्ज़ मिलेगा, जिसे प्रमोटर इकिवटी के रूप में इकाई में लगाएगो।

**फंड ऑफ फ़ाइंडर्स के जरिए 50,000 रुपये की इकिवटी पूँजी :** एमएसएमई की इकिवटी पूँजी की ज़रूरत पूरी करने के लिए सरकार फ़ॉल ऑफ फ़ाइंडर्स की स्थापना भी कर रही है। 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ शुरू हो रहे इस फ़ॉल से ऐसे एमएसएमई को इकिवटी पूँजी दी जाएगी, जिनमें वृद्धि की समावना हो और जो व्यावहारिक हों। मूल फ़ॉल की मदद से तकरीबन 50,000 करोड़ रुपये नीचे के फ़ॉलों के पास होंगे। इस रकम की मदद से छोटे उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आकार और कारोबार बढ़ने पर एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का हीसला भी मिलेगा, जिसकी कोशिश सरकार करती आ रही है।

**एमएसएमई की नई परिमाणा :** आभी तक काफी कम कारोबार वाली इकाइयों को ही एमएसएमई के दायरे में रखा जाता था। इससे छोटे उद्योग ज्यादा वृद्धि करने से घबराते थे क्योंकि उन्हें डर था कि आकार या कारोबार बढ़ते ही वे एमएसएमई की अभी नहीं रहेंगे और अब तक मिलने वाले लाभ तथा रियायतें भी उनसे छीन ली जाएंगी। इस वजह से परिभाषा में तब्दीली की मांग बहुत पहले से हो रही थी। सरकार ने यह बात मान ली और राहत पैकेज के तहत उनकी परिभाषा भी बदल दी। अब एमएसएमई के लिए निवेश की सीमा और सालाना कारोबार दोनों को बढ़ा दिया गया है। साथ ही, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के बीच अंतर भी खत्म कर दिया गया है। इससे बड़े कारोबार वाली इकाइयों को भी एमएसएमई जैसी सहायिता मिलेगी और छोटी इकाइयों अपना कारोबार बढ़ाने में नुकसान महसूस नहीं करेंगी।

**200 करोड़ रुपये तक की निविदा में विदेशी कंपनियां नहीं :** राहत पैकेज के तहत यह भी बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। सरकारी टेक्नो के निविदा डालते वक्त देसी एमएसएमई और दूसरी कंपनियों को विदेशी कंपनियों से होड़ करनी पड़ती थी। बड़े आकार, अधिक अनुमति और ज्यादा संसाधन होने के कारण विदेशी कंपनियां ज्यादातर टेक्नो अटक लिया करती थीं। लेकिन अब सरकार ने 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए जारी होने वाली निविदा में विदेशी कंपनियों की बोली पर रोक लगा दी। इससे तब हो गया कि ये टेक्नो छोटी इकाइयों और देसी कंपनियों को ही मिलेंगे, जो 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मैक इन इंडिया' की दिशा में अहम फ़ैसला है। इससे भी एमएसएमई को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

### अन्य उपाय

वैश्विक महामारी की वजह से बाजार और नकदी की रामस्य से जूँड़ रही छोटी इकाइयों के लिए सरकार व्यापार मेलों की जगह ई-पार्केट को बढ़ावा देगी। सरकार की नज़र इस बात पर भी है कि एमएसएमई का बकाया ज्यादा समय तक नहीं अटके। इसके लिए सरकार ने आदेश दिया है कि सरकारी ई-पार्टल के जरिए या सीधे एमएसएमई से खरीद करने वाले सरकारी विभाग और पीएसयू को खरीद की 45 दिन की भीतर उद्यमी का बकाया छुकाना पड़ेगा।

ईपीएफ के जरिए छोटी इकाइयों को सहारा देने की सरकार की घोषणा भी छोटी इकाइयों के लिए बहुत राहत देने वाली है। सरकार ने शुरू में घोषणा की थी कि मार्च, अप्रैल और जून महीने में पात्र संस्थानों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों को हिस्से का 12-12 प्रतिशत भविष्य निविदा अंशादान सरकार ही करेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित इस योजना को अब तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इससे 3.67 लाख प्रतिष्ठानों और 72.22 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनमें से कई एमएसएमई इकाइयों में काम करने वाले होंगे।

**चोत:** सूहना, लघु एवं मङ्गोले उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

बन गई इकाइयों को मिलेगा। फ़ॉड ऑफ फ़र्डस के जरिए 50,000 करोड़ रुपये की इकियटी पूँजी भी इस क्षेत्र के लिए संपीड़नी बन सकती है।

कारोबार से जुड़ी एक और बड़ी दिक्कत सरकार ने दूर करने की कोशिश की है। सरकारी खरीद के ठेके हासिल करने में छोटे उद्योग अक्सर बड़ी कंपनियों या सस्ता माल देने वाली चीजों कंपनियों से पिछड़ जाते हैं। उन्हें इससे बचाने के लिए सरकार ने इस पैकेज के तहत 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए विदेशी कंपनी को बोली लगाने से प्रतिबंधित कर दिया है। जाहिर है, एमएसएमई के लिए ठेके हासिल करने और कारोबार बढ़ाने की उम्मीद इससे बढ़ जाएगी।

पैकेज के तहत एमएसएमई की परिभाषा बदले जाने से अधिक कारोबार वाली इकाइयों भी इसके दायरे में आ जाएंगी, जिससे उन्हें ऋण, कर्ज़ तथा दूसरी सहायियत हासिल हो जाएगी। साथ ही, एमएसएमई के दायरे से बाहर हो जाने के डर से कारोबार बढ़ाने से हिचक रही इकाइयों भी अब विस्तार कर सकेंगी। अब 250 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार बाले उद्यमियों को एमएसएमई में माना गया है।

एमएसएमई को सालने वाली एक समस्या बाजार की कमी है। छोटे उद्योगों को अक्सर बाजार तक सीधी पहुँच नहीं मिलती है, जिस कारण वे अपना कारोबार आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इसके लिए सरकारी खरीद पोर्टल (जेम) बहुत मददगार साबित हुआ है। इसके जरिए सरकारी विभाग एमएसएमई से माल खरीदते हैं। कौविड की दिक्कत के बाद सरकार ने और भी एमएसएमई को इससे जुड़ने के लिए कहा है। साथ ही खरीद के 45 दिन के भीतर बकाया चुकाने का आदेश भी दिया गया है, जो छोटे उद्यमियों को पास पूँजी की कमी नहीं होने देगा।

#### पैकेज बनाएगा आत्मनिर्भर?

सकट के समय एमएसएमई को सहारा देने की सरकारी पहल तो सराहनीय है, लेकिन क्या चाकई इससे छोटे उद्योगों की पुरानी समस्याएं दूर हो जाएंगी?

निसंदेह एमएसएमई की परिभाषा बदलने से बाकई फर्क पड़ेगा। इससे छोटे उद्योग बिना हिचक विस्तार कर पाएंगे, जिससे करोड़ों नए रोजगार तैयार होंगे और भारतीय व्यापार जगत भी मजबूत होगा। मगर बकाया भुगतान के मसले पर कुछ कसर रह गई है। सेवी के पूर्व चेयरमैन यूके सिन्हा की अध्यक्षता में गठित

## एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल चालू

सूख्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित उद्यम पंजीकरण पोर्टल 1 जुलाई, 2020 से चालू हो गया है। उद्यमों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण की नई प्रक्रिया 26 जून, 2020 को पहले ही घोषित की गई अधिसूचना के अनुसुलग शुरू हो गई है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल <https://udyamregistration.gov.in> को शुरू करने के साथ ही एमएसएमई मंत्रालय ने सुविधा के लिए चैपियर्स कंट्रोल रूम और डीआईसी में एकल खिड़की प्रणाली की भी व्यवस्था की है।

मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इस नई पंजीकरण प्रक्रिया से 'ईज ऑफ ड्राइंग विजनेस' यानी कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा और इससे लेनदेन के समय एवं लागत में कमी आएगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस पोर्टल के अलावा कोई अन्य निजी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रणाली, सेवा, एजेंसी या व्यक्ति एमएसएमई पंजीकरण करने के लिए अधिकृत नहीं है।

विशेषज्ञ समिति ने जुलाई, 2019 में एमएसएमई क्षेत्र के लिए अपनी रिपोर्ट में बकाया भुगतान पर आहम सिफारिश की थी। समिति का सुझाव था कि एमएसएमई को पोर्टल पर बिल डालने के बाद जल्द से जल्द भुगतान कर दिया जाए। नए पैकेज के तहत सरकार ने ई-मार्केट प्लेस जेम के जरिए केंद्रीय विभागों को तो 45 दिन के भीतर भुगतान करने को कह दिया है मगर राज्य इस पर चुप्पी साधे हैं। राज्य भी ऐसा नहीं करेंगे तो केंद्र का कदम व्यर्थ चला जाएगा।

मगर आसान वित्त उपलब्ध कराने के कदमों पर सवाल खड़ा हो सकता है क्योंकि सरकार को अभी तक के कदमों का जमीनी-स्तर पर अच्छी तरह अमल नहीं किया गया है। मुद्रा योजना को ही ले लीजिए। यूं तो सरकार ने 2020 की शुरुआत तक इस योजना के तहत 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज जारी कर दिए थे मगर हकीकत यही है कि सूख्म और छोटे उद्योग अक्सर इससे विवित ही रह जाते हैं। कुछ तो जागरूकता की कमी है और कुछ विभागों की उदासीनता। उदासीनता तो बैंकों में भी बहुत है। सरकारी बैंकों से 59 मिनट में एमएसएमई को कर्ज दिए जाने की योजना को साल भर से अधिक हो गया है, लेकिन कर्ज मंजूर करने में बैंक इतने सुरक्षा हैं कि छोटे उद्योगों को इसका कोई

#### एमएसएमई की संशोधित रीमा

श्रेणी	पुराना निवेश	पुराना टर्नओवर	नया निवेश	नया टर्नओवर
सूख्म	25 लाख	10 लाख	1 करोड़	5 करोड़
लघु	5 करोड़	2 करोड़	10 करोड़	50 करोड़
मध्यम	10 करोड़	5 करोड़	50 करोड़	250 करोड़

फायदा नहीं हो रहा है। समस्या यह भी है कि छोटे उद्योगों वो सहगे व्याज पर कर्ज देने वाले एनबीएफसी लुट नगरी की गिल्लत से ज़्यादा रहे हैं। फिर रेटिंग की 1 नूलाई 2020 तो आई रिपोर्ट बताती है कि पिछले वित्त वर्ष में गैर-बैंकिंग वित्तीय उद्योग की चुंबिं बेहद कमज़ोर रही। साथ ही रकम की गिल्लत बढ़ी रही और सर्वे में कोरोना संकायारी शुरू होने से कंगाली में आदा भीता जीरी गति ही गई। एनबीएफसी ऐसे संकाट से ज़्यादी तो एमएसएमई को कर्ज कैसे मिलेगा? यदि एनबीएफसी को सहाय नहीं दिया गया और छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय कदम फ़ाइलों के जाल या फ़ैतलों ने डिलाई नहीं जलाई तो बात बन सकती है।

### क्या हो उपाय?

सरकार लगातार कोशिश कर रही है भगव अब भी एमएसएमई को ताकत देने के कई उपाय रह गए हैं। सबसे पहले तो नया उद्यम शुरू करने के लिए लोगों को प्रौत्साहित करने की जरूरत है। अभी जोई युवा अपना उद्यम शुरू करना चाहे तो उसे वित्त की लगी के साथ ही नियमों के जोड़ा से भी जूझना पड़ता है। उद्यम शुरू कर भी दे तो कागजों में उलझना पड़ता है। नए उद्यमी को

भी कर के मामलों में आधार के साथ कंपनी जीएसटी संख्या की दस्तावेज़ होती है। उसे आधार भी चाहिए, कंपनी की जीएसटी संख्या भी चाहिए, आयात-नियोजन प्रगति दोनों चाहिए और तामाम पोर्टलों पर पॉलीकरण भी करना चाहिए। उद्यमी के लिए खाय इन कामों को करना कई बार संभव नहीं होता और इतनी पूँछी भी नहीं होती कि इसके लिए किसी पेशेवर की गदव ले। ऐसे में सरकार को कामज़ी झांझाट कम से कम करने की जरूरत है ताकि नए लोग इस धोने में उत्तर सकें।

अब बताया ही गया है कि प्रशिक्षण की कमी छोटे उद्योगों के लिए बड़ी समस्या है। प्रशिक्षण नहीं होने से अच्छा माल बनाने में भी समस्या आती है और कारोबार को बेहतर तरीके से सम्भालना भी मुश्किल होता है। बेहतर गुणवत्ता और बनावट के उत्पादों पर अधिक खर्च करने से कोई पीछे नहीं हटता। यदि कुशल कामगार हो तो देसी माल आयातित उत्पादों पर भारी पड़ सकता है। भगव उद्यमियों के लिए खुद प्रशिक्षण देना मुमकिन नहीं। इसके लिए सरकार और बड़े उद्योगों को आगे आना होगा। हालांकि मोदी सरकार ने 2014 से ही रिकल इंडिया के जरिए इस दिशा में कदम बढ़ाए है। हर वर्ष करीब 1 करोड़ युवा इसमें पंजीकरण करा भी रहे हैं, लेकिन जमीनी-स्तर पर इसका भी असर नहीं दिख रहा। इसके लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों का छापाला भी दिया जाता है, जिसके मुताबिक 2011-12 में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त कामगार 2.3 प्रतिशत ही थे, जिनकी संख्या में 2017-18 तक केवल 2.4 प्रतिशत का इजाफ़ा हो सका। जाहिर हैं, सरकार को अधिक सक्रिय होना पड़ेगा। साथ ही, उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा।

सरकार के पास संसाधनों की कमी हो तो इसमें निजी क्षेत्र की मदद ली जा सकती है। तामाम बड़ी कंपनियों अभी तक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत कई गैर-जरूरी गतिविधियों में लगी रहती हैं। इसके बजाय उनके लिए औद्योगिक प्रशिक्षण अनिवार्य बनाया जा सकता है। उनसे कहा जा सकता है कि अपने कारखानों के आसपास के क्षेत्रों में युवाओं को इस तरह का प्रशिक्षण दें कि वे कंपनियों के काम आ सकें। मसलन बाहन कंपनी अपने कारखाने के आसपास रहने वालों को गाड़ियों के छोटे कल-पुर्जे बनाना सिखा सकती है। प्रशिक्षण के बाद वे कारखाने में नौकरी भी पा सकते हैं और अपना उद्यम भी शुरू कर सकते हैं, जहां से कारखाने को ही माल की आपूर्ति हो सकती है। दूसरे क्षेत्रों की कंपनियों भी ऐसा कर सकती हैं।

आयातित माल की जड़ी छोटे उद्यमों की एक और फास थी। चीन के साथ झाड़प होने से वहां से आयात पर रोक लगाने के कदम उठने लगे हैं। आम जनता भी चीनी सामान

**लोकल को ग्लोबल  
बनाने की दिशा में पहल**

**पीएम फॉरमलाइजेशन ऑफ  
माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज  
(पीएम एफएमई) योजना की शुरुआत  
(1/2)**

9 लाख कुशल और अर्थ-कुशल रोजगार के सृजन के लिए कुल 35000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा

सूखना, प्रशिक्षण, बेहतर प्रदर्शन और औपचारिकता तक पहुंच के जरूरी 8 लाख इकाइयों को लाभ होगा

10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा

सामान्य सेवाओं और उत्पादों के विपणन के मामले में बड़े पैमाने पर लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओडीपी) के द्विकोण को अपनाया गया

‘बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट’

दिनांक: 30 जून 2020

लेने से परहेज कर रही है। लेकिन यह कैफल चीन तक सीमित नहीं हो बल्कि तमाम देशों से ऐसा तैयार माल लेना चाह नहीं तो कम से कम किया जाए, जो भारत में भी बनता है। कम्पनी माल के आवास पर रोक धारे नहीं लगे बगर एमएसएमई इकाइयों में बनने वाला छोटा-मोटा सामान तो विदेश से विलकुल नहीं मंगाया जाए। साथ ही जो सामान बढ़े पैसाने पर आवास होता है, उसी देश में ही तैयार करने का प्रशिक्षण एमएसएमई को दिया जाए, जिससे व्यापार धारा कम होगा।

जागरूकता भी अहम पहलू है। जागरूकता की कमी से अभी एमएसएमई थोड़ा, खासतौर पर ग्रामीण उद्यमी संरथागत कर्ज हासिल करने में नाकाम रह जाते हैं। उन्हें सरकार की योजनाओं और उनकी सरलता का पता भी नहीं होता। साथ ही, उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उत्पाद में मूल्यवर्द्धन करके फिस तरह ये कई गुना अधिक कीमत हासिल कर सकते हैं। कृषि उत्पादों का प्रसंसकरण इसका उदाहरण है, जहां किसान 5 रुपये किलोधाम टमाटर बेच देता है। लेकिन अगर मामूली निवेश के साथ सौस, कैचप, अचार बनाने की इच्छा है लगा ली जाए तो दस युना अधिक कीमत पर उत्पाद बिकेंगे। उद्यमियों को नियांत बाजार में हो रहे बदलाव की जानकारी भी दी जानी चाहिए ताकि वे बदलते चलन के हिसाब से अपने उत्पादों में भी तब्दीली करें और पारंपरिक उत्पादों तक सीमित रहकर कारोबार न गंवाए।

छोटे उद्यमियों के लिए बाजार मुहैया करना भी बेहद जल्दी है। हालांकि इसके लिए सरकारी ई-मार्केट प्लेट यानी जेन मोदी सरकार का शानदार कदम है। इसके जरिए छोटे उद्यमी सरकारी यिमानों और सार्वजनिक उपकरणों को सीधे सामान बेच पाते हैं। एक समय था, जब बड़े कारोबार और नामी ब्रांड के बारे सरकार को सामान बेचना बहुत मुश्किल था बगर अगस्त, 2016 में शुरू किए गए इस पोर्टल के जरिए सरकारी खरीद में खासी पारदर्शिता आ गई है और खरीद किफायती भी हो गई है। इस पोर्टल में इस समय करीब 3.87 लाख विक्रेता हैं, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा सूक्ष्म और छोटे विक्रेता हैं। यहां स्वयंसहायता समूहों को भी सामान बेचने का मौका मिलता है। इस पोर्टल पर 54,148 करोड़ रुपये के सौदे हो चुके हैं।

चूंकि सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपकरणों के लिए हर साल कम से कम 25 फीसदी खरीद सूखन और लघु उद्यमों से करना अनिवार्य कर दिया है, इसलिए जेन से खासी खरीद हो रही है। बगर बड़ी दिक्कत यह है कि यहां से खरीद के बाद विक्रेताओं के भुगतान में अक्सर बड़ी देर हो जाती है। यही वजह है कि कोविड-19 संकट आने के बाद सरकार ने खरीद के 45 दिन के भीतर भुगतान अनिवार्य कर दिया है। एमएसएमई की वित्तीय दिक्कतों को देखते हुए और उन्हें संरथागत कर्ज भी मुश्किल से मिलते देखकर इस मियाद को और भी कम किया जाना



## लोकल को मोबाइल बनाने की दिशा में पहला

**पीएम फॉरमलाइजेशन ऑफ  
माइक्रो फूड प्रीमोरिंग एटलाइनेज  
(पीएम एफएमई) योजना की शुरुआत  
(2/2)**

 मौजूदा व्यतीजित इकाइयों पर पारियोजना का 35% क्रेडिट-लिंक कैपिटल समिति का लान उठा सकती है जिसकी अधिकारी सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई है।

 कार्यशील पूँजी और छोटे उपकरणों की टर्मिन के लिए प्रति एसएचजी सदस्य 40,000 रुपये की सहायता।

 एफपीओ/एसएचजी/निर्माता सदस्यों समितियों की पूँजी निवेश के लिए 35% का क्रेडिट लिंक अनुदान प्रदान किया जाएगा।

 बैंकहाउस, कॉल स्टोरेज, फैक्ट्रिंग जैसे समान दुकानों द्वारे के विकास के लिए 35% पर क्रेडिट लिंक अनुदान के लिए उद्यमता।

 राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर 50% अनुदान के साथ सूक्ष्म इकाइयों और समूहों के लिए ब्रांड विकास करने के लिए विषयन और ब्रांडिंग में सहायता दी जाएगी।

दिनांक: 30 जून 2020

चाहिए। सरकार ने दूसरे बारे में एक औसतीय भासिक कर ट्रैक ने जुमाना बसूल जाने की बात भी कही है, जिसे सरकार ने काढ़ न रखा जाएगा। जुमाने की दूसरी बद्दल जानी चाहिए और सरकार ने उस हिस्सा पीड़ित उद्यमियों का भी मिलता चाहिए।

इसके अलावा, सरकार रिटेल कंपनियों के लिए एमएसएमई ने खरीद अनिवार्य भी कर सकती है। दूसरी बद्दल जैसी घोट कारोबार वाली कंपनियों के लिए एमएसएमई से कम से कम 30 ग्रेडिनेट खरीद पहले ही अनिवार्य कर दी गई है। दूसरी दिवशी रिटेल कंपनियों और इं-कॉर्मस कंपनियों के लिए भी यहां ही निवेश दिया जा सकता है। अक्सर यह भी देखा जाता है कि रिटेल कंपनियों अपने ब्रांड की कीमत कम और छोटे उद्यमियों से लिए जाने की कीमत ज्यादा रखती है, जबकि उद्यमियों से यह ज्ञान बहुत कम कीमत पर लिया गया होता है। इसका नुकसान यह होता है कि ग्राहक रिटेल ब्रांड का संस्थान खरीद लेता है। इसलिए यह भी तथ किया जा सकता है कि रिटेल कंपनी उद्यमियों द्वारा कुटीर उद्योगों और भृत्यों द्वारा सहायता समूहों से लिए जाने पर किया जाना ले सकती है।

(सेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार है और वर्तमान में विजेनेस स्टैंडर्ड में कार्यरत है।)

ई-मेल : Rishabhkrishna@gmail.com

# महामारी को खत्म करने की वैशिक स्पर्धा में भारत की खदेशी कोविड-19 वैकसीन

—डॉ टीवी वेंकटेश्वरन

**भा**रत यायोटेक द्वारा को वैकसीन और जाइडस कैडिला द्वारा जाइकोव-डी वैकसीन की घोषणा के साथ कोविड-19 के खिलाफ जंग में एक आशा की झिरण उभरी है। इन वैकसीन के मानव परीक्षण के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सीडीएससीओ (सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन) द्वारा अनुमति दी गई है। इससे इस महामारी के अंत की शुरुआत हो सकती है।

पिछले कुछ बर्षों में, भारत एक महत्वपूर्ण वैकसीन निर्माण हथ के रूप में उभरा है। यूनिसेफ को आपूर्ति की जाने वाली कुल वैकसीन में भारतीय निर्माताओं का हिस्सा 60 प्रतिशत है। नोबेल कोरोना वायरस के लिए वैकसीन दुनिया में कही भी विकसित की जा सकती है, लेकिन भारतीय निर्माताओं के बिना पर्याप्त मात्रा में उत्पादन संभव नहीं है।



## वैकसीन स्पर्धा

140 से अधिक वैकसीन विकास के विभिन्न चरणों में हैं। प्रमुख उम्मीदवार वैकसीन हैं—ऑक्सकोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित एजेंडा 1222 वैकसीन, जिसके निर्माण का लाइसेंस एस्ट्राजेनेका को दिया गया है, जो ब्रिटिश-स्वीडिश बहुसाधार्य दवा और यायोफार्मस्युटिकल कंपनी है और जिसका मुख्यालय कैम्ब्रिज, इंग्लैण्ड में है। कैरेसर परमानेंट वार्षिगेटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट, वार्षिगेटन द्वारा विकसित एमआरएनए-1273 वैकसीन का लाइसेंस अमेरिका रिथैट मॉडर्न फार्मस्युटिकल को मिला है। इन दोनों कंपनियों ने पहले ही कोविड वैकसीन के उत्पादन के लिए भारतीय निर्माताओं के साथ समझौते किए हैं।

समानांतर रूप से वैकसीन के विकास के लिए भारतीय संस्थान भी अनुसंधान एवं विकास के कार्य में लगे हुए हैं। आईसीएमआर, पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायोरोलॉजी, पुणे और सीएसआईआर-सेंटर फॉर सेल्युलर बायोलॉजी, हैदराबाद जैसे संस्थानों से आने वाले प्राथमिक वैज्ञानिक इनपुट के साथ, छह भारतीय कंपनियां कोविड-19 के वैकसीन पर काम कर रही हैं। दो भारतीय वैकसीन, जाइकोव-डी तथा कोवाकिसन के साथ, दुनिया भर में, 140 वैकसीन उम्मीदवारों में से 11 के मानव परीक्षण चरण की शुरुआत हो गई है।

## प्रतिरक्षा प्रणाली

रोगाणु के एंटीजन और मानव प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा निर्मित एंटीबॉडी को संगत जोड़ी के रूप में सोचा जा सकता है। प्रत्येक रोगाणु की विशिष्ट आणविक संरचनाएँ होती हैं जिसे एंटीजन कहा जाता है। ये एक सतह की तरह होते हैं जिनका विशेष रंग और डिजाइन होता है। रोगाणु से संक्रमित होने के बाद, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी का निर्माण करती है जो एंटीजन के समान होती है।

जिस तरह खुदरा विक्रेता विशेष रंग और डिजाइन के सामानों का भंडार रखता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में भी दस हजार प्रकार के एंटीबॉडी हैं। यदि रोगाणु एक जाना-पहचाना दुश्मन है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली स्टॉक से मिलते-जुलते डिजाइन का उपयोग करती है। मिलान हो जाने के बाद रोगाणु निष्फिय हो जाता है। अब यह संक्रमित नहीं कर सकता है।

हालांकि, अगर सूक्ष्मजीव अपरिचित है, और मुख्य रूप से जब यह पहली बार उभरा है, तो सूची में कोई रंग और डिजाइन उपलब्ध नहीं होता है। किंतु भी, एंटीबॉडी विकसित हो सकती है। सबसे पहले, निकटतम समानता की कोशिश की जाती है। एंटीबॉडी विकास के विभिन्न चक्रों के बाद, जो एंटीबॉडी सबसे सटीक होती है वह परिपक्व होती है। मुख्य सतह के रंग की पहचान करने (एंटीजन) तथा समान डिजाइन का युग्मन करने (एंटीबॉडी) के बीच का समय-अंतराल ही संक्रमण को हल्का या गंभीर बनाता है। यदि प्रतिरक्षा प्रणाली रोगाणु को तुरंत बैअसर कर सकती है, तो संक्रमण को रोका जा सकता है।

## प्रतिरक्षा प्रणाली स्मारण शक्ति और वैकसीन

जैसे नए डिजाइन को भविष्य के लिए स्टॉक किया जाता है, उसी तरह जब एंटीजन से भेल खाते हुए नए एंटीबॉडी का विकास होता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली इसे स्मृति में बनाए रखती है। अगली बार जब लगभग समान रोगाणु आक्रमण करता है, प्रतिरक्षात्मक स्मृति सक्रिय हो जाती है, और जुड़वां एंटीबॉडी जारी की जाती है। संक्रमण को शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाता है। हमें प्रतिरक्षा हासिल होती है।

वैकसीन कृत्रिम रूप से प्रतिरक्षात्मक स्मृति को प्रेरित करने की एक विधि है। जब रोगाणु प्रवेश करते हैं, तो प्रतिरक्षा प्रणाली को मुमित (भेल खाती हुई) एंटीबॉडी और प्रतिरक्षात्मक स्मृति को विकसित करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है।

ऐसे कई तरीके हैं जिनके जरिए एंटीबॉडी और स्मृति (मेमोरी) को विकसित करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को कृत्रिम रूप से

## कोविड-19 के संभावित चिकित्सीय विकल्प हो सकते हैं चाय और हरल: आईआईटी दिल्ली

दुनिया भर के वैज्ञानिक कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन और दवाओं के विकास पर काम कर रहे हैं। इस दिशा में कार्य करते हुए गारतीय प्रौद्योगिकी रंगधान (आईआईटी) दिल्ली के गोपनकार्ताओं ने चाय (Camellia sinensis) और हरितकी (Terminalia chebula) में ऐसे तत्व का पता लगाया है, जिसके बारे में दावा है कि यह कोविड-19 के उपचार में एक संभावित विकल्प हो सकता है।

इस अध्ययन का नेतृत्व चर रहे आईआईटी दिल्ली के गुरुग्राम स्वूच्छ ऑफ गायोलैंजिकल राइजरेज के शोधकर्ता प्रोफेसर अशोक कुमार पटेल ने बताया कि “हमने प्रयोगशाला में चायरस के एक मुख्य प्रोटीन 3सीएल-प्रो प्रोटीज को चलोन किया है और फिर उसकी गतिविधियों का परीक्षण किया है। इस अध्ययन के पीछान चायरस प्रोटीन पर कुल 51 औपचार्य पीढ़ियों का परीक्षण किया गया है। इन विट्रो परीक्षण में हमने पागा कि ब्लैक-टी, ग्रीन-टी और हरितकी इस चायरस के मुख्य प्रोटीन की गतिविधि को वाधित कर सकते हैं।”

चाय (Camellia sinensis) महत्वपूर्ण चागान फसल है। इसके एक ही पीढ़ी से ग्रीन-टी और ब्लैक-टी मिलती है। इसी तरह, हरितकी, जिसे हरल भी कहते हैं, को एक प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि के रूप में जाना जाता है।

प्रोफेसर पटेल ने बताया कि “विस्तृत आण्विक तंत्र की घड़ताल के लिए हमारी टीम ने चाय और हरितकी के सक्रिय तत्वों की जांच शुरू की तो पाया कि गैलोटेनिन (Gallotannin) नामक अणु चायरस के मुख्य प्रोटीन की गतिविधि को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकता है। ब्लैक-टी, ग्रीन-टी गा फिर हरितकी भविष्य में कोरोना वायरस के लिए संभावित उपचार विकसित करने में प्रभावी हो सकते हैं। परंतु, इसके लिए विलनिकल द्रायल की जरूरत होगी।”

शोधकर्ताओं का कहना है कि चायरस का 3सीएल-प्रो प्रोटीज चायरल पॉलीप्रोटीन के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक है। इसलिए यह चायरस को लक्षित करने वाली दबाओं के विकास के लिए एक दिलचर्य आधार के रूप में उभरा है। उनका मानना है कि इस प्रोटीन को लक्ष्य बनाकर चायरस को बढ़ने से रोका जा सकता है।

प्रयोगशाला में किए गए इस शोध के बाद चाय और हरितकी को कोविड-19 संक्रमण रोकने में संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, अध्ययनकर्ताओं का कहना यह भी है कि इस शोध के नतीजों की वैधता का परीक्षण जैविक रूप से किया जा सकता है। इस अध्ययन के नतीजे, शोध पत्रिका फाइटोथेरेपी रिसर्च में प्रकाशित किए गए हैं।

**ठोड़ेरित किया जा सकता है।** मूल बात है कि नोवेल कोरोना वायरस के एटीजन को मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए प्रस्तुत करना। एडिनोवायरस-आधारित (श्वसन-तंत्र को संक्रमित करने वाले रोगाण) तथा जीवित व कमज़ोर किए गए वायरस से लेकर पुनः संयोजक आनुवांशिक तकनीक का उपयोग वैक्सीन को विकसित करने के लिए किया जाता है। भारत की दो संभावित वैक्सीन हैं—निष्क्रिय वायरस वैक्सीन और डीएनए प्लास्मिड वैक्सीन।

### ये वैक्सीन कैसे करते हैं काम

हम गर्मी या फॉर्मल्डिहाइड से वायरस को निष्क्रिय कर राकते हैं (मार सकते हैं) तथा एटीजन आण्विक संरचनाओं को बरकरार भी रख सकते हैं। निष्क्रिय वायरस वीमारी या संक्रमण पैदा करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि यह अब काम नहीं कर सकता है। भारत की दो संभावित वैक्सीन हैं—निष्क्रिय वायरस वैक्सीन और डीएनए प्लास्मिड वैक्सीन।

नोवेल कोरोना वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन की मदद से मानव कोशिकाओं को संक्रमित करता है। वायरस का स्पाइक प्रोटीन मानव श्वसन पथ की कोशिकाओं की सतह पर एसीई 2 रिसेप्टर्स के साथ बंध जाता है। जब वायरस एकरूप (प्यूज) हो जाता है तो वायरल जीनोम मानव कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, जहाँ सिर्फ दस धंटों में लगभग एक हजार वायरस बन जाते हैं। ये शिशु वायरस पास की कोशिकाओं में जाते हैं। संक्रमण को रोका जा सकता है यदि हम नोवेल कोरोनावायरस के स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार स्पाइक प्रोटीन पर एटीजन, वैक्सीन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यदि एटीयॉडी स्पाइक प्रोटीन को अवरुद्ध और अपनी संख्या नहीं हो सकता है तो वायरस कोशिका से एकरूप नहीं हो सकता है और अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता है।

स्पाइक प्रोटीन का जीनोम कोड एक हानिरहित डीएनए प्लास्मिड में मिलाया जाता है। वायरल स्पाइक प्रोटीन के आनुवांशिक कोड वाले इस संशोधित प्लास्मिड डीएनए को गेजबान कोशिकाओं में पेश किया जाता है। सेलुलर मशीनरी डीएनए की पहचान करती है और जीनोम में एन्कोड किए गए वायरल प्रोटीन बनाती है। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली बाहरी प्रोटीन की पहचान करती है और इसके समान एटीयॉडी विकसित करती है। इस वैक्सीन को देने के बाद, यदि किसी भी समय, हम नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, तो स्पाइक प्रोटीन को समझते हुए तुरत एटीयॉडी जारी हो जाती है। प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा निष्क्रिय वायरस को समाप्त कर दिया जाता है। संक्रमण होने से पहले ही रोग-संचार को खत्म कर दिया जाता है।



(पीआईटी से सामार)

# ग्रामीण भारत के विकास इंजन प्रवासी श्रामक

-डॉ. आर.सी. श्रीवान्दन

वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिवृश्य में गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्याएँ ज्ञाना बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण भारत के ये 'पृथग्भूमि वागक' विकास इंजन हैं और अगर उन्हें उपयुक्त औजारों और तकनीकों से लैस किए जाएं तो वे इस संकटकाल में तारणहार के रूप में कार्य कर सकते हैं।

**स**ुकृत राष्ट्र ने 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1 प्रतिशत तक सिमटने का अनुमान लगाया है जबकि पिछले पूर्वोन्मान में यह वृद्धि 2.5 प्रतिशत थी। दुनिया भर में लाखों श्रमिकों और पेशेवरों की अपनी नीकरी खाने की कठोर समावना का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के कारण भारत में आर्थिक परिवृश्य कुछ अधिक भिन्न नहीं है। तेज आर्थिक मंदी को रोकने के लिए भारत सरकार ने पहले रो ही अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के नए तरीकों पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत को ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है जिसमें अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने की अपार समावनाएँ हैं।

## भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि

कृषि क्षेत्र का योगदान 285 यिलियन डॉलर है जोकि सकल द्वितीय उत्पाद का 17 प्रतिशत है और भारतीय जनसंख्या के 60-70 प्रतिशत (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) लोगों का रोजगार प्रदान करता है। विश्व भर के किसानों का लगभग एक छौथाई भाग भारत

में है और यहां विश्व की कृषि योग्य भूमि का 48 प्रतिशत हिस्सा है। वर्तमान में भारत दुनिया में दलहन और दूध का शीर्ष उत्पादक, गेहूं, चावल, सब्जियां, फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और खाद्यान्न का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि देश ने अनेक गैर-कृषि क्षेत्रों जैसे रोपा क्षेत्र और औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है फिर भी कृषि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 64 प्रतिशत भारतीयों के लिए जीवनरेखा बनी हुई है।

नीति आयोग के अनुसार वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि क्षेत्र आशा की किण्ण है और इसके बित वर्ष 2020-21 में 3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की राम्रावना है। वर्तमान में यह गैर-कृषि क्षेत्र से 60 प्रतिशत अधिक वृद्धि कर रहा है और पिछले बार्ष की तुलना में इसके 40-60 प्रतिशत अधिक बढ़ने का अनुमान है। भारत की अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत है जो विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है। अब जबकि बाजार कायम है और कीमतें दूधी नहीं हैं, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।



## हम अर्थव्यवस्था की बातें नहीं कर रहे हैं?

वर्तमान महामारी के कारण शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रिहत उद्योगों, निर्माण कार्यों, निर्माण इकाईयों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों का पूर्णतया बंद होना देश की अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व तरीकों से प्रभावित कर रहा है। इस रिहति ने सभी को पिछली चूकों और दुनिया को फिर से नए रूप में ढालने के यारे में सोचने को बाच्य कर दिया।

आज पूरा देश 'आत्मनिर्भार' भारत की ओर आगरा है। चास्तीप में यह हमारे कृषि क्षेत्र को फिर से शुरू करके अपने प्रयासों को दिशा देने का एक अच्छा अवसर है क्योंकि कृषि क्षेत्र में एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था का सृजन करने का लक्ष्य प्राप्त करने और इस मिसाल के साथ दुनिया का नेतृत्व करने की जरूरदस्ती कमता है। सभी के समझ में प्रदल हमारे गांवों, हमारी जड़ों, सरल विज्ञान और विविधता की अप्रशुक्त कमता का दाहन करने की चुनौती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने और ग्रामीण-शहरी प्रवास को घटाने के लिए तीव्र परिवर्तन की आवश्यकता है। शहरी पर अवांछित दबाव को कम करने और संकटकाल में एक तारक की अहम भूमिका निभाने के लिए गांवों को आर्थिक विकास की धुरी के रूप में पुनर्निर्मित किए जाने की आवश्यकता है।

## विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति

यह उपर्युक्त समय है जब हम एक पूर्तिकर्ता के रूप में विश्व खाद्य बाजार में संभावनाएं तलाश सकते हैं। ऐसा होने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर पाने के लिए हमें अपने कृषि को दुनियादी ढाँचे और उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से उन्नत करने की आवश्यकता है। यद्यपि हम इस वर्ष स्वतः धन या दालों के बड़े निर्यातक नहीं बन सकते हैं लेकिन हमें उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।

अतीत में निर्यात में सबसे बड़ा रोड़ा नीति निर्धारण और खाद्यान्न की कमी वाली मानसिकता रहा है; लेकिन अब किसान विश्व बाजार में कदम रखने को तैयार हैं। यह देखते हुए कि घरेलू मांग को कुछ साल के लिए घटाया जाएगा, जब तक रोजगार और आय सामान्य नहीं होती, हमें कृषि क्षेत्र को निवेश करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करना होगा। वैश्विक बाजार में उच्च-स्तरीय प्रवेश का यह सही समय है। आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सबसे पहली आवश्यकता कृषि की भूमिका को स्वीकार करना है।

## भारत के प्रवासी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था

कृषि मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य 298.3 मिलियन टन है, जबकि 2019-20 में यह 291.95 मिलियन टन और 2018-19 में 285.20 मिलियन टन था। महामारी में लॉकडाउन के दौरान दूध, आवश्यक खाद्यान्न या सब्जियों की कोई कमी नहीं थी और दूध की आपूर्ति-सूखला भी पूरी तरह से जारी थी। हमारे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की

## अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कृषि क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान

लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों में सबसे कम व्यवधान पड़ा (3/3)



लॉकडाउन के दौरान सभी फसल की कटाई में न्यूनतम व्यवधान



रबी दलहन और आलू की कटाई पूरी, गेहूं, गन्ना और प्याज की कटाई पूरी होने के कारण पर



प्याज की आवक में छह गुना बढ़ि, मार्च की तुलना में अप्रैल में आलू और टमाटर की आपूर्ति में दोगुनी बढ़ि



गेहूं की फसल की कटाई-मध्य प्रदेश में 98-99%, राजस्थान में 88-90%, उत्तर प्रदेश में 75-78%



महाराष्ट्र, कर्नाटक, मुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में फसल की कटाई 100% पूरी



भूमिका कोई नया रेजेंडा नहीं है। बहुत समय पहले से हम ग्रामीण समुदायों और ग्रामीण भारत के निर्माण और विकास की चर्चा करते रहे हैं। अब हमने ग्रामीण भारत की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में व्यापार बढ़ होने का जोखिम अधिक अनुभव किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बेहतर होने की गति भी तेज है इसलिए व्यवसाय को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। अब जब हम इस संकट से बुझ रहे हैं तो ग्रामीण भारत में व्यापक परिवर्तन स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्ति कर सकता है।

## विपरीत प्रवास परिवृद्धि

सरकार को अल्प समय में रोग के प्रसार को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्पादक तरीके से बड़ी संख्या में प्रवासियों को समायोजित करने की दीहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें अपने प्रदेश लौटने वाले प्रवासियों की बड़ी संख्या से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय की आवश्यकता है क्योंकि वे वर्तमान रिहति के कारण शहरों में जल्दी वापस नहीं आना चाहेंगे। अल्पकालीन उपाय लंबे समय तक बदल नहीं कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र की क्षमता का पूरी तरह लाभ उठाने और हमारी मज़बूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए हमें अपने किसानों को अहमियत देने की जरूरत है—जो हर किसी को भोजन प्रदान करने के लिए कड़ी मशक्त कर रहे हैं।

## रारोकार और मुद्दे

कोविड-19 के कारण अप्रवासी अमिकों की घर वापसी हमारे देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताने-बाने और सामान्य कानून

खासस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। यूके ऐसे भज्जुरों की संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए उन्हें अपने बौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना एक कठिन काम है। यदि इम इस चुनौती का उपयोग अपनी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भज्जुरों बनाने के लिए एक रोजगारी अवधार के रूप में वारते हैं तो प्रगति नीति अपार समावनाएँ हैं। लोकोट्र प्रशाद प्रशाद जैविक कृषि विश्वविद्यालय, पूरा ने मई तरह वी कृषि आधारित तात्परीके विकास की है जो इन यांत्रिक लौटने वाले अभियों ने कौशल-आधारित विकास के समर्थन करना समर्थन करती है। इलाके छोटी अवधि में इन प्राचारी अभियों ने रामायोजित करना और उन्हें रोजगार प्रदान करना एक कठिन काम है लेकिन सरकार की पहल यातीण अर्थव्यवस्था में इन प्राचारी अभियों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इस प्रकार इस वर्ष कृषि क्षेत्र पूरे वर्ष के लिए आजीविका और खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र होगा जोकि इस महामारी के कारण आय के अन्य स्रोत बढ़ित होने की संभावना है। कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने से आच्छी आजीविका, भोजन और पोषण सुरक्षा उपलब्ध करने का भारी प्रशस्त हो सकता है।

### रांकट काल की चापाएँ

नोवें - 19 महामारी ने हमारी खाद्य प्रणाली की कमजूरियों को उजागर किया जैसे खाद्य आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, अम बलों में कमी, सुनियादी खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों का निम्न

आय वर्ग के लोगों पर वार आपूर्ति में क्षति, उत्पादन में निरावट और मांग में अंदी। जलवायु संबंधी अवरोधों का हमारी आधुनिक खाद्य प्रणालियों पर प्रभाव एक सर्वविदित तथ्य है। हमें जलवायु परिवर्तनों को डोलने में सक्षम कम लागत याती कृषि प्रणाली द्वारा छोटे भूगिर्वाकों के लिए खेती को और अधिक व्यवहार्य बनाने की जरूरत है और सुदृढ़ मांग व बढ़ते नियांत के साथ अपने खुद के कृषि बाजार का संचालन करना चाहिए।

### रावगता साथ सामव्यवस्था विकास

सरकारी संगठन और निजी उद्योग कृषि क्षेत्र में उचित परिवर्तन के लिए मौजूदा बाधाओं को दूर करने और पारंपरिक से नई कृषि शैली की दिशा में बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुसंधान के पहले को फिर से परिभाषित करना और बाजार संचालित अनुसंधान के लिए सार्वजनिक-निजी मानीदारी को बढ़ाने पर कार्यवाही जारी है। समय पर सूचना के साथ खाद्य प्रणाली को दीर्घकालिक और लचीला बनाने और ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने के लिए तथा अधिक रोजगार संभावनाओं के साथ कृषि को अगली पीढ़ी के लिए आकर्षक बनाने के लिए नए कौशल सेटों की आवश्यकता है। हम खाद्य सुरक्षा से पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा और बाजार-आधारित उच्च गुणवत्ता याते अनुसंधान और नई नीतियों, विनियमों और सुधारों के साथ दक्षता में युद्ध कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता और कृषि व्यवस्था विकास पर पहले से ही आवश्यक ध्यान दिया जा रहा है। कुछ सांकेतिक उपाय जो लागू किए जा सकते हैं, उनकी चीजों में यह है।

### आगे नीति राह

इस मंदी के दौर में कृषि क्षेत्र की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए आने वाले महीनों में सबसे बुनियादी कदम कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना है। यह वेहतर बुनियादी ढाँचे और नीति निर्धारण द्वारा अधिक कार्यवल को अवशोषित करने के माध्यम से घाम सुधार को बढ़ावा देने का एक अवसर है। नीतिगत ढाँचे को कृषि के लिए और अधिक मददगार बनाने की आवश्यकता है। आधुनिक खेती और अन्य कृषि गतिविधियों में कम आय वाले किसानों का कौशल विकास करना घरेलू खाद्यान्न उत्पादन में आन्वनिर्भरता की दिशा में एक सही कदम है और इसे परिस्थितियों के दीर्घकालिक सुधार की योजना के केंद्र में होना चाहिए। सिंचाई और कृषि प्रौद्योगिकी में तेजी से उठाए कई नए कदम, आधुनिकीकरण और सुधारों के बाबजूद कृषि योग्य भूमि अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रही है। ये उद्दम उत्पादन, रोजगार और आय की इकाइयों के रूप में अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकें, इसे सुनिश्चित करने के लिए नीति समर्थन के पैकेज की आवश्यकता है।

### प्रस्तावित प्रक्रिया

समय की मांग है कि इन श्रमिकों को उनके मौजूदा

#AatmaNirbharApnaBharat



रोजगार को बढ़ावा देने के लिए  
मनरेगा के तहत 40,000 करोड़  
रुपये का अतिरिक्त आवंटन

- मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये का आवंटन
- कुल 300 करोड़ मानव दिवस का रोजगार का सृजन होगा
- मानसून के मौसम में वापस लौट रहे प्रवासियों समेत ज्यादा काम की जरूरत को पूरा करेगा
- बड़ी संख्या में टिकाऊ और जल संरक्षण संपदाओं सहित आजीविका संपदाओं का निर्माण
- उच्च उत्पादन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

- भूजल पुनर्भरण—संरचना निर्माण
- वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन
- बकरी पालन
- मशरूम की खेती



- मधुमक्खी पालन
- बटेर रखना
- फिश कल्चर (थ्रिप्प)
- मछली बीज उत्पादन
- सोलर कार्टिंग

- हर्डल मलार बन्युफेवरिंग
- वच्चों के लिए एनर्जी फूड उत्पादन
- मशरूम के बने रनीकर
- सजावटी मछली
- मछली से बने स्वच्छ उत्पाद
- शहद वितरण

कौशल, अनुभव और शिक्षा के आधार पर पुनः प्रशिक्षित किया जाए। अभियों को नई प्राथमिकताओं के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और हमें उनकी क्षमता को महत्व देना चाहिए। हम उन्हें मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं (देखें ग्राफिक-1):

1. अकुशल (कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार)
2. अर्ध-कुशल (अभियों के रूप में हमेशा काम करने के लिए तैयार नहीं)
3. कुशल (कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में)
4. महिला अभियों (गृहिणी और घरेलू सहायिका के रूप में शामिल) और पटरियों में स्ट्रीट फूड वेंडर वाले

### 1. आरपीसीएयू, पूरा की भूमिका

आरपीसीएयू, पूरा में विकसित तकनीकों के माध्यम से ऐ-स्ट्रिकलिंग के कुछ विशेष प्रशिक्षण हैं:

- जैविक खाद के लिए घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य व्यर्थ पदार्थ।
- बकरी की तेजी से बढ़ने वाली बोअर नस्ल का पालन।
- मशरूम की खेती, उत्पादन और प्रसंस्करण।
- उपलब्ध गहरे जल खोल में मत्स्य पालन।
- विश्वविद्यालय में विकसित सौर बाहन द्वारा उत्पादों की साफ-सुधारी विक्री और सौर ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादों का लंबे समय तक संरक्षण।
- कम जगह में मत्स्यपालन का पुनर्संचरण।
- केला, यांस, अरहर आदि के तनों जैसे व्यर्थ पदार्थों से आमदनी।
- कौशल विकास, तकनीकी जानकारी और रखरखाव कार्य प्रशिक्षण।
- महिलाओं को उनके सामान्य हुनर द्वारा संशक्त बनाना—जैसे बनस्पति द्वारा गुलाल बनाना, एनर्जी फूड तैयार करना, मूल्यवर्धन गतिविधियां जैसे मशरूम प्रसंस्करण, समोसा, लड्ढू, स्नैक्स, अचार, सजावटी मत्स्य पालन और शहद उत्पादन।

### 2. ग्रामीण क्षेत्रों में पहल

- जल संचयन संरचनाओं का निर्माण
- चूक्षाशोपण
- भूमि विकास गतिविधियां
- बंजर भूमि का प्रभावी उपयोग
- प्रवासी कृषि उद्यमियों के रूप में लौटने वाले प्रवासियों को कृषि और गैर-कृषि आजीविका के लिए एक संसाधन व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है।
- किसानों के लिए क्षमता निर्माण
- कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण
- सामुदायिक संगठन से अधिक से अधिक किसान संगठन गठित करना
- आजीविका का विविधीकरण
- आय सूजन के लिए गैर-परंपरागत तरीकों की खोज करना जो किसानों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है।
- अतिरिक्त आय और उपजीविका उत्पन्न करने के नए विकल्पों के रूप में अहाते में कुकुर और बकरी पालन और उसे बढ़ाने के लिए सहायता दी जानी चाहिए।
- ग्रामीण आजीविका उपार्जन प्रमुख रूप से जल की उपलब्धता के इर्द-गिर्द होता है, जिसे मनरेगा के तहत जलसंचय संबंधी निर्माण कार्यों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है।
- रोजगार पैदा करना और बड़े पैमाने पर संपत्ति का निर्माण जिससे उत्पादकता में सुधार लाया जा सकता है और जो आने वाले समय में गांवों में समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है।
- प्रवासियों को किसी न किसी गतिविधि में शामिल करने की क्षमता, बोझ नहीं समझ कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अवसर समझना।
- कृषि संवर्धन के लिए संभावित कौशल आधारित गतिविधियां छोटे पैमाने पर कृषि उपकरण निर्माण
- जैविक खाद तैयार करना
- कृषि उद्यमिता और तकनीकी कौशल विकास

## पशुपालन दुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए 15,000 करोड़ रुपये



डेवरी प्रस्तरण, मूल्य वर्धन और पशु चारा दुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन



15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन अवसर्वना विकास कोष स्थापित किया जाएगा



विशेष उत्पादों के नियन्त्रित हेतु संयत स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा



11 रु 2020 के लिए 20 बाल्य करोड़ रुपये

दिनांक: 15 अगस्त 2020



- मूल्य संवर्धन
  - नकदी फसल उत्पादन
  - कौशल आधारित नीकरिया
- 3. खेती में महिलाओं की बढ़ती भूमिका**

खेती में महिला किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पुरुष समकक्ष शहरी क्षेत्रों में जाकर अन्य काम करने लगे। आज भारत में कृषि कार्यवल में 40 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की हिस्सेदारी है। महिला किसानों का बढ़ता अनुपात यह भी दर्शाता है कि ग्रामीण कृषि काफी हद तक महिलाओं की भागीदारी पर निर्भर करती है। हालांकि, भारत की कैब्यल 10 प्रतिशत से कम भूमि महिलाओं के स्वामित्व में है और अभी भी संसाधनों तक उनकी पहुंच पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। अब समय आ गया है कि इन लैंगिक असमानताओं को समाप्त किया जाए जिससे कृषि उत्पादकता में बेहतर परिणाम मिल सकें। महिला किसानों को अपने मनोबल को बढ़ाने और अन्य महिला किसानों को भी प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए सम्मान और पुरस्कार की आवश्यकता है।

## 4. किसान नेतृत्व वाले संगठनों को बढ़ावा देना

भारत में कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से उच्च कारोबार लागत और ऋण व कृषि उपज बाजारों में कम पहुंच से बाधित है। इसलिए जल्लरत है यिचौलियों के व्यापार के महत्व को कम करने की और किसानों को अपनी उपज का सीधे विपणन करने की। इससे निश्चित रूप से कृषि में बेहतर मूल्य प्राप्ति के साथ निवेश बढ़ेगा। एक समर्गित समाधान किसान संगठनों का गठन और उनके

माध्यम से समृद्ध या चलस्टर खेती को बढ़ावा देना हो सकता है जिससे ग्रामीण भारत के वास्तविक लाभ को पुनः प्राप्त किया जा सकेगा।

## 5. आकर्षिक फसल योजना

कृषि को अधिक लाभदायक और स्थायी बनाने के लिए इस विभिन्न कृषि जलवायु और कृषि परिस्थितिकी क्षेत्रों के आधार पर फसल योजनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। मुख्य फसल के मौसम के लिए पहले से ही एक आकर्षिक फसल योजना किसानों को किसी वर्ष के दौरान मौसम की अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहने में मदद करती है। जलवायु परिवर्तन के प्रति समय पर कदम उठाने के लिए किसानों को सक्षम बनाने और जोखिमों को कम करने के लिए इन्टर्टम दूरी पर स्थानीय स्थानालित मौसम केंद्र स्थान विशेष हेतु फसल संबंधी मौसम परामर्श में मदद करेंगे। जलवायु के कारण फसलों को किसी भी तरह का नुकसान होने पर सीमांत और छोटे किसानों को उनके लिए उपलब्ध संसाधनों और भावी उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यनीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है।

## 6. कृषि या रामाजिक उद्यमिता और तकनीकी कौशल विकास

अब समय उपयुक्त है जब इन क्षेत्रों में जीवंत उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण करने के लिए समुदाय में प्रगतिशील युवाजन का दौहन करना चाहिए जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकी जा सके। जल्लरत इस बात की है कि उन्हें उद्यित परिस्थितिया प्रदान की जाएं और उन्हें साथ लाया जाए क्योंकि कुछ प्रवासी प्रौद्योगिकी के साथ सहज हैं और पर्याप्त रूप से शिक्षित हैं इसलिए ग्रामीण आजीविकाओं में उनके योगदान के लिए उन्हें आगे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

## निष्कर्ष

वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी अभियानों की उपयोगिता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण भारत के ये 'पृष्ठभूमि नायक' विकास इंजन हैं और अगर उन्हें उपयुक्त औजारों और तकनीकों से लैस किया जाए तो वे इस संकटकाल में तारणहार के रूप में कार्य कर सकते हैं। कोविड उपरात भारत में चले गांव की ओर नारे को बल प्रदान करने के लिए यह समय उद्यित है। इस संकट ने हमें शाली में भोजन के महत्व को समझने के लिए भजनरूप किया है और पूरे कृषि कार्यवल ने सामान्य जन के लिए इसे उपलब्ध कराने के लिए अथक परिश्रम किया है। यह हमारे देश, हमारी अर्थव्यवस्था और गांवों को पुनः निर्मित करने और ऊपर सूचीबद्ध ग्रामीण पुनरुत्थान के सुझाए साधनों का उपयोग करके एक स्थायी और लघीला समाज बनाने का सबसे उपयुक्त समय है।

(लेखक डॉ. राजेंद्र प्रसाद कंद्रीग कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर (बिहार) में कुलपति हैं।)

ई-मेल : vc@rpeau.ac.in

# ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने में बैंकों की भूमिका

-मर्तीश मिश्र

बैंक से लुड़ने से एक और समाज के कमज़ोर चरके के लोगों को अपनी ज़खरतों तथा गविण की आवश्यकताओं के लिए धन की बचत करने, विशेष वित्तीय उत्पादों जैसे—बैंकिंग सेवाओं, बीमा और बैंकान आदि सुविधाओं के उपयोग से देश के आर्थिक विकास क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्तराहन मिलेगा तो दूसरी ओर, इससे पूँजी निर्माण की दर में बढ़िया करने में भी यदद मिलेगी, जिससे देश में धन का प्रवाह बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।

**ग्रा**मीण अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए वित्तमंत्री श्रीमती निर्भला सीतारमण ने मई 2020 में कृषि एवं संचालन क्षेत्र को मज़बूत बनाने याते अनेक उपायों की घोषणा की। इसके तहत सूखम, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमइ), ग्रामीण क्षेत्र में किसानी आवास, कृषि एवं संचालन क्षेत्र आदि के लिए विशेष प्रावधान किए गए। साथ ही, नीतिगत उपायों के जरिए भी ग्रामीण क्षेत्र को मज़बूत बनाने की घोषणा की गई।

**राहत प्रावधान**

**कृषि क्षेत्र के विकास पर जोर**

देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी और 43 प्रतिशत रोजगार लोगों को कृषि क्षेत्र में भिला हुआ है। इस क्षेत्र की संपूर्णता करके देश में समावेशी विकास की कलाना नहीं की जा सकती है। इसलिए राहत पैकेज में किसानों को आर्थिक रूप से सहाय बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए। मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख अन्य

कृषि त्रया मंजूर किए गए, जो राशि में 86 हजार 600 करोड़ रुपये है। पच्चीस लाख नए किसान कंडिट काड़ों का भी मंजूरी दी गई। कोओपरेटिव बैंक, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय बैंकों को नायाड़ ने नार्व 2020 में 28 हजार 500 करोड़ रुपये दिए थे, जिसका वितरण खरीद फसलों की चुंबाई के समय करने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास के लिए रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फड़ के माध्यम से सज्जों को 4,200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। किसानों को मियादी छह सालों पर किस्त एवं व्याज तथा फसली जट्ठों पर व्याज चुकाने के मामले में 6 महीनों का मोराटोरियम दिया गया है अर्थात् किरत पूर्व व्याज को 6 महीनों के लिए टाल दिया गया है। फसल की खरीद के लिए 6,700 करोड़ रुपये की कार्यशील पूँजी भी राज्यों को उपलब्ध कराई गई है। नायाड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देने के लिए 30 हजार करोड़ रुपये बैंकों को संप्रिद्धि के रूप में देगा, जिसका फायदा 3 करोड़ किसानों को मिलेगा। यह सत्सिङ्गी किसानों को तभी मिलेगी,



जब किसान अपने जटण खाते को रही से बदलाएंगे। किसानों को आर्थिक मोर्चे पर राहत देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 जून, 2020 तक 9 करोड़ 83 लाख किसानों के खाते में 6 हजार रुपये डाले गए हैं।

हर्वेल खेती करने के लिए किसानों को 4 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकार की इस पहल से आगामी 2 सालों में 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर हर्वेल खेती किए जाने का अनुमान है। इससे किसानों की आय में समग्र रूप से 5 हजार करोड़ रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। सरकार ने 'ऑपरेशन ग्रीन' शुरू करने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत आलू, टमाटर और प्याज की खेती की जाएगी। बाद में, इसमें दूसरी सब्जियों को भी शामिल किया जाएगा। इस मद्द में 500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। आज भी सब्जियों एवं अनाजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक बड़ी समस्या है। इसके लिए सड़क मार्ग को दुरुस्त किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण की समुचित सुविधा नहीं होने के कारण किसानों को अपने फसलों को औने-पौने कीमतों पर बेचना पड़ता है। सरकार घाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में भंडारण की सुविधा हो। इसके लिए सरकार कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने वाले कारोबारियों को मूल लागत का 50 प्रतिशत संविद्धि देगी। माइक्रो फूड एंटरप्राइज (एमएफई) के पॉर्मलाइजेशन के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का कोष भी बनाया जाएगा, जो कलस्टर संकल्पना पर आधारित होगा। इसके लिए देश के अलग-अलग हिस्सों के उत्पादों को ब्रांड बनाया जाएगा। इससे लगभग 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभ मिलने का अनुमान है। इससे जुड़े लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार की इस पहल से बिहार का मखाना, जम्मू कश्मीर का केसर, नॉर्थ ईस्ट का बैबू शूट, उत्तर प्रदेश के आम उत्पादकों आदि को लाभ होगा।

#AatmaNirbharDesh

## किसानों के कल्याण हेतु उपाय (1/2)

**नावार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूँजी की सुविधा**

 नावार्ड द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंकों और आरआरबी को 90,000 करोड़ रुपये से अधिक तक पहल करना

 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा, जिनमें ज्ञानालंप छोटे और सीमांत है

my  
GOV

## नीतिगत उपाय

कृषि क्षेत्र में प्रतिस्थापना और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। तदుपरांत,

प्रसरण करने वाली तथा गूल्य शृंखला के भागीदारों पर भवारण दीमा लागू नहीं होगी। लेकिन राष्ट्रीय आमदा, गुरुगंगरी जीर्णी आमत स्थितियों में भवारण दीमा नी बोच्यता रहेगी। अभी निरानों वो कम कीमत पर अपने उत्पादों को बेचना पছता है, लेकिन इस संशोधन से उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, जिसकी आय में इजाफा होगा। किसान अपने कृषि उत्पादों को उचित कीमतों पर बेच सकें, इसके लिए राज्यों के बीच आने वाली खारें-भिकी रो जुड़ी भुक्तियों दूर की जाएंगी। हर पर्सल के भीजन में युवाएं भी पहले किसान पर्सल के गूल्य का अनुगाम लगा सकें, इसके लिए भी सरकार देशव्यापी व्यवस्था कर रही है। किसानों को अपने उत्पाद की सही कीमत मिले और दूसरे राज्यों में जाकर ये अपना उत्पाद बेच सके इसके लिए मौजूदा कानूनों में बदलाव किया जाएगा। साथ ही, एक केंद्रीय कानून बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसके सहत ये किसी भी राज्य में जाकर अपना उत्पाद बेच सकेंगे।

### वैकों की मदद से किसानों को दोगा फायदा

लॉकडाउन के बाद ग्रामीणों को राहत देने के लिए सरकार ने लघु छोटे और मझोले ग्रामीण कारोबारियों व किसानों को जण देने और आवारमूल संरचना को मजबूत करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है, लेकिन इन घोषणाओं को वैकों की मदद के बिना अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में वैकों का आजादी के बाद से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नावार्ड, ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि व संबद्ध क्षेत्र जैसे, पशुपालन, डेयरी, हस्तशिल्प, कृषि-आधारित उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र में युनियांडी सुविधाओं, मसलन स्कूल, सड़क, विजली, पानी आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तपोषण करने का काम लंबे समय से कर रहे हैं। बैंक ग्रामीणों को बैंक से जोड़ने, महिलाओं का सशक्तीकरण करने, प्रत्यक्ष लाभ हस्तातरण या सरकारी योजनाओं का लाभ दीदे ग्रामीणों के खाते में डालने, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर ग्रामीणों की पहुंच दुनिया के बाजार तक करने, विद्यालियों की मृनिका को खत्म करने आदि का काम कर रहे हैं। सच कहा जाए तो बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लक्ष्य के अनुरूप जटिल प्रदान कर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और रोजगार वृद्धि में योगदान दे रहे हैं।

### वित्तीय समावेशन की मदद से ग्रामीण बन राक्ते हैं जात्मनिर्भर

“प्रधानमंत्री जनधन योजना” मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो पूर्व की “स्वामिनान” नामक वित्तीय समावेशन योजना का परिवर्धित रूप है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 अगस्त, 2014 को वित्तीय समावेशन वाली इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की, जिसके ग्रामीण इलाकों में लोग आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा



### किसानों के कल्याण हेतु उपाय (2/2)

**किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करना**

**पीएम-किसान लाभालियों को रियायती भूमण**

**मछुआर और पशुपालन करने वाले किसान भी शामिल**

**2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त लिक्तकाटी**

2 (₹) 2020 के लिए 30 अक्टूबर की तारीख  
लागू : 15 अक्टूबर 2020

के अलावा नकद प्रवानगा को लेकर धिरोता रहते हैं। कभी-कभार ग्रामीणों के घर में चोरी भी हो जाती है या उनके परिवार के पुरुष सदस्य शराब पीकर या जुआ खोलकर गैरों उड़ा देते हैं। पशु खाद व बीज खीदने के लिए किसान को अक्सर गांव के पास के बाजार या दूसरे शहर जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान पैसों के गुम होने का खतरा बना रहता है। इसलिए सरकार इस योजना की भवद रूप से ग्रामीणों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहती है, जिसके बैंक में खाता खुलने से ग्रामीण अपनी जगा-पूजी बैंक में रखेंगे, जिससे उनके पैसे चोरी या बर्बाद होने से बच जाएंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीबाई) भारत सरकार की वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और गरीबी दूर करने की सबसे प्रमुख योजना बन गई है। इस योजना की मदद से महिलाओं और समाज के वित्तीय तबके को बैंकों से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैंक ग्रामीणों को वित्तीय रूप से साक्षर भी कर रहे हैं। पीएमजेडीबाई खाताधारकों को ब्रैण्ड, चीमा और रुपये या एटीएम कार्ड की सुविधा दी जा रही है। ब्रैण्ड सुविधा मिलने से ग्रामीणों को स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिल रही है और ये आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

वित्तीय समावेशन की संकलना को अमलीजामा पहनाने के लिए हर माह के 5 किलोमीटर के दायरे में नैकिंग सुविधाएं प्राप्त करना प्रयास, प्रत्येक ग्रामीण वयस्क को गांव 2024 तक मोबाइल के माध्यम से वित्तीय सुविधाएं देने, प्रत्येक इच्छुक और पात्र ग्रामीण वयस्क, जिनके पास प्रधानमंत्री जनधन खाता है, को शीमा एवं पेशन योजना का लाभ देने, गांव 2022 तक पालिक लैंडिट रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करने आदि मोर्चों पर भी बैंक कार्य कर रहे हैं। बैंक से जुड़ने से एक ओर समाज के कमज़ोर ताके के लोगों को अपनी जरूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए

धन की वस्तु करने, विभिन्न विलीय उत्पादों लेरो— जैकिंग सेवाओं, वीमा और पैशन आदि सुविधाओं के उत्पादों से देश के आर्थिक विस्तारकलापों से लाग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तो दूसरी ओर, इससे पूँजी निर्माण की दश में वृद्धि करने में भी खदद मिलेगी, जिससे देश में धन का प्रयाह बढ़ेगा और अर्थव्यापारस्था को गति मिलने के साथ-साथ आर्थिक मतिविधियों में तेजी आएगी।

**युद्ध काण से यांगीण अवृत्त्युत्तरस्था** को मिलेगा जल

सरकार के अनुसार लॉकडाउन के दौरान हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना (पीएमएमवाई) की मदद से की जा सकती है। नीति आयोग के सुधार्यका राजीव कुमार का भी कहना है कि पीएमएमवाई का भारतीय अर्थव्यवस्था को भज़्यूत करने में उल्लेखनीय योगदान है। इसीलिए, सरकार ने पीएमएमवाई के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह लाग शिशु मुद्रा ऋण लेने वाले लगभग 3 करोड़ लाभार्थियों को कम चाज दर के रूप में दिया जाएगा। पीएमएमवाई योजना के तहत तीन प्रकार के ऋण, यथा, शिशु, किशोर और तरुण दिए जाते हैं। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण कम चाज दर और आसान शर्तों पर दिया जाता है। किशोर योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक ऋण दिया जाता है और तरुण योजना के तहत कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का ऋण जरूरतमंदों को दिया जाता है।

रवरोजगार शुरू करने वालों के लिए पीएमएमवाई घेहड ही कायदेमंद साधित हुआ है। लघु एवं मझोले उद्योग शुरू करने में भी यह योजना अत्यंत लाभकारी है। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण देने का काम व्यावरायिक वैक, सहकारी वैक, क्षेत्रीय ग्रामीण वैक, एनवीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) आदि कर रहे हैं।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (सांख्यिकी मंत्रालय) की वर्ष 2018 में जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 6 करोड़ लघु उद्योग हैं, जिनमें 12 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं। अधिकांश लघु उद्योग प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण की वजह से चल रहे हैं। सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए बड़ी कंपनियां जैसे फिलपकार्ट, पतंजलि, मेरु कैंच, मेक माई ट्रिप, जोमेटो, ओला, अमेजन और अमूल के साथ करार किया है। इस योजना की मदद से समाज के कमज़ोर वर्ग जैसे, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। एक अनुमान के अनुसार इस योजना की मदद से देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। कोरोना महामारी से उपर्युक्त संकट से निपटने में भी इस योजना की महत्वी मूमिका रहेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है।

वैक से जुड़ने पर किसानों को गिलने वाले फायदे

भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों को योनो डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, जिसके जरिए किसान वहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत किसान ई-स्टोर खोला गया

है। यह भारत का पहला ई-स्टोर है, जो किसानों को कृषि सामग्री और कृषि से जुड़ी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह स्टोर देशभर में कृषि सामग्रियों के आपूर्तिकर्ताओं के साथ जिलेक काम कर रहा है। इसकी ऐवरसाईट भी है, जिसमें कृषि ज्ञान से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। इस ई-स्टोर में बीज पीड़ा-राशकाण से संबंधित सामग्री, पीड़ा पोपण, कृषि से संबंधित विविध उत्पाद, कीटनाशक, फार्मूलनाशक, कृषि जैव उत्पाद, नींबू का तेल, ऑर्गेनिक उत्पाद, संवर्द्धक, कृषि उपकरणों के अणुण ग्राहकों की विस्तृत शृंखला जैसे, छिड़काव यंत्र, बुद्याइंयंत्र, आदि ऑनलाइन उपलब्ध हैं। यह कृषि उपकरण, संबिंद्यां, फल एवं अन्य पोषण आदि किसानों को सरती दर पर उपलब्ध कराता है।

भारतीय स्टेट बैंक किसानों के लिए मंडी, मित्र और कृषि गोल्ड ऋण आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। मंडी एवं नियम के अंतर्गत किसानों की गैर-वैकिंग जलरत्नों को पूरा किया जाता है। मंडी के तहत किसानों को बाजार उपलब्ध कराया जाता है जहाँ किसान विना किसी विचालिये के लेन-देन कर सकते हैं। इन बाजार में किसानों को उनके उत्पादों की वास्तविक कीमत मिलती है। 'मित्र' के तहत किसानों को बैंककर्मी सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कृषि गोल्ड ऋण के अंतर्गत आसान शर्तों एवं रास्ती व्याज दर पर किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह ऋण ग्रामीणों में येहद लोकप्रिय है क्योंकि ग्रामीण भारत में सोने के गहने खरीदने का चलन प्राचीनकाल से है। सभी ग्रामीण महिलाओं के पास कुछ न कुछ सोने के गहने जल्द होते हैं जिसका कठिन परिस्थिति में इस्तेमाल करके वे अपनी नकदी की जलरत्नों को प्रा कर सकते हैं।

योनो किसानों को पूर्ति और नपता स्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराता है। पूर्ति स्लेटफॉर्म पर संवाद की भाषा देरी है, ताकि किसान आसानी से बीज, उर्वरक, कृषि उत्पाद आदि का ऑडर कर सकें। इससे जुड़े किसान इनकी खरीददारी के लिए यैक से ओरण भी ले सकते हैं। इसके जरिए मुवा किसानों को डिलीवरी योग की नौकरी भी मिल सकती है। इस स्लेटफॉर्म की मदद से किसानों, बैंकों और विविध उत्पादों के आपूर्तिकर्ता को सीधे तीर पर लाभ मिल सकता है।

नपंता प्लेटफॉर्म की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों को वहुआयामी मदद करने के लिए की है। इस प्लेटफॉर्म से लाखों किसान जुड़े हुए हैं। यह रियल टाइम बेंचिस पर किसानों को बाजार में चल रही फसलों की कीमत के बारे में बताता है। इसके अलावा, यह फसल प्रबंधन, फसल बीमा, कृषि तकनीकी समस्याओं का समाधान एवं कॉल्ड स्टोरेज से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है।

योनी पंपकार्ट, एम्ब्रोस्टार और स्काइमटचर प्लॉफान का उपलब्ध कराता है। पंपकार्ट एक आगणी विजनेस दू विजनेस है—कॉमर्स प्लॉफॉर्म है, जो छोटे, मझोले और बहुद व्यवसाय को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। यहां पर खुदरा और

प्रबहत के पाईपलाइन खरीदने आदि के लिए भी ऋण देते हैं।

#### नियम

सरकार ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा बुनियादी ढांचा विकसित करना चाहती है, जिससे किसानों यी एक निश्चित आमदनी को सुनिश्चित किया जा सके और इस प्रक्रिया में किसानों का शोषण भी न हो। साथ ही, सरकार कृषि से जुड़े जोखिमों को भी कम करना चाहती है। जोखिम रहित खेती—किसानी से किसानों का मनोबल बढ़ेगा और वे पूरे मनोयोग से खेती—किसानी कर सकेंगे।

‘द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2019 ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशिल इन्डलूजन रिपोर्ट’ में कहा गया है कि वैश्वक रूपर एवं वित्तीय समावेशन को लेकर माहौल में सुधार हुआ है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने वित्तीय समावेशन के लिए सबसे अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने के निर्धारित मानदंडों पर भारत ने शत-प्रतिशत अक्ष हासिल किए हैं। देखा जाए तो यह प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण ही संभव हो सका है। मौजूदा समय में ग्रामीण लोगों से यैकों से जुड़ रहे हैं। तीन जुलाई, 2020 तक इस योजना के तहत 39.57 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले जा चुके थे, जिनमें 1.33 लाख करोड़ रुपये जना थे। आजकल सरकारी बैंक कारोबारी प्रतिनिधि और कस्टमर सर्विस पॉइंट (सीएसपी) या छोटे बैंक की मदद से बैंकिंग सुविधाओं का दायरा बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबारी प्रतिनिधि ग्राहक और बैंक के बीच कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। देशभर में 1.26 लाख बैंक ग्रामीण गांव—गांव धूमकर ग्रामीणों को शाखारहित बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।

बैंक से नहीं जुड़े होने के कारण ग्रामीण अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो महाजन, सूदखोर, साहूकार आदि वी शरण लेते हैं या फिर किसी चिट-फंड कंपनी की। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आगाज से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। साथ ही, बीमा एवं पेंशन की सुविधा मिलने से उनके मन-मरिटिक से भविष्य के लिए चिंता खत्म हुई है।

देश में लगभग 1.30 लाख से अधिक बैंक शाखाओं का नेटवर्क है और गार्थ, 2019 तक देशभर में 2.21 लाख एटीएम थे। बैंक से ग्रामीणों के जुड़ने की वजह से ही बैंक किसानों और लघु छोटे एवं मझोले कारोबारियों को विविध प्रकार का ऋण दे रहे हैं। बैंक, ग्रामीणों को वित्तीय लप से साक्षर भी कर रहे हैं। साथ ही, उन्हें कैसे अधिकतम लाभ मिल सकता है, इससे भी अवगत करा रहे हैं। निसंदेह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बैंकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके सहयोग से ही ग्रामीणों को ‘आत्मनिर्भर’ बनाया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली लाई जा सकती है।

(लेखक गार्थीय स्टॉट बैंक के नॉरपोरेट केंद्र, मुंबई के आर्थिक जनराशान विभाग में ग्रुप्प प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और आर्थिक एवं वैज्ञानिक विषयों पर कौद्दित पत्रिका ‘आर्थिक दर्पण’ के संपादक हैं।)

ई-मेल : singhsatish@sbi.co.in

दूरे कारोबारी कारोबार करने के अनेक अवसर पाते हैं। किसान का उपयोग कर सकते हैं। एग्रोस्टॉर भारत का पहला तकनीकी स्टार्टअप है। यह प्लेटफॉर्म किसानों की कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान पेश करता है। इस प्लेटफॉर्म पर मिस्डकाल या ऐप के जरिए किसान अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। वहाँ किसानों के फायदे के लिए कृषि से जुड़े लेख, समाचार एवं महत्वपूर्ण कृषि जानकारियां पोस्ट की जाती हैं, जबकि रक्काईमेटवेदर प्लेटफॉर्म किसानों को नौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है।

यैक एमएसएमई कारोबारियों को संयति के एवज में ज्ञान, ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पप डीलरों एवं अन्य डीलरों की ज्ञान, वैयरहाउस रिसीट पर ऋण अर्थात् वैयरहाउस में रखे अनाजों के बदले ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी ऋण, दाल, घावल, धीनी, कपड़ा आदि मिलों के लिए ऋण, ग्रामीण बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण, दैनिक जलरतों को पूरा करने के लिए दैयकितक ऋण, ग्रामीण क्षेत्र में वलीनिक खोलने के लिए डॉक्टर एलस ऋण, स्कूल या महाविद्यालय खोलने के लिए ऋण आदि उपलब्ध कराते हैं।

आज ग्रामीण क्षेत्र में कोर्पोरेट टाईअप के जरिए किसान अपनी फसलों या कृषि उत्पादों को सीधे कोर्पोरेट्स को बेच रहे हैं, जिससे उन्हें स्थानीय मंडी जाने की जरूरत नहीं होती है और न ही दुर्लाल पर खर्च करना पड़ता है। कोर्पोरेट्स सीधे खेत—खलिहान या घर से अनाज या कृषि उत्पाद स्थानीय मंडी से ज्यादा कीमत पर खरीदते हैं। आज देश के विभिन्न हिस्सों में टाटा कंपनिकल प्राइवेट लिमिटेड, नमस्ते इडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड, सर दोरावली टाटा एंड एलाइड ट्रस्ट, पेप्सिको इंडिया होलिडग प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक एंड्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जुगिलेट कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, सेव सोल्वूशन प्राइवेट लिमिटेड, अधिकार माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, विलेज माइक्रो क्रेडिट रार्किसेज प्राइवेट लिमिटेड आदि कोर्पोरेट्स कार्यरत हैं, जिनका काम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से जुड़े किसानों, ग्रामीण क्षेत्र के लघु एवं छोटे कारोबारियों के साथ कारोबार करना है।

इन कोर्पोरेट्स के आने से किसानों एवं ग्रामीण कारोबारियों को विचोलिये को कमीशन नहीं देना पड़ता है तथा उन्हें अनाजों, कृषि उत्पादों, पशु, मछली, कुक्कट आदि वेचने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता है। चूंकि, ये कार्पोरेट्स बैंक के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में कारोबार करते हैं, इसलिए, कोर्पोरेट्स के साथ कारोबार में पारदर्शिता बनी रहती है। साथ ही, किसानों और ग्रामीण कारोबारियों का शोषण करना भी मुमकिन नहीं होता है और किसानों तथा ग्रामीण कारोबारियों को बैंक से आसानी से ऋण भी मिल जाता है। बैंक किसानों को जमीन खरीदने, एग्री क्लीनिक खोलने, पॉली हाउस बनाने, कम्बाईड हार्डस्टर खरीदने, पशुपालन, मछलीपालन, मशरूम की खेती करने, कुक्कट पालन, सुअर पालन, बागवानी, बकरीपालन, सेरीकल्वर, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, ट्रैक्टर,

# किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास

—संतोष पाठक

किसानों तक सीधे सरकारी नकदी सहायता पहुंचाने के साथ-साथ सरकार कृषि और इससे जुड़े उगाए गए खेतों के विकास के लिए भी समर्पण की जा रही है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य को व्यान में रखते हुए कृषि खेतों के आधारभूत ढांचे को अल्पवृत्त करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना पेश की गई। इस फंड से कृषि उपज के मुद्दारण, वैन्यु एडिशन सहित कई गतिविधियों को बढ़ावा दिलेगा। आत्मनिर्भर भारत और सुशाश्वल किसान के सपनों को साकार करने के लिए सरकार स्वाच्छ प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा देने का भरपूर प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस सरह के उद्दोगों के साथ जोड़कर आमदनी बढ़ाने के लिए काम किया जाए।

**को** ऐना संकटकाल ने एक बार पिन्ह से भारत के लिए खेती-किसानी के महत्व को राखित कर दिया। कोविड संकट में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था के पहिए की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, तब भारत के किसानों ने गांवों में उपलब्ध राशनों से ही घंटर गिरावर की। लौकड़ाउन में फसल कटाई का काम सामान्य गति से जारी रहा और उपादान भी पिछली बार से अधिक रहा। खरीद की फसलों की सुगंध भी पिछली बार से 45 प्रतिशत अधिक रही। संकट की इस पड़ी में भारतीय किसानों की दानता और ज्ञान जगत के प्रयास इस संघर्ष के माध्यम से भी स्पाट होते हैं कि इस ये खरीद सुगंध का खेत 316 लाख हेक्टेयर रहा है। जबकि यह पिछले वर्ष 154 लाख हेक्टेयर और पिछले पांच वर्षों के दौरान और अंत तक 187 लाख हेक्टेयर ही रहा था। ये सब किसानों ये हमारे गांवों की ताकत को प्रदर्शित करता है।

## भारतीय किसान-जन्यव्यवस्था की जीव

2022 तक किसानों वी आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली सरकार और कृषि के तमाम जानकारों का यह मानना है कि इस खेत को व्यापक रैमाने पर सरकारी और

निजी नियोग की जरूरत इस बात की भी है कि किसान अपनी खेती का दायरा बढ़ाए और कृषि से संबंधित खेतों पर ज्यादा फोकस करें। यह इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि देश-दुनिया में सेती किसानी का तेजी से विस्तार होता जा रहा है और सामाजिक फरसलों की खेती की बजाय इससे संबंधित खेतों पर ध्यान देने से ज्यादा आमदनी होती है।

वर्तमान केंद्रीय सरकार भी यह मान रही है कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब किसान रिएक्ट खेती वी बजाय बागवानी, पशु-पालन, डेयरी, गत्ता गालन जैसे कामों को भी योजनाबद्ध तरीके से करें। सरकार इसके लिए एक राष्ट्र कई गोर्जों पर काम कर रही है। एक तरफ जहां किसानों को इस संघर्ष में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार को विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं तो यही साथ ही दूसरी तरफ केंद्र सरकार इनसे जुड़े हुए आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर भी काम कर रही है। योजनाएं बना रही हैं और इसके लिए फंड भी मुहैया करा रही है। कई योजनाओं की घोषणा तो सरकार ने पहले ही बजट भाषण में



कर दिया था लेकिन कोरोनो संक्रमण काल में हिंदूकोले या रही कृष्णव्यवस्था उत्तर दोहर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिस पर शहरों से हुए झड़ानक पलायन ने शोष और ज्ञाना बढ़ा दिया है कि नज़दीकी देने के लिए सरकार ने अपने खेतों का मुहूर घोल दिया। कृषि कंट्रोल की सरकार को इस बात का अहसास भयानी है कि पौधारोप, चदारीकरण और शहरीकरण की तरफ रक्षावाहक बाबूजूद बहाने में भी देश की आगामी के 50 प्रतिशत से ज्ञाना हिस्से को कृषि क्षेत्र से ही आजीविका मिलती है यानि देश की आगी आगामी से ज्ञाना की जनसंख्या आज भी अपने जीवन-यापन के लिए किसी न किसी रूप में खेती-किसानी से जुड़ी हुई है भले ही उसके जन्म जल्ला-जल्ला हो। आंकड़े यह भी बताते हैं कि उत्तर घरेलू उत्पाद में भारतीय कृषि की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत के तराफ़ से है।

### भारतीय कृषि का बढ़ता दायरा—सरकारी नदद

भारतीय कृषि का क्षेत्र अब बहुत व्यापक हो गया है। आज के ज़दर्दन में जब हम भारतीय कृषि की बात करते हैं तो इसमें कृषि, गांवों, डंडरी, नल्स्य उद्योग समेत वो तमाम क्षेत्र आते हैं जिनसे किसी न किसी प्रकार किसानों को आनंदनों होती है। किसानों तक तो भी सरकारी नकदी जहायता पहुंचाने के जाथ-साथ सरकार कृषि और इससे जुड़े तमाम क्षेत्रों के विकास के लिए भी समग्र योजना बना कर कान कर रही है।

मई 2020 में 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की तीसरी किस्त का ऐलान करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि राहत पैकेज की यह तीसरी किस्त मुख्यतः पर कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए ही जारी की जा रही है। बास्तव में राहत पैकेज की इस तीसरी किस्त के जरिए भारतीय कृषि क्षेत्र और किसानों को कोरोना संकट से बचाने और उदारने की कांशिश की गई। सरकार की चिंता इस बात को लेकर भी साफ-साफ नहीं थी कि कोरोना महामारी को देश में फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन-सहित जितने भी कदम उठाए थे, उसका उत्तर जीतों ने उत्पादन से लेकर फसलों की बुआई-कटाई और मंडी में बेचने तक नकारात्मक रूप से पड़ा था और यह साफ-साफ नज़र में भी रहा था। इसी को देखते हुए आगे चलाकर भारत सरकार ने गम्भीर सरकारी के लिए एक गाइडलाइन जारी कर कृषि से जुड़े हुई क्षेत्रों में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए छूट देने का निर्देश दिया था।

### आत्मनिर्भर भारत — बोकल फॉर लोकल अभियान

उन निर्देशों के साथ-साथ ही भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत और बोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी योजना भी बना रही थी जिसका ऐलान वह तीसरी किस्त जारी करते समय और उसके बाद कई मंथों में किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी कई मंथों से इसकी कोरोना संनालते नज़र आए और उन्होंने किसानों को सीधे संबोधित नीं किया। तीसरी किस्त जारी करते समय वित्त मंत्री ने 11 ऐलान

"ऑपरेशन ग्रीन" के लिए  
500 करोड़ रुपये;  
टॉप से 'टॉटल' तक



अंतर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा दिए गए वित्तीय संबंधों का अनुभव

उत्तराखण्ड में बढ़ेकरते बाजारों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 50% सुधार

कोलकाता वित्तीय बाजार में 50% सुधार

बंगलुरु में 6 महीने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़ेकरते वित्तीय बाजार

बंगलुरु में 6 महीने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़ेकरते वित्तीय बाजार

14 ₹ 2020 के दूसरे अंक वित्तीय वर्ष 2020 के दूसरे अंक



किए जिनमें से 8 चौथे तीव्र पर कृषि और कृषि की आधारभूत संरचना क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अन्य 3 ऐलान सुनातान और सुधार से जुड़े हुए थे। कुल निलाकर आर्थिक पैकेज की इस तीसरी किस्त में किसानों को 1.65 लाख करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाने की योजना पेश की गई।

किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के आधारभूत दाँधों को नज़दीक करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना पेश की गई। इस फॉड से कृषि उपज के भंडारण, वैल्यू एडिशन सहित कई गतिविधियों को बढ़ावा दियेगा। योजना का उद्देश्य इस तरह से दनाया गया ताकि किसानों से जुड़े उत्पादक संघ और कोऑपरेटिव सोसायटी भी इसका लाभ उठा सकें।

### खाद्य प्रसंस्करण से बढ़ती कमाई

आत्मनिर्भर भारत और खुशहाल किसानों को सपनों को साकार करने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा देने का भरपूर प्रयास कर रही है। सरकार की कोरिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस तरह के उद्योगों के साथ जोड़कर उनकी आमदानी बढ़ाने के लिए काम किया जाए। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में खाद्य प्रसंस्करण 10 प्रतिशत से भी कम होता है लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ही नहीं बत्ति दुनियाभर में तेजी से मूल्यवर्धित खास्तगर्वक और प्रसंस्कृत खाद्यों की मांग बढ़ रही है। वैश्विक जैविक बाजार प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

## लोकल को बांड बनाने का बड़ा अभियान

भारत गैरू, खाद्य, दालों, गन्ने और कच्चास जैसी फसलों के मुख्य उत्पादक देशों में गिना जाने लगा। खाद्यान्न उत्पादन के साथ-साथ बागवानी और डेयरी उद्योग में भी भारतीय किसानों की महत्वत ने कमाल कर दिया। दुध उत्पादन के मामले में भारत पहले और फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। लेकिन इन तमाम कामयापियों के बावजूद अगर कुछ नहीं बदला तो वह थी भारतीय किसानों की हालत। इसी को देखते हुए बर्तमान सरकार ने 2022 तक किसानों की आनदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा और इसके लिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया।

किसानों के लिए घोषित किए राहत पैकेज में भारत सरकार ने छोटी खाद्य प्रसंस्कारण इकाइयों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया। इससे एक तरफ जहाँ खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने वाली छोटी इकाइयों को फायदा पहुंचना तथा माना जा रहा है तो वहीं साथ ही इससे अद्याननंत्री की नरेंद्र मोदी का "लोकल के लिए बोकल" होने का नाश भी साकार हो सकता है। सरकार की इस घोषणा से विहार में खानाओं के इमीर में केसर और आध प्रदेश में निर्यात से लोकल उत्पादों की खेती से जुड़े किसानों और छोटी इकाइयों को फायदा होगा। इससे किसानों की आनदनी तो बढ़नी ही, साथ ही आत्मनिर्भर और खुशहाल किसान के सपने को भी साकार करने में मदद मिलेगी।

## मत्स्य पालन—आय का बड़ा साधन

20 हजार करोड़ रुपये की प्रवानगानंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसकी घोषणा वैसे तो बजट में की गई थी लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए इसे सरकार ने तत्काल लागू करने का ऐलान कर दिया। अगले 5 सालों में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई इस योजना

#AatmaNirbharDesh

my GOV

### प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये (2/2)



मधुआरों को बैन पीरियड (जिस अवधि में मालवाली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है) स्पोर्ट, व्यक्तिगत और नौका योगा के प्रात्यधान किए जाएंगे

5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा और नियंत्रित दोगुना होकर 1,00,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा

अंतर्राष्ट्रीय, हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर और आकंक्षी जिलों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा; 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा



किसानों को होपण से बचाने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जून 2020 में राष्ट्रपति ने ग्रानीज भारत और कृषि को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से केंद्रीय कोषिनेट द्वारा परित दो व्यवस्थाएँ को मंजूरी दी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए भारत सरकार के फसलों की घोषणा के बाद राष्ट्रपति ने कृषि उपज व्यापार और व्यापिक्य (सर्वान् और सुविधा) अध्यादेश 2020 और मूल्य लक्षण पर किसान सन्हारोत्ता (अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा) और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को जारी किया। इन अध्यादेशों के लिए अतर-राज्य व्यापार बाधाओं को दूर करके एवं कृषि उपज की इं-ट्रेडिंग प्रदान करके किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए पसंदीदा बाजार बुनाने का विकल्प दिया गया। इससे कृषि इन्हें में समृद्धि आएगी और परिणामस्वरूप किसानों की आमदनी की बढ़ेगी।

से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, मधुआरों को नई नौकाएँ दी जाएंगी, मछली पालन से जुड़े बुनियादी ढांचों को नज़दीक किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस योजना की वजह से नीता का नछली नियंत्रित बढ़कर दोगुना यानी 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलकृषि उत्पादक और चीथा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य नियंत्रक देश बन गया है।

## किसानों का एटीएम—पशुपालन और डेयरी

पशुपालन किसानों की आय का हमेशा से ही एक बड़ा लक्ष्य रहा है। इसे किसानों के लिए एटीएम की संज्ञा भी दी जाती है। हाल के वर्षों में किसानों में पशुपालन और डेयरी उद्योग के जरिए आय बढ़ाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ी है और इसलिए यह भी सपना किसानों की खुशहाली का देखा जाता है तो इसने पशुपालन का खालीपात्र से ध्यान रखा जाता है। इस क्षेत्र में किसानों की आमतौर पर दो समस्याओं का ही सामना करना पड़ता है—पशुओं की बीमारी और डेयरी उत्पादन का सही से भंडारण ताकि उसे खराब होने से बचाया जा सके। कोरोना के संकटकाल में सरकार ने इसका भी खास ध्यान रखा है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की राशि की घोषणा करते हुए सरकार ने एक एनिमल हस्टेंडरी डेवलेपमेंट फंड बनाने का ऐलान किया। कैटल फीड अथांत जानवरों के चारे, मिल्क प्रोतोतिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ ही इस कंड का ऐलान किया गया है और जाहिर-सी बात है कि इसका फायदा किसानों को बढ़ती आमदनी के रूप में मिलेगा ही। जाय ही, 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण के लिए 13.342 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम की भी घोषणा की गई है। इससे दूध देने वाले गाय और मैस जैसे पशुओं को मुंडपका और खुरपका जैसे सोगों से बचाने में मदद मिलेगी। इससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी भी। अगले डेढ़ वर्षों में लगभग 57 करोड़ मवेशियों को उनके अभिनावक, उनकी नस्त एवं उत्पादकता का

पांच लाखों के लिए लिंगिटल प्लेटफॉर्म पर शैक्षिक आईडी देने की भी योजना तैयार की गई है।

### एवं खेती और बागवानी पर जोर

खासान उत्पादन, पशुपालन और ऐसी उद्योग के अलावा की आमदानी खेती से बढ़ रही है और बढ़ाई भी जा सकती है। आम के दिनों में एवं खेती से बढ़ने वाले भी जोर पाकड़ा है। इसे देखते हुए सरकार ने गंगा नदी के बिनारे 800 हेक्टेयर भूमि पर एवं तराई के लिए कौरिकोर बनाने की योजना बनाई है। 4 हजार करोड़ रुपये की इस योजना से किसानों को 5 हजार करोड़ रुपये की उत्तिक्षा आगे होने का अनुमान लगाया गया है। सरकार ने योजना 10 लाख हेक्टेयर में एवं खेती की खेती करवाने की है।

### भूमध्यस्थी पालन पर विशेष ध्यान

आत्मनिर्भार और खासान किसान के सपने को साकार करने के लिए भूमध्यस्थी पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना संकटकाल में सरकार ने भूमध्यस्थी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इस योजना रो 2 लाख भूमध्यस्थी पालक किसानों की आय बढ़ायी गयी है।

### ओंपरेशन भीन का विस्तार


फल और सब्जियां, किसानों की आय का मुख्य जरिया बनती जा रही है। भारत लागत में इन उत्पादों की खेती होती है। सब्जियां जल्द उत्तम भी जाती हैं और इसकी विक्री के लिए भी बाजार हमेशा उपलब्ध रहती है। फलों के उत्पादन में समय लगता है लेकिन एक बार पैदा हो जाने के बाद रह छर साल किसानों को कौश की आमदानी देता है। इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए सरकार ने ओंपरेशन भीन का विस्तार 'टॉप टू टोटल' के आधार पर कर दिया।

6। यह तथा किया गया है कि सभी फल और सब्जियों के परिवहन पर और रटोरेज पर अलग-अलग 50 फीसदी की समिक्षा की जाएगी। पहले इस योजना में दिए गए आलू, बाज और टमाटर को ही शामिल किया गया था लेकिन अब 500 करोड़ रुपये का प्रबन्धन करते हुए इस योजना में तभी फलों और सब्जियों को शामिल कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि फलों और सब्जियों को खराब होने से बचाया जाए ताकि डॉ और दवायां के कारण किसानों को सरसे दामों पर आगे उत्पाद को बदना न पड़।

सरकार की यह योजना साफ़ है कि कृषि किसान और कृषि से संबंधित वेत्रों का विकास और उत्थान इस प्रकार किया जाए ताकि किसानों की आय बढ़े। इसी सकूल का ध्यान में रखते हुए यहाँ एक तरफ सरकारी सहायता दाति सीधे किसानों के दैनिक खाते में पहुंचाई जा रही है तो दूसरी ओर खेती-किसानी से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत बनाने पर भी काम किया जा रहा है। खासान उत्पादन के साथ-साथ किसानों को पशुपालन, देखरी उद्योग, मछली पालन, हर्बल खेती, बागवानी, सब्जी और फल की खेती की तरफ जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को शोषण से बचाने के लिए उनके उत्पादों के उत्तिर गंडारण की व्यवस्था का मजबूत किया जा रहा है और साथ ही, उन्हें किसी भी राज्य में जाकर अपने उत्पादों को बेचने की छूट देने के लिए कानूनी अधिकार भी दिया जा रहा है। कानून के जरिए किसानों के हितों की रक्षा करने की सरकार की मंजुरा अपने आप में काफी हटकर है जो इससे पहले की सरकारों ने कर्नी नहीं किया।

(लेखक विश्व एकाकार है; इसका निकाल वीडियो और प्रिंट वीडियो से ताकि यह जुड़े हुए हैं। समसामयिक सामाजिक और ग्रामीण परिवेश से जुड़े मुद्राओं पर लिखते रहते हैं।)

ई-मेल : Santoshpathak3401@gmail.com



## नोवल कोरोनावायरस रोग (COVID-19)

Help us to help you

# मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है

- खुद के लिए समय निकालें
- उन लोगों से बात करें, जिन पर आप भरोसा करते हैं
- नियमित रूप से व्यायाम एवं योग करें

अगर आप तनाव या चिंता गहराया कर रहे हैं,  
तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान  
(NIMHANS) के (टोल फ्री) #080-46110007 पर कॉल करें

बदलकर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार



# कोरोना काल में स्वयंसहायता समूहों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान

-हेना नक्की

कोरोना के इस दौर में देश को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस दौरान लोगों ने परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाला और विजेता के रूप में भी उभरे हैं। इसके अनेक उदाहरण इस कोरोना काल में दिखाई दिए हैं। इस आपदा में जन समाज के विभिन्न वर्गों के सामने रोधी-रोटी का संकट खड़ा हो गया, तब ग्रामीण धोत्रों में स्वयंसहायता समूहों की महिलाओं ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। 'अनौपचारिक सेक्टर' का दर्जा प्राप्त इन स्वयंसहायता समूहों के सदस्यों ने इस कठिन समय में देश, विशेषकर ग्रामीण धोत्र की अर्थव्यवस्था में विभिन्न तरीकों से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और आपदा को अवसर में बदलने का बहुतरीन उदाहरण पेश किया है। विस्तार से जानिए, इस आलेख में।

“स्वयंसहायता समूह निर्धन परिवारों परिवर्तन ग्रामीण समाज की महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समूह की हर सदस्य अपने-आप में संकल्प, सामूहिक प्रयासों एवं उद्यमशीलता का प्रेरणादायी उदाहरण है।” प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 जुलाई 2020 को स्वयंसहायता समूहों के साथ संपन्न वीडियो विज कार्यक्रम में यह उद्घाटन किए।

निसदेह भारत के ग्रामीण धोत्रों की अर्थव्यवस्था में स्वयंसहायता समूहों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हैं। समूह सदस्यों की एकीकृत शक्ति उन्हें सामाजिक-आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका भिशन के माध्यम से देश में स्वयंसहायता समूहों पर आधारित सामाजिक-आर्थिक

विकास की मुहिम इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम एक निरिचित तन्त्र-सीमा में ग्रामीण धोत्रों के प्रत्येक निर्धन परिवर्तन से कम से कम एक महिला को स्वयंसहायता समूहों एवं तन्हीं को संघों से जोड़ने की ओर अग्रसर है। इस रणनीति के तहत कार्यक्रम का लक्ष्य लाभार्थी नहिलाओं को जीविकोपार्कन के सतत अवसर प्रदान कर उन्हें गरीबी के कुप्रण से होनेशा के लिए बहुत निकालना है। भारत सरकार के पञ्च सूचना कार्यालय के अनुसार देश के विभिन्न धोत्रों (दिल्ली एवं चौडीगढ़ को छोड़कर) में संचालित किए जा रहे इस कार्यक्रम के तहत गठित स्वयंसहायता समूहों की वर्तमान संख्या 63 लाख से अधिक है। ग्रामीण परिवारों की लगभग 690 लाख निर्धन नहिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। तन्हीं एवं उनके संघ (ग्राम संगठन तथा क्लस्टर-तत्त्वीय फैलोशन) इन महिलाओं को उनकी क्षमता, रुचि तथा स्थानीय-स्तर पर उपलब्ध



ग्रामीण धोत्रों आर्थिक सामाजिकरण की ओर पहला कदम

## बिहार गे स्वयंसहायता समूहों द्वारा स्थानीय हरताशिल्प के साथ व्यापक-रूप पर गारक उत्पादन

एक बदाककारी उपाय के रूप में मास्क के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बिहार के राज्य ग्रामीण जीवीपिका मिशन-‘जीविता’ के स्वयंसहायता समूहों द्वारा राज्य के सभी ज़िलों में व्यापक-रूप पर गारक का उत्पादन किया जा रहा है। 38 ज़िलों में 50 उत्पादन इकाइयों के पारा वीरा उत्पादक उत्पादक उत्पादन इकाइयों में संलग्न हैं। यह राज्य परिवार बिहार के कारीगरों (शिलाई का कौशल जानने वाले) को भी इस कारी रो जोड़कर उनके लिए आय को वैकल्पिक स्रोत तैयार किए गए हैं। लगभग जानकारी के अनुसार इन इकाइयों द्वारा अब तक दो करोड़ से भी अधिक मास्क तैयार किए जा चुके हैं जिनकी मिली से इन उत्पादन इकाइयों को लेरह करेड रूपये से अधिक की आय प्राप्त हो चुकी है। दिलचस्प यात्रा यह है कि मास्क की यिक्की बिहार सरकार के विभिन्न सरकारी संस्थानों के अतिरिक्त प्रधानगंत्री वार्षांत्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आजीविका मिशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसे संगठनों तक हुई है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी तीन छाप देखी जा सकती हैं।



गारक पर मधुबनी पेटिंग

संसाधनों के अनुसार जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करते हैं। समूह सदस्यों की नियमित सामूहिक सूक्ष्म चर्चत के आधार पर उन्हें समूह द्वारा सूक्ष्म ऋण प्राप्त होता है। यह ऋण सामूहिक अथवा वैयक्तिक उद्यमों की स्थापना और संचालन में काम आता है और उद्यमों से प्राप्त आय की सहायता से उद्यमी महिलाएं आसान किस्तों पर ऋण अदा करती हैं जिससे उन पर किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ता और इस सुविधा के साथ वह अपने उद्यमों का विस्तार भी कर पाती है। आजीविका मिशन के तहत प्रति समूह दस से पन्द्रह हजार तक के रिवॉल्टिंग फंड तथा प्रत्येक समूह/संघ के लिए अधिकतम ढाई लाख रुपये के कम्पुनिटी

इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड की व्यवस्था है। उक्त व्यवस्था का उद्देश्य समूहों को आय उत्पादक गतिविधियों की शुरुआत में सहयोग करना है। समूहों को वैकों से लिंक करने तथा वैकों से उत्पादक ऋण लेने में भी सहयोग दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रों में आय-अर्जक गतिविधियों के लिए विहित परिवारों को प्रशिक्षित करने तथा तकनीकी सहयोग की व्यवस्था भी की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतर स्वास्थ्य-पोषण एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में भी स्वयंसहायता समूह सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं। उनके यह प्रयास गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आवश्यक सेवाओं की जानकारी, उन सेवाओं का लाभ उताने के लिए गर्भवती महिलाओं का प्रोत्साहन करने, सुरक्षित प्रसाव की सेवारी, संस्थागत प्रसाव को बढ़ावा देने, लाभक परिवारों से गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को उनके टीकाकरण/अन्य सेवाओं के लिए जुटाने, स्तनपान को बढ़ावा देने, 6-24 माह के बच्चों को पूरक आहार खिलाने, परिवार नियोजन के साधनों को बढ़ावा देने से लेकर किशोरी समूहों को माहवारी स्वच्छता जैसे आवश्यक मुद्दों पर जागरूक बनाने से जुड़े हैं।

समूहों द्वारा अपने सदस्यों को किचन गार्डन लगाने और शौचालय निर्माण जैसे कार्यों के लिए भी ऋण तथा तकनीकी सहयोग दिया जाता है। यही नहीं, शौचालय निर्माण के विभिन्न चरणों तथा नियमित



स्वयंसहायता समूह के मंच से गारू-शिरू स्वास्थ्य एवं पोषण को बढ़ावा

## 'दीदी की रसोई': कोरोना काल में वर्वॉरंटीन के द्वारा भोजन का हाथ

बिहार के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन—'जीविका' द्वारा राज्य के चार जिलों में संचालित 'दीदी की रसोई' द्वारा गोरोना काल में वर्वॉरंटीन के द्वारा की ओर मदद का हाथ बढ़ाया गया। इस अनूठी पहल के तहत बवरार, पैशाली, पूर्णिया तथा शेखपुरा नामक जिला अस्पतालों के निकट संचालित वर्वॉरंटीन के द्वारा में 'दीदी की रसोई' द्वारा रियायती दरों पर तीन समय के भोजन की आपूर्ति की गई। वर्वॉरंटीन के द्वारा में आवासित लोगों के लिए सप्तमय, पीष्टिक एवं स्वच्छता से बने भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना जिला प्रशासन के लिए एक कठिन कार्य था जो 'दीदी की रसोई' के सहयोग से आसान हो गया।

इस कार्य से जहां एक ओर वर्वॉरंटीन के द्वारा में समय पर भोजन की आपूर्ति हो सकी, वही इस सूक्ष्म उद्यम को व्यापार-विस्तार के अवसर भी प्राप्त हुए। इस उद्यम की दीदियों द्वारा वर्वॉरंटीन के द्वारा के लोगों को कोविड-19 के विभिन्न आयामों पर जागरूक बनाने का कार्य भी किया गया। बिहार सरकार, जीविका एवं समूह सदस्यों के सहयोग से स्थापित 'दीदी की रसोई' एक सूक्ष्म उद्यम है जिसका रायालन इन समूह सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में उक्त जिलों के जिला अस्पतालों के कोरोना आइसोलेशन बॉर्डों में यह सेवा जारी है। 'दीदी की रसोई' स्वयंसहायता समूह के सदस्यों का एक सूक्ष्म उद्यम है।

प्रयोग का समूहों द्वारा समुदाय-आधारित अनुश्रवण किया जाता है। सरकार के सेवा-प्रदाय ढांचों जैसे आंगनवाड़ी के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा तथा सरकार के सेवादाताओं के साथ एकजुट होकर यह समूह न केवल लाभार्थियों को आवश्यक सेवाओं की जानकारी देते हैं बल्कि उन्हें इन सेवाओं से जोड़ने में भी सहायता कर रहे हैं। इसके लिए यह समूह सरकार द्वारा समय-समय पर बलाए जाने वाले अभियानों एवं विशेष कार्यक्रमों में भाग लेकर लाभार्थियों को जुटाने में सहयोग कर रहे हैं। इस तरह से यह समूह अब सरकार तथा समुदाय के बीच की कड़ी बनकर काम कर रहे हैं। समूहों की यह नवीनतम भूमिका एक पैरोकार की है। साथ ही, इस भूमिका से आजीविका मिशन का एक आवश्यक तत्व, 'अभिसरण' (अर्थात् अधिकतम लाभ के लिए आवश्यक सेवाओं का एक धरातल पर आना) भी सुनिश्चित होता है। समूहों के यह प्रयास जागरूकता निर्माण और पैरोकार के अलावा समुदाय का व्यवहार सेकारात्मक रूप से बदलने की ओर भी अग्रसर हैं। इन प्रयासों से समाज के अति महत्वपूर्ण वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों तथा किशोरियों तक आवश्यक सेवाएं पहुंच रही हैं जिससे कुल मिलाकर समुदाय की सामाजिक स्थिति में सुधार आ रहा है।

किसी भी प्रकार की आपदा में अपने समुदाय की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाना भी इन स्वयंसहायता समूहों की पहचान है। भारत में कोविड-19 महामारी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न भागों में यह समूह अपने-अपने तरीके से इसके विरुद्ध जंग लड़ रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार कोरोना काल में देश के 90 प्रतिशत से अधिक जिलों में स्वयंसहायता समूह मास्क, रैनिटाइजर तथा पी.पी.ई. किट के उत्पादन में लगे हैं। पी.आई.टी. के अनुसार 12 अप्रैल, 2020 तक 27 राज्यों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन



दीदी की रसोई

के तहत 78,000 स्वयंसहायता समूह सदस्यों द्वारा दो करोड़ से भी अधिक मारक का उत्पादन किया जा चुका था। विभिन्न राज्यों के समूहों द्वारा हजारों पी.पी.ई. किट का निर्माण किया गया है जबकि 9 राज्यों के तहत समूहों द्वारा संचालित 900 सूक्ष्म उद्यमों द्वारा तकरीबन हजारों लीटर हैंड रैनिटाइजर का उत्पादन किया गया है। समूहों द्वारा इस प्रकार के उत्पादन का सिलसिला जनवरत जारी है जो इस महामारी के विरुद्ध उनकी कटिवहन्ता को दर्शाता है। आवश्यक सावधानी तथा स्वच्छता के साथ तैयार किए गए यह उत्पाद अपने-अपने क्षेत्र के उपमोक्षाओं तक किफायती दरों पर बिना किसी जटिल प्रक्रिया के पहुंचाए जा रहे हैं।

विश्व बैंक के अनुसार, अनेक राज्यों में यह समूह जलरत्नमंडों की सहायता के लिए सामुदायिक रसोई, जागरूकता अभियान तथा बैंकिंग/पैशन संबंधी सेवाओं को सुगम बनाने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। पी.आई.टी. के अनुसार 2020 तक देश के पांच राज्यों (बिहार, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश तथा ओडीशा) में सामुदायिक रसोई की शुरुआत की जा चुकी थी। इन राज्यों के 75 जिलों के 70,000 से अधिक निर्धारित लोगों को अप्रैल 2020 तक दिन में दो बार सामुदायिक रसोई द्वारा भोजन कराया गया।

कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा दी जा रही विशेष वित्तीय सहायता को ग्रामीण जनों तक पहुंचाने में बैंक राखी/प्यापार सरकी नामक समुदाय-आधारित कैडर की गहत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। यह दोनों प्रकार की सखियाँ स्वयंसहायता समूहों की सदस्याएं होती हैं जिन्हें विशेष प्रशिक्षण द्वारा इस काम के लिए तैयार किया गया है। इन सखियों के सहयोग से 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना', 'प्रधानमंत्री विस्तार रामानग' जैसी योजनाओं के लाभ कोरोना काल में भी लाभार्थियों के द्वारा तक पहुंच रहे हैं। इस प्रक्रिया में इन

संखियों द्वारा सामाजिक दूरी तथा मारक के प्रयोग जैरी आवश्यक साक्षणियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

इस महामारी में अति निर्धन परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए समूहों द्वारा खाद्य सुरक्षा अभियान भी चलाए जा रहे हैं जिसके तहत विभिन्न परिवारों से जरुरी सामान जुटाकर उत्तरात्मद परिवारों के बीच बांटा जा रहा है। यहां विहार के राज्य गांवों आजीविका भिशन—‘जीविका’ के एक मुट्ठी अनाज अभियान का उल्लेख करना आवश्यक है। विहार के जीविका समूहों ने इस कार्यक्रम के तहत घर-घर से एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा किया। यह अनाज ऐसे जारीतमद परिवारों में बांटा गया, जिनकी आजीविका इस कोरोना काल में समाप्त हो गई थी।

समूह के सदस्यों द्वारा जनवितरण प्रणाली (राशन व्यवस्था) जो भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस सहयोग के तहत तन्ह के सदस्य अपने—अपने क्षेत्र के परिवारों के राशनकार्ड एकत्र लेते हैं तथा राशन दुकानों से राशन एकत्र कर संबंधित परिवारों तक पहुंचाते हैं। इस कदम का उद्देश्य राशन दुकानों में भीड़ को न लगाने देना और इस तरह से कोरोना वायरस के सङ्क्रमण को रोकना है। समुदाय—स्तर पर कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता निर्माण में भी इन समूहों की महत्वी भूमिका है। समूह के सदस्य नवाइल फौज, दीवार लेखन, वॉटरसेप, रंगोली जैसे माध्यमों से जनाजिक दूरी, मास्क लगाने, नियमित रूप से हाथ धोने जैसे मुद्दों पर समुदाय को जागरूक बना रहे हैं। विहार में ‘भोवाइल बाणी’ नामक एक तंवादात्मक अव्य माध्यम से विषय—मूलक संदेश दिए जा रहे हैं तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा समुदाय के प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। स्वयंसहायता समूहों द्वारा समुदाय के लोगों का कन नन्वर जुटाने में सहयोग दिया जा रहा है।

कोरोना काल में भी सरकार द्वारा इन समूहों के सृदृशीकरण के द्वारा अनवरत जारी है। सरकार के विशेष पैकेज द्वारा रियोलिंग टड़ की राशि बढ़ाई गई है और बैंक लिंकेज में भी कई प्रकार की रियायतें बढ़ाई गई हैं। बैंकों से इन समूहों को दिए जाने वाले रूप की वित्तीय सीमाओं में भी रियायत दी गई है। इसका अर्थ है कि इन समूहों को नई गतिविधियों या उद्यम घलाने के लिए अधिक पूँजी उपलब्ध होगी। कोरोना काल में जो प्रवासी अमिक परिवार अपने मूल राज्य लौटे हैं, उन परिवारों की वयस्क महिलाओं ने उन्हें अपने समूह राज्यों के आजीविका भिशनों द्वारा बनाए जा रहे हैं या इन महिलाओं को पहले से चल रहे समूहों से जोड़कर स्वायत्ववान् व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वयंसहायता समूहों को और अधिक सृदृढ़ बनाने की दिशा में कुछ अन्य उपाय भी सुझाए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपदा से जूझने के लिए स्वयंसहायता समूहों को आपदा जीखिम न्यूनीकरण के आयामों पर नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तथा हर स्वयंसहायता समूह में इस विषय पर एक प्रशिक्षक—दल की उपलब्धता होनी चाहिए। साथ ही, इस दल का

## आपदा को अवरार में बदलें

सही अपोन्न से, सकारात्मक अपोन्न से हमेशा आपदा को अवरार में, विषासि को विकास में बदलने में महत्व महाद मिलती है। अभी हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं कि कौनसे हमारे देश के गुवाओं—महिलाओं ने आपने टेलैट और रिक्षा के दम पर कुछ नए प्रयोग शुरू किए हैं। विहार में कई युवन रोल्क एल्प गुप्त ने मधुबनी पैटिंग वाले मारक बनाना शुरू किया है, और देखते—ही—देखते, ये खूब पोपुलर हो गए हैं। ये मधुबनी मास्क एक तरह से अपनी परम्परा का प्रचार तो करते ही हैं, लोगों को स्वास्थ्य के साथ रोजगारी भी दे रहे हैं। आप जानते ही हैं नार्थ—ईस्ट में यैन्यू गांवी वास, किंतनी बड़ी मात्रा में होता है, अब इसी वास से ब्रिपुरा, मणिपुर, असाम के कारीगरों ने हाई ब्यालिटी की पानी की बोतल और टिफिन बॉक्स बनाना शुरू किया है। यैन्यू से, आप अगर इनकी ब्यालिटी देखेंगे तो भरोसा नहीं होगा कि वास की बोतलें भी इतनी शानदार हो सकती हैं, और फिर ये बोतलें इको फ्रैंडली भी हैं। इन्हें जब बनाते हैं, तो वास को पहले नीम और दूसरे औपर्युक्तीय पीधों के साथ उबाजा जाता है, इससे इनमें औपर्युक्तीय गुण भी आते हैं। छोटे—छोटे स्थानीय प्रोडक्ट्स से कैसे यही सफलता मिलती है इसका एक उदाहरण ब्रासखड़ से भी मिलता है। ब्रासखड़ के बिचुनपुर में इन दिनों 30 से ज्यादा समूह मिलकर के लैमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लैमन ग्रास चार महीनों में तैयार हो जाती है, और उसका तेल बाजार में अच्छे दामों में विकला है। इसकी आजकल बापी मांग भी है।

—प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, 26 जुलाई, 2020 को प्रसारित गण की जाति के अंश

जिला—तत्त्वीय आपदा प्रबंधन समिति में समावेशन भी किया जा सकता है ताकि किसी भी आपदा के समय यह दल जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन में सहयोग कर सके। आपदा के समय सक्रिय समूह सदस्यों की सुरक्षा के लिए जीवन बीमा के साथ—साथ ‘जीवट’ (साहस) बीमा का प्रावधान भी होना चाहिए। जीवट बीमा कुछ ऐसा हो सकता है जो आपदा से जूझने के दौरान समूह सदस्यों के सामने उत्त्यन्त जीवन के न्यूनतर सकटों जैसे संक्रमण, दिव्योन्तरा, जीविका पर सकट आदि से उत्तरने में उनकी सहायता चाह सके। आपदा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वयंसहायता समूहों के लिए जिला या राज्य—स्तर पर ‘जीवट श्री’ जैसे पुरस्कार को बारे में भी सोचा जा सकता है।

अपने सदस्यों को गरीबी के कुचक्क से निकालकर यह स्वयंसहायता समूह आज अपने समुदाय के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में उभरे हैं। उनके यह प्रयास समुदाय की स्थिति बदलने की ओर अग्रसर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन दूरी की भूमिका निभाकर यह समूह सरकार के सहयोग—तंत्र के रूप में भी पहचान बना रहे हैं।

(लेखिका श्री.सी.आई. नामक अंतर्राष्ट्रीय पिकास एजेंसी में वरिष्ठ संचार प्रबंधक हैं।)

ई—मेल : benn.naqviipm@gmail.com

# कोविड योद्धा आशाकर्मी

## कोविड-19 के खिलाफ लंबी लड़ाई में आशा कार्यकर्ताओं की निखार्थ प्रतिबद्धता

आशा कार्यकर्ता देशभर में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाणों तथा रागड़ागियों के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोविड-19 को नियंत्रित करने एवं उसके प्रवर्चन की राकर्ता कोशिशों में सहायता करने तथा लोगों के बीच विश्वास का संचार करने हेतु आशा कार्यकर्ताओं ने समुदाय के भारों से एवं स्थानीय सामाजिक कारकों के ज्ञान का उपयोग किया।

**देश के अधिकांश हिस्सों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य निश्चय के तहत लगभग लाखों आशा कार्यकर्ता स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान में आगामी भूमिका निभा रही है।** कोरोना काल में इनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। आशा कार्यकर्ता अपने—अपने समुदाय में जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने अपने जागरूकता अभियान के जरिए समुदाय—स्तर पर आरोग्य सेतु ऐप का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया। साथ ही, समुदाय क्यारिटीइन केंद्रों के विकास, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण में फलायती सर्व विभाग की सहायता भी की है।

**मैर-कोविड अनिवार्य सेवाओं में आशा कार्यकर्ताओं का योगदान असाधारण रहा है।** आयुष्मान भारत—स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में आशा कार्यकर्ता सभी व्यक्तियों की लाइन लिस्टिंग, जोखिम आकलन और हाइपरट्रैशन, मधुमेह, तीन प्रकार के कैंसरों (ओरल, ब्रेस्ट एवं सरवाइकल कैंसरों), तपेदिक और कुच्छ जैसी पुरानी बीमारियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रेरित करने में योगदान दे रही है। वे गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच) सेवाएं उपलब्ध कराने में, जो लॉकडाउन तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता के कारण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई थीं, भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। उन्होंने इन सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता का प्रसार किया है और लोगों तक इसकी सुविधा पहुंचाने में सहायता की है।

कोरोनाकाल में देशभर में आशा कार्यकर्ता योद्धा की तरह

गांवों में स्वास्थ्य गोर्चे पर डटी हुई है। आशा कार्यकर्ताओं की गहन भागीदारी गहनामारी को रोकने में रही है जिससे उन्हें इस दौरान परिवार वालों के काफी आक्रोश और प्रतिरोध का सम्बन्ध भी कसा पड़ा। लेकिन उन्होंने एक आशा कार्यकर्ता के रूप में सेवा करने वाली और सामाजिक रूप से जागरूक करने वाली, समुदाय—स्तर पर देखभाल उपलब्ध कराने वाली तथा स्वास्थ्य सुविधा के लिए सफर कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका दृढ़ता के साथ जारी रखी।

राजस्थान की आकजीलरी नर्स बिडवाइक्स (एएनएम) की सहायता के साथ आशा कार्यकर्ताओं के योगदान ने आठ करोड़ परिवारों में लगभग 39 करोड़ लोगों की सक्रिय निगरानी और उन तक सूचना प्रसार संभव बनाया। इन सभी के बीच में तथा बिना लक्षण वाले लोगों के प्रति संघेत रहते हुए, आशा कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं, नवजाती तथा बच्चों की देखभाल करने का कार्य भी जारी रखा। जहाँ एबुलेसों की उपलब्धता नहीं थी, वहाँ उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की।

मेघालय में कोविड के संक्रमण को फैलने से रोकने में आशा जैसी स्वास्थ्य बोत्र की अधिम पवित्र की कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोविड-19 के खिलाफ राज्य सरकार की लड़ाई में आशा कार्यकर्ताओं की सहायता भूमिका रही है। लगभग 6700 आशा कार्यकर्ताओं को कोविड विलेज हेल्प अवेयरनेस एंड एपिट्र केस सर्च टीमों का हिस्सा बनाया गया। इन टीमों ने कोविड-19 के खिलाफ निवारक उपायों जैसे हाथ धोना, मास्क पहनना/मैहरे को ढपाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना आदि के बारे में सामुदायिक

स्तर पर जागरूकता बढ़ाई और साथ ही सामियों से संक्रमण के मामलों का पता लगा जाने वाली भी परीक्षण और उपचार के लिए सभाय पर पहुंच सुविधा भी प्रदान जी।

ओडिशा में लगभग 46,627 आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वास्थ्य जलरतों को पूरा करते हुए कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में रीप्रिंग बनकर उभरी है। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में गांव कल्याण समितियों और शहरी क्षेत्रों में महिला आरोग्य समितियों के साथ विभिन्न काम करते हुए देखा जाता है, इन्हीं सामुदायिक सामुहिकता के तहत आशा कार्यकर्ता काम करती हैं। उन्होंने इन मंत्रों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों



मेघालय : कोविड से निपटने की अभियान में जगी आशाकर्ता

पर चाहर नियमने के दीर्घन मास्क/फेस कवर लगाने, तथा तार हाथ धोने के प्रति धौकास रहने, सामाजिक दूरी (एक-दूसरे से नूरी बनाए रखना) के नियमों का पालन करना। कोविड के लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कोविड नियारक कार्यों को बढ़ावा देने में किया।

ओडिशा की आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य कांथा (आधीर-स्तर पर धीमार) पर पुरितका और पोस्टर के वितरण जैसी आईटीसी गतिविधियों के माध्यम से लोगों में इसके बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की है।

कनोटाक की 42,000 आशा कार्यकर्ता कोविड-19 का भुकायला करने में राज्य के सफल प्रयासों की एक महत्वपूर्ण स्तरम् बनाकर उमरी है। ये कार्यकर्ता दूसरे राज्यों से जाने वाले यात्रियों, प्रवासी अभियांत्री और समुदाय के अन्य लोगों में कोविड-19 के लक्षणों का पता लगाने के लिए सक्रिय रूप से परेलू सर्वेक्षण और स्क्रीनिंग के कार्यों में भाग ले रही है। इन्होंने आवादी के कुछ विशेष समूहों में कोविड संक्रमण के खतरे की ज्यादा संभावना का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर बहार रहने वाले बुजुर्गों, पहले से कई धीमारियों से पीड़ित लोगों और कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों नी घरचान करने के लिए करीब 1 करोड़ 59 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया।

झारखंड में 'सहिया' के नाम से जानी जाने वाली आशाकर्मी प्रिशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सहयोग करती है। राज्य में लगभग 42,000 सहिया हैं, जिन्हें 2260 सहिया साथियों (आशाकर्मियों), 582 ब्लॉक प्रशिक्षकों, 24 जिला सामुदायिक मोबाइलजर और एक राज्य-स्तरीय सामुदायिक प्रक्रिया संसाधन केंद्र की ओर से मदद मिलती है। कार्यक्रम की शुरुआत से ही जानजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं पहुंचाने में सहियाओं की प्रतिक्रिया को स्वीकार किया गया है और उसे समर्पित महत्व दिया गया है।

मार्च 2020 से ही सहिया कोविड-19 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। इनमें कोविड-19 के नियारक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना, जैसे साबुन और पानी से लगातार हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर बाहर निकलते सामग्री मास्क/फेस कवर का उपयोग करना। खांसी और छीकने आदि के दीर्घन उचित शिष्टाचार का पालन करना, कॉन्टैक्ट ट्रैसिंग, लाइन लिस्टिंग जैसे नियमों का पालन करना आदि शामिल है।

झारखंड की आशा या सहिया, जिन्होंने मातृ नवजात शिशु और याल स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में सक्रिय सहयोग किया, कोविड-19 संबंधित गतिविधियों में भी बढ़-चढ़ कर सहयोग दिया।

देश में कोविड-19 के मामलों में तेज बढ़ोत्तरी एवं हॉटस्पॉट शेत्रों से प्रवासी आवादी के प्रवेश के साथ, उत्तर प्रदेश की बड़ी



झारखंड सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में लगे सहिया।

चुनीतियों में एक, लौटने वालों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं धार्मिक आवादी में इस धीमारी के प्रसार को रोकना था। आशा कार्यकर्ताओं ने इस संकट के दीर्घन कोविड-19 प्रबंधन सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस विशाल प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश की 1.6 लाख आशा कार्यकर्ताओं ने दो चरणों में—पहले चरण में 11.24 लाख एवं दूसरे चरण में 10.19 लाख लौटने वाले लगभग 30.43 लाख प्रवासियों का पता लगाया। उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रैसिंग एवं समुदाय-स्तर पर निगरानी में सहायता की। राज्य में ग्राम प्रधान के बहुत सभी गांवों में निगरानी समितियों का गठन किया गया है। समिति के सदस्य/स्वयंसेवी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ताओं के संपर्क में रह कर पहरेदारी करते हैं और उन्हें गांव में प्रवासियों के बारे में जानकारी मुहेया करते हैं जो इसके बाद प्रवासियों से जुड़े अनुवर्ती कार्रवाइयों में उनकी सहायता करती हैं।

निसदेह देशनर में आशा कार्यकर्ताओं ने बचाव संबंधी उपायों जैसोंकि साबुन और पानी के साथ नियमित रूप से हाथ धोने, सार्वजनिक स्थान पर जाने से पहले मास्क लगाने के महत्व एवं सामुचित सामाजिक दूरी बनाए रखने आदि के बारे में समुदायों को संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी कोशिशों के परिणामरूप, अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं तथा इन्हें कैसे प्राप्त किया जाए के बारे में काफी जागरूकता आ गई है। जब वे अपनी ड्यूटी पर जाती हैं तो आशा कार्यकर्ताओं को मास्क तथा साबुन/सैनिटाइजर जैसे मूलभूत प्रोटेक्टिव गिरर उपलब्ध कराए जाते हैं।

चौत : दर्जीटर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,  
पत्र संचयन कार्यालय विज्ञप्तियाँ  
(सौजन्य : कुरुक्षेत्र टीम)

## ए-आई आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत

**कुशल कार्यबल को आजीविका के अवसर सलाशने,** कुशल कार्यबल के बाजार में मांग-आपूर्ति के अंतर को पाठने और नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल की खोज में मदद करने के मामले में सूचना प्रयाप की शिथिरी को बेहतर बनाने के प्रयास के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने 15 जूलाई, 2020 को 'आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण (असीम)' पोर्टल लॉन्च किया। विशेष रूप से व्यावसायिक दशाता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले एक कुशल कार्यबल की भर्ती के

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई पाठने के लिए ए-आई-आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की;
- यह पोर्टल क्षेत्रों और रथानीय उद्योग की मांगों के अनुरूप अभियों के बीच इकठ्ठा करेगा;
- भारत में विभिन्न राज्यों से अपने घरों को लौटे अभियों तथा वंदे भारत यित्तन के तहत स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों के, जिन्होंने कौशल कार्ड भरे हैं, के डाटाबेस को असीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है;
- उम्मीदवारों के डाटा को शुल्क आधारित कार्यक्रमों, राष्ट्रीय शहरी आजीविका यित्तन, दीनदयाल उपाध्याय यामीन कौशल योजना 'सीखो और कराओ' के साथ एकीकृत किया जाएगा।

निर्धारण में सहायता प्रदान करना है। असीम पोर्टल एनएसडीई और इससे जुड़े क्षेत्र कौशल परिवर्तन करने में मदद करेगा, जिसमें उद्योग आवश्यकताओं, कौशल अंतर विश्लेषण, मांग प्रति जिला/राज्य/फ्लॉटर, प्रमुख कार्यबल आपूर्तिकर्ता, प्रमुख उपयोक्ता, गाइडेशन पैटर्न सहित आपूर्ति और पैटर्न दोस्री बातें शामिल होंगी। इसके जरिए उम्मीदवारों के लिए कैरियर की कई रासायनिक मांगें हैं। पोर्टल में तीन आईटी आधारित फ़ंक्शन्स हैं—

**नियोक्ता पोर्टल—नियोक्ता ऑनलाइन, डिमांड एकीगेशन, उम्मीदवार का जयन**

**डेशबोर्ड—रिपोर्ट, रुझान, विश्लेषण और अंतर को प्रमुखता से दिखाना**

**उम्मीदवार आयेदन—उम्मीदवार का प्रोफाइल बनाना और ट्रैक करना, नीकरी का सुझाव देना**

असीम का उपयोग उपलब्ध नीकरियों के साथ कुशल अभियों वाला यित्तन करने के लिए मैच-मैटिंग इंजन के रूप में किया जाएगा। पोर्टल और ऐप में नीकरी की भूमिकाओं, क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों के अभियों के लिए पंजीकरण और डेटा अपलोड का प्रावधान होगा। कुशल कार्यबल इस ऐप पर अपनी प्रोफाइल पंजीकृत कर राकरे हैं और अपने पड़ोस में रोजगार के अवसरों की तलाश कर सकते हैं। असीम के गांव्य से, विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की गताश करने वाले नियोक्ताओं, एजेंसियों और जॉब एग्रीगेटर्स के पास सभी आवश्यक विवरण एक ही जगह मिलेंगे। यह नीति विभासाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अधिक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण रखने में सक्षम बनाएगा।



**A·S·E·E·M**

**Aatmanirbhar  
Skilled Employee  
Employer Mapping**

**असीम : आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण**

अलावा इस आटिप्रिशियल फ़ूटेलिंगों-आधारित प्लेटफॉर्म को उत्तोग-संबंधित कुशल कार्यबल प्राप्त करने और कोशिक के पाद वी शिथिरी में उभरते नीकरी के अवसरों का पता लगाने वे कार्यबल की मदद करने के लिए तैयार किया गया है।

याम-याज वी पेजी से बदलती प्रकृति और इसके द्वारा कार्यबल यित्तन तरह से प्रमाणित होगा यह याता कोविड गहनारी के बाद के रामय में कौशल युक्त पारिस्थितिकी संत्र में पुनर्जीवन गहन्यपूर्ण होगा। विभिन्न क्षेत्रों में कौशल के अंतर की पहचान करने और वैशिक सौचार्य प्रधानों की समीक्षा करने के अलावा, असीम पोर्टल नियोक्ताओं ने कुशल कार्यबल की उपलब्धता का आकलन करने और उनके लिए भर्ती योजनाओं को तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

असीम पोर्टल ASEEM <https://smis.usdeinindia.org>, जो प्रोयाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, वो बैमलुच शित कंपनी डेटर्स्लोरा के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास यित्तन (एनएसडीई) द्वारा विकासित और प्रवर्तित किया गया है। असीम पोर्टल का उद्देश्य है प्रोग्रामेटिक उद्देश्यों के लिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न राज्यों और विश्लेषणों के गांव्यम से समर्थन और नीति




नियोक्ता पोर्टल—नियोक्ता ऑनलाइन, डिमांड एकीगेशन, उम्मीदवार का जयन

चोत : पीआईबी

# जानिए देश का गौरवशाली इतिहास प्रकाशन विभाग की पुस्तकों से



सुनिश्च ई-बुक  
लोडिंग और प्रूफिंग से  
पर लालच



प्रकाशन विभाग

पुस्तक एवं प्रशारण मंत्रालय, भारत सरकार  
धूमाना भवन, श्री जी जी वॉल्फलेला, ज्ञानी रोड, नई दिल्ली - 110003  
वेबसाइट : [www.publicationsdivision.nic.in](http://www.publicationsdivision.nic.in)

ऑर्डर की लिए साक्षी करें-

फोन : 011-24367260, 24305610, ई-मेल : [businesswn@ gmail.com](mailto:businesswn@ gmail.com)

इसकी पुस्तकों अनलाइन खरीदने के लिए जूपा [www.bharatkosh.gov.in](http://www.bharatkosh.gov.in) पर जाए

इसकी जानकारी : [www.bharatkosh.gov.in](http://www.bharatkosh.gov.in) वा [www.dpiindia.gov.in](http://www.dpiindia.gov.in)

आम. एल. जाई./708/57

चुप्त: गोपनीय संस्करण संख्या : डी.एल. (एस) -05/3164/2018-20

आई.एस.एस.एस. 0971-8451, पुस्तक भागिनी के विषय: आम.एम.एस.  
विलासी में बाकी से डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2018-20  
01 अगस्त, 2020 को प्रकाशित एवं 5-6 अगस्त, 2020 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57

P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2018-20

ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2018-20

to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.



आम प्रिंट संस्करण और ई-बुक संस्करण उपलब्ध

# भारत 2020



भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और  
उपलब्धियों की आधिकारिक जानकारी देने वाला  
वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

मूल्य: प्रिंट संस्करण ₹ 300/- ई-बुक संस्करण ₹ 225/-

पुस्तकों खरीदने के लिए प्रकाशन विभाग की  
वेबसाइट : [www.publicationsdivision.nic.in](http://www.publicationsdivision.nic.in) पर जाएं

ई-बुक एप्पल और गूगल प्ले पर उपलब्ध

देश भर में प्रकाशन विभाग के विक्रीकरण केन्द्रों और<sup>1</sup>  
पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीद सकते हैं



ऑर्डर के लिए रापूर्क करें :

फोन : 011-24367260

ई-मेल : [businesswng@gmail.com](mailto:businesswng@gmail.com)

हमारी पुस्तकों ऑनलाइन खरीदने के लिए

कृपया [www.bharatkosh.gov.in](http://www.bharatkosh.gov.in) पर जाएं।

प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,

भारत सरकार

सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड नई दिल्ली -110003

वेबसाइट : [www.publicationsdivision.nic.in](http://www.publicationsdivision.nic.in)

सूचना भवन की पुस्तक सीधा में पढ़ारे

टिप्पेटर पर फोलो करें @DPD\_India